तक़्दीर-ए-इलाही
(ख़ुदा का प्रारब्ध)

भाषण

हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब
ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय रज़ि अल्लाह अन्हु

तक़्दीर-ए-इलाही

ख़ुदा का प्रारब्ध

(भाषण जल्सा सालाना 1919 ई)

सय्यदना हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद
ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय[रज़ि॰]

नाम पुस्तक : तक़्दीर-ए-इलाही
Name of book : TAQDEER-E-ILĀHI
लेखक : हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद
ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय रज़ि॰
Writer : Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood
Ahmad, Khalifatul Masih II[RA]
अनुवादक : डॉ अन्सार अहमद, एम.ए., एम.फिल, पी एच,डी,
पी.जी.डी.टी., आनर्स इन अरबिक
Translator : DR. Ansar Ahmad, M.A., M.Phil,
PH.D, P.G.D.T., Hons in Arabic
संस्करण, वर्ष : प्रथम संस्करण (हिन्दी) मई 2018 ई.
Edition, Year : 1st Edition (Hindi) May 2018
संख्या, Quantity: 1000
टाईपिंग, सैटिंग : नादिया परवेज़ा
Typing Setting: Nadiya Perveza
प्रकाशक : नज़ारत नश्र-व-इशाअत,
क़ादियान, 143516
ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Publisher : Nazarat Nashr-o-Isha'at,
Qadian, 143516
Distt. Gurdaspur, (Punjab)
मुद्रक : फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस,
क़ादियान, 143516
ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Printed at : Fazl-e-Umar Printing Press,
Qadian, 143516
Distt. Gurdaspur, (Punjab)

पुस्तक परिचय

तक़्दीर-ए-इलाही

1919 ई० जल्सा सालाना के अवसर पर हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय ने 28/29 दिसम्बर को तक़्दीर-ए-इलाही के बहुत जटिल और बारीक मसअले पर अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण भाषण दिया। अपने इस विषय के संबंध में आप ने फ़रमाया कि :

"अब तक मैं जो विषय वर्णन करता रहा हूँ वह कर्मों के संबंध में थे, परन्तु अब जो विषय वर्णन करना है वह ईमान के संबंध में है। और चूंकि ईमान ही जड़ है, इसलिए वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ख़ुदा तआला से विनयपूर्वक कहा कि हे ख़ुदा यदि इस विषय का सुनाना उचित नहीं तो मेरे दिल में डाल दे कि मैं इसे न सुनाऊँ, यद्यपि वह विषय जटिल है और उसके समझने के लिए बहुत मेहनत और कोशिश की अवश्यकता है। परन्तु यदि आप लोग इसे समझ लेंगे तो बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे।"

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ[रह०] इस भाषण के संबंध में फरमाते हैं :-

"हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय[रज़ि०] का इस शीर्षक पर एक ऐसे सार्वजनिक जल्से से भाषण देना जहाँ शिक्षित, अशिक्षित, बुद्धिमान और नादान हर प्रकार के लोग एकत्रित थे निस्सन्देह कोई साधारण कार्य न था। आपने जिस ख़ूबी से इस विषय को अदा किया निस्सन्देह वह आप ही का अधिकार था। यह भाषण क्या था तर्कशास्त्र की एक अत्युत्तम कृति थी .... क़ज़ा व-क़द्र (प्रारब्ध) के मसअले का महत्त्व और

आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश वर्णन करने के पश्चात् आप ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए कि तक़्दीर के मसअले पर ईमान और स्रष्टा के अस्तित्व पर ईमान लाना परस्पर अनिवार्य है। इसके बाद आपने क़ज़ा व-क़द्र (प्रारब्ध) की विवादित विचारधाराओं पर बहस करके आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कुछ आदेशों में अनुकूलता की। इसके बाद तक़्दीर के मसअले को न समझने के परिणामस्वरूप मनुष्य को जो बड़ी-बड़ी ठोकरें लगी हैं उनका वर्णन किया ...... फिर वह्दतुल वुजूद (ब्रह्मवाद) आस्था की ग़लतियाँ प्रकट करते हुए क़ुर्आन की छः आयतों से बहुत उत्तम और ठोस तर्क प्रस्तुत कर के उस आस्था का खण्डन किया। तत्पश्चात् उसकी दूसरी इन्तिहा को भी ग़लत सिद्ध किया और उस विचारधारा का तर्कों द्वारा खण्डन किया कि ख़ुदा जैसे कुछ नहीं कर सकता और जो कुछ भी है तक़्दीर ही है। ख़ुदा के ज्ञान और ख़ुदा की तक़्दीर को मिलाने के परिणामस्वरूप मनुष्य की सोच ने जो ठोकरें खाई हैं उसका बहुत उत्तम विश्लेषण करके इस मसअले को खूब निखारा।"

भाषण से कुछ आवश्यक वक्तव्य प्रस्तुत करने के बाद हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ[रह०] फरमाते हैं :-

"यह भाषण ख़ुदा की तक़्दीर के मसअले पर हर पहलू से बहस करता है और पुराने एवं नवीन विभिन्न आरोपों के उत्तर भी इसमें दिए गए हैं। तक़्दीर के वर्णन में आप ने सात रूहानी पर्दों का वर्णन भी किया है जो ख़ुदा की तक़्दीर के मसअले को सही मायनों में समझकर उसकी मांगें पूरी करने के परिणामस्वरूप मनुष्य को मिल सकते हैं। जैसे कि रूहानी उन्नति के सात आकाश हैं जिन की ऊँचाइयों पर सब से ऊपर हमें आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उपस्थित दिखाई देते हैं।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू-व-नुसल्ली अला रसूलिहिलकरीम

तक़्दीर (तक़्दीर) का विषय

नीचे तक़्दीर की समस्या के संबंध में मेरा वह भाषण दर्ज है जो मैंने दिसम्बर 1919 ई के जल्सा सालाना पर दिया था। समय की कमी के कारण मैंने इस भाषण को बहुत संक्षिप्त कर दिया था और मेरी इच्छा थी कि संशोधन के समय इसके अन्दर कुछ आवश्यक बातें बढ़ा दूँ परन्तु पुनरावलोकन (दूसरी बार देखते) करते समय मालूम हुआ कि भाषण के लिखने में इतनी ग़लतियाँ हो गई हैं कि उनका ठीक करना बहुत कठिन है। कुछ स्थानों पर निबंध ऐसा हो गया था कि उसे ठीक करने में नया निबंध लिखने से बहुत अधिक समय व्यय होता था। एक अन्य कठिनाई भी सामने आ गई कि निबंध में अनुचित परिवर्तन करने के कारण कुछ आवश्यक विषय का बीच में सम्मिलित कर देना भी कठिन हो गया। इसलिए मैंने अपना पहला इरादा त्याग कर इसी भाषण को ही ठीक कर दिया है और प्रयास किया है कि जहाँ तक संभव हो वह आसानी से समझ में आ सके। एक दो स्थान पर कुछ वृद्धि भी कर दी है। चूंकि इस निबंध के कुछ पहलू जो अधिक स्पष्टीकरण चाहते थे और जिनको भाषण के समय वर्णन नहीं किया जा सका इस भाषण पर दूसरी बार दृष्टि डालते समय भी दर्ज नहीं हो सके। इसलिए अल्लाह तआला यदि सामर्थ्य दे तो मेरा इरादा है कि इस विषय पर एक स्थायी पुस्तक लिख दी जाए। इस समय लोगों की प्रतीक्षा को देख कर इतना ही प्रकाशित किया जाता है।

विनीत

मिर्ज़ा महमूद अहमद

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदहू-व-नुसल्ली अला रसूलिहिलकरीम

तक़्दीर-ए-इलाही

(भाषण जल्सा सालाना 28/29 दिसम्बर 1919 ई)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ آمین

(अल फ़ातिहा - 1 से 7)

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ۔ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ۔ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

(अत्तलाक़ - 3,4)

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ۔ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ وَلَقَدْ

بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

(अन्नहल - 36,37)

कज़ा-व-क़द्र (तक़्दीर) के विषय की अहमियत -

मैंने कल वर्णन किया था कि मैं एक अहम विषय के बारे में आप लोगों के सामने वर्णन करना चाहता हूँ। मैंने यह भी कहा था कि वह विषय ईमानी बातों के संबंध में है। पहले जल्से में मैंने अपने भाषणों में अधिकतर आमाल (कर्मों) के बारे में वर्णन किया है, परन्तु इस बार इरादा है कि ईमानी बातों के बारे में कुछ वर्णन करूँ। इस इरादे के अन्तर्गत इस बार मैंने इस विषय को चुना है जो मेरे नज़दीक ईमान की अहम बातों में से है और बहुत कठिन विषय है यहाँ तक कि लोगों के कर्मों पर उसका ख़तरनाक प्रभाव पड़ा है। वह विषय क्या है? वह कज़ा-व-क़द्र (तक़्दीर) का विषय है जिसे आम तौर पर तक़्दीर या क़िस्मत या मुक़द्दर कहते हैं इसके विभिन्न नाम रखे हुए हैं। तक़्दीर का विषय ईमान की बातों में से है और बहुत कठिन विषय है। बहुत लोगों को देखा गया है कि इसके न समझने के कारण तबाह हो गए हैं और कई क़ौमें इसी को न जानने के कारण तबाह हो गई हैं। कई धर्म इसी के न मालूम होने के कारण बर्बाद हो गए हैं, बल्कि यह समझना चाहिए कि इस विषय को न समझने के कारण धर्मों में ऐसी शिक्षाएं जो मनुष्य के आचरण तथा कर्मों को तबाह एवं बरबाद करने वाली हैं आ गई हैं और यूरोप के लोग सामान्यतया मुसलमानों पर इस विषय के कारण हंसा करते हैं। किन्तु वह अकारण नहीं हंसते बल्कि उनका

हंसना वैध होता है, क्योंकि मुसलमान उनको अपने ऊपर स्वयं हँसने का अवसर देते हैं। उदाहरणतया यदि कभी मुसलमानों की लड़ाई का वर्णन आ जाए तो यूरोपियन लेखक लिखेंगे कि अमुक अवसर पर बड़े ज़ोर-शोर से गोलियां चलती रहीं परन्तु मुसलमान पीछे नहीं हटे बल्कि आगे ही आगे बढ़ते गए। आगे यह नहीं लिखेंगे कि यह उनकी बहादुरी और वीरता का सबूत था बल्कि लिखेंगे कि इसलिए कि उन्हें अपनी क़िस्मत पर विश्वास था यदि मरना है तो मर जायेंगे यदि नहीं मरना तो नहीं मरेंगे। यदि मुसलमान इस कारण से दुश्मन के सामने क़ायम रहा करते तो भी कोई हानि न थी परन्तु यदि गोलियां अधिक देर तक चलीं तो फिर वे खड़े नहीं रहेंगे बल्कि भाग जायेंगे।

तक़्दीर के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आदेश -

अतः तक़्दीर पर ईमान लाना एक अहम विषय है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि तुम में से कोई उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक ख़ुदा की तक़्दीर पर ईमान न लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

(तिरमिज़ी अबवाबुल क़द्र बाब मा जाअ फिल ईमान बिल्क़द्र)

अर्थात् कोई बन्दा मोमिन नहीं हो सकता जब तक अच्छी तक़्दीर पर भी और बुरी तक़्दीर पर भी ईमान न लाए। फिर फ़रमाते हैं

مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ فَاَنَا بَرِئٌ مِّنْهُ

(कन्ज़ु अम्माल जिल्द - 1, अल्फस्लुस्सादिस फिल ईमान, हदीस - 485)

जो व्यक्ति अच्छी और बुरी तक़्दीर पर ईमान नहीं लाता मैं उस से विमुख हूँ। मानो इस विषय को बड़ा महत्त्व दिया गया है। तो तक़्दीर का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है और जब कोई ईमान प्राप्त करने के लिए घर से निकले और चाहे कि ईमान लाने वालों में स्थान पाए तो उस के लिए बहुत आवश्यक है कि उस पर ईमान लाए और विश्वास रखे। किन्तु यदि कोई दावा तो करता है कि वह मुसलमान है परन्तु तक़्दीर को नहीं मानता तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षा के अन्तर्गत वह मुसलमान नहीं कहला सकता, क्योंकि मुस्लिम आप ही के सेवकों और अनुयायियों का नाम है। यह इस बात का फैसला करने के लिए कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं आप ही से फैसला चाहा जायेगा। तो वह व्यक्ति मुस्लिम नहीं जो तक़्दीर पर ईमान नहीं लाता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि कोई व्यक्ति उस समय तक मुस्लिम नहीं हो सकता जब तक तक़्दीर पर ईमान नहीं लाता।

तक़्दीर का विषय ईमान की बातों में सम्मिलित है -

संभव है कुछ लोगों के दिल में विचार हो और हो सकता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिस प्रकार कुछ अन्य बातों को आवश्यक देख कर केवल ज़ोर देने के लिए ईमान में शामिल किया है उसी प्रकार तक़्दीर का विषय हो। उदाहरणतया आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जो व्यक्ति किसी अन्य क़ौम की ओर स्वयं को सम्बद्ध करता है उदाहराणतया सय्यद नहीं है और अपने आप को सय्यद कहता है, मोमिन नहीं है।

(अबूदाऊद अब्वाबुन्नौम बाब फिर्रजुल यन्तमा मिन गैर मवालीह)

या आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मुसलमान का क़त्ल करना कुफ्र है।

(मुस्नद अहमद बिन हंबल जिल्द-1, पृष्ठ-176)

इसी प्रकार अन्य कई बातों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रयामा है कि जो ऐसा नहीं करता या ऐसा करता है वह मोमिन नहीं है। उदाहरणतया जिस प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फ़रमाया है कि जो पठान है और अपने आप को सय्यद कहता है या मुग़ल है और सय्यद बनता है या किसी बड़े आदमी की नस्ल नहीं है परन्तु उस की ओर स्वयं को सम्बद्ध करता है वह मोमिन नहीं है। इसी प्रकार तक़्दीर के विषय के संबंध में फ़रमा दिया, जिस का मतलब यह है कि इस को अवश्य मान लिया जाए अतएव उस को न मानना पाप है और बड़ा पाप है परन्तु ईमान और इस्लाम से बाहर कर देने वाला नहीं है।

इस के संबंध में याद रखना चाहिए कि जितने ईमानी विषय हैं और जिन पर ईमान लाए बिना कोई मुसलमान नहीं हो सकता क़ुर्आन करीम में मौजूद हैं और उनका आधार हदीसों पर नहीं है क्योंकि हदीसों का ज्ञान काल्पनिक है निश्चित नहीं है।

तो इस बात को मालूम करने के लिए कि कौन सा विषय ईमानी बातों में सम्मिलित है हमें क़ुर्आन करीम की ओर लौटना चाहिए। जिस विषय के बारे में क़ुर्आन करीम में मालूम हो जाए कि उस का न मानना क़ुफ्र है वह ईमानी बातों में सम्मिलित है और जिस के बारे में क़ुर्आन करीम की गवाही न मिले उस के बारे में यह समझ लेना चाहिए कि उस के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वह केवल बल देने और ज़ोर देने के लिए हैं। अब इसी क़ायदे के तहत जब हम क़ुर्आन करीम को

देखते हैं कि उस में तक़्दीर पर ईमान लाने के बारे में क्या वर्णन हुआ है तो यद्यपि हमें उस में तक़्दीर पर ईमान लाने के शब्द तो दिखाई नहीं देते परन्तु यह पता अवश्य चलता है कि इस पर ईमान लाना आवश्यक है। क्योंकि क़ुर्आन करीम में अल्लाह तआला पर ईमान लाना सब से पहला आदेश बताया गया है और तक़्दीर का विषय ख़ुदा तआला पर ईमान लाने का एक भाग है। तक़्दीर क्या है? तक़्दीर ख़ुदा तआला की विशेषताओं के प्रकटन का नाम है। उदाहरणतया जो व्यक्ति यह मानता है कि ख़ुदा है उसके लिए यह भी मानना आवश्यक है कि ख़ुदा कुछ करता भी है न कि एक जड़वत हस्ती है। तो जो विशेषताएं ख़ुदा तआला में पाई जाती हैं उन्हीं के मानने का नाम तक़्दीर का मानना है इसलिए ख़ुदा पर ईमान लाने में ही तक़्दीर पर ईमान लाना भी आ गया।

इसलिए रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तक़्दीर पर ईमान लाने पर ज़ोर देना बड़े गुनाहों पर ज़ोर देने के समान नहीं है बल्कि इसके संबंध में जो कुछ फ़रमाया है वह वास्तविक तौर पर भी है।

ख़ुदा तआला के मानने के लिए तक़्दीर का मानना आवश्यक है-

यद्यपि क़ुर्आन करीम में इस विषय को पृथक-पृथक तौर पर वर्णन नहीं किया गया अल्लाह तआला पर ही ईमान लाने में उसको सम्मिलित किया गया है, परन्तु रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे अलग करके वर्णन कर दिया है और ख़ुदा तआला को उसी समय वास्तविक तौर पर माना जाता है, जब कि उसकी विशेषताओं को भी माना जाए। अन्यथा यों ख़ुदा को मान लेना कुछ वास्तविकता नहीं रखता। यों तो बहुत से नास्तिक भी मानते हैं। अत: वे कहते हैं कि यह ग़लत

है कि हम ख़ुदा को नहीं मानते। हम ख़ुदा को तो मानते हैं हाँ यह नहीं मानते कि वह फ़रिश्ते उतारता है, नबी भेजता है, उसकी ओर से संदेश आते तथा किताबें दी जाती हैं परन्तु हम यह मानते हैं कि इस कायनात (ब्रह्माण्ड) को चलाने वाली एक बड़ी शक्ति है। जिसे हम गति देने वाली शक्ति कहते हैं।

तो नास्तिक भी प्रत्यक्ष तौर पर ख़ुदा के मानने का इनकार नहीं करते। परन्तु वे कैसा ख़ुदा मानते हैं? ऐसा कि जिससे उनको कोई काम न पड़े। उन का ख़ुदा को मानना ऐसा ही है जैसा कि किसी ने किसी को कहा था कि जो हमारा माल वह तुम्हारा माल और उसका यह विचार बिल्कुल न था कि मेरा माल यह ले भी ले। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि हम मानते हैं कि एक हस्ती (अस्तित्व) है, एक शक्ति है, एक रूह है परन्तु ऐसा ख़ुदा जो हमें आदेश दे कि इस प्रकार करो और इस प्रकार न करो उसके हम कायल नहीं हैं इस प्रकार के नास्तिकों की आस्थाएं मौजूद हैं। यदि किसी का ख़ुदा के बारे में इसी प्रकार का ईमान हो तो यह तो नास्तिकों का भी होता है और यह पर्याप्त नहीं होता। तो ख़ुदा तआला पर ईमान लाने के ये मायने नहीं हैं कि एक अस्तित्व है बल्कि यह भी है कि उसकी विशेषताओं को माना जाए। फिर यही नहीं कि ख़ुदा की विशेषताएं मान ले बल्कि यह भी है कि उन का प्रकट होना माने और यही तक़्दीर है। जैसा ख़ुदा पर ईमान लाने के लिए आवश्यक है कि सर्व प्रथम ख़ुदा तआला की हस्ती पर ईमान लाए। दूसरे अल्लाह की विशेषताओं पर ईमान लाए। तीसरे विशेषताओं के प्रकट होने पर ईमान लाए। इस तीसरे खंड का नाम रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तक़्दीर (तक़्दीर) रख कर अलग वर्णन कर दिया है और बता दिया है कि ख़ुदा तआला की जिन विशेषताओं के प्रकटन का संबंध बन्दों से है उसका नाम तक़्दीर है।

(तक़्दीर) के संबंध में चिंता और विवाद -

इधर ख़ुदा पर ईमान लाना ऐसी आवश्यक बात है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक तक़्दीर पर ईमान न लाए और केवल ज़ोर देने के लिए नहीं कहा बल्कि क़ुर्आन करीम फ़रमाता है कि ख़ुदा की विशेषताओं पर ईमान लाना ईमान का भाग है परन्तु इसके साथ ही एक अत्यन्त सख़्त बात भी लगी हुई है और वह यह कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि तक़्दीर पर ईमान लाना ऐसी कठिन बात है कि इस के बारे में विचार करना और विवाद करना मनुष्य को तबाह कर देता है। अतः हज़रत अबू हुरैरा[रज़ि॰] की रिवायत है कि :-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ (سنن الترمذي, كتاب القدر عن رسول اللّٰه)

हम लोग तक़्दीर के विषय के बारे में बैठे हुए झगड़ रहे थे कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाहर आए। हमारी बातों को सुन कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का चेहरा लाल हो गया और ऐसा मालूम होता था कि जैसे आप के मुंह पर अनार के दाने तोड़े गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुम को इस बात का आदेश दिया गया था? क्या ख़ुदा ने मुझे इसी उद्‌देश्य से भेजा था? तुम से पहली क़ौमें केवल तक़्दीर के विषय पर झगड़ा करने के कारण तबाह हुई हैं। मैं तुम्हें बल देकर कहता हूँ कि इस बात में

झगड़ना और बहस करना छोड़ दो।

इसी प्रकार हदीस में है कि –

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर[रहि॰] के पास कोई व्यक्ति आया और कहा कि आप को अमुक व्यक्ति सलाम कहता था आप ने उत्तर दिया कि मुझे मालूम हुआ है कि उसने इस्लाम में कुछ बिदअतें (नई बातें जो शरीअत में नहीं) निकाली हैं यदि यह सही है तो मेरी ओर से उसे सलाम का उत्तर न देना, क्योंकि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत में से कुछ पर अज़ाब आएगा और ये तक़्दीर पर बहस करने वाले होंगे।

(ترمزی ابواب القدر باب ماجاءفی الرضاءِ بالقضاءِ)

इन हदीसों से मालूम होता है कि तक़्दीर का विषय एक कठिन विषय है जिस पर बहस करने पर ईमान जाने का ख़तरा है बल्कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भविष्यवाणी की है कि इस उम्मत में से एक जमाअत पर इसी कारण से अज़ाब आएगा। परन्तु साथ ही हम यह भी देखते हैं कि इस विषय पर ईमान लाने पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है और इसके न मानने वाले को काफ़िर ठहराया गया है। और किसी विषय पर समझे बिना उस पर ईमान प्राप्त ही नहीं हो सकता क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को यह मालूम न हो कि मैंने किस बात को मानना है वह मानेगा क्या? और ऐसी बात को मनवाने से जिसे मनुष्य समझे नहीं लाभ ही क्या हो सकता है?

अत: तक़्दीर के विषय के संबंध में हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि शरीअत ने जब इस विषय में झगड़ने से मना किया है तो इसका क्या मतलब है? और जब इस पर ईमान लाने का आदेश दिया है तो इसका क्या मतलब है? ताकि ऐसा

न हो कि असावधानी के परिणामस्वरूप विनाश और तबाही का सामना करना पड़े। यह विषय वास्तव में एक सांसारिक पुल-ए-सिरात है कि यदि उस पर क़दम न रखे तो जन्नत से वंचित रह जाता है और अगर रखे तो डर है कट कर नर्क (दोज़ख) के तहखाने में न जा पड़े। परन्तु याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार पुल सिरात पर क़दम रखे बिना तो कोई इन्सान जन्नत (स्वर्ग) में जा ही नहीं सकता। और उस पर चलने में दोनों सम्भावनाएं हैं गिर जाए या बच जाए। इसी प्रकार तक़्दीर के विषय का हल है। इसको न समझे तो ईमान बिल्कुल जाता रहता है और यदि उस पर बहस करे तो दोनों बातें हैं। चाहे सही समझ कर अल्लाह का सानिध्य (क़ुर्ब) प्राप्त करे, चाहे ग़लत समझ कर तबाह और बरबाद हो जाए।

यहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि यदि यही बात थी तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहाँ क्यों फ़रमाया कि इस विषय पर बहस न करो? इस का उत्तर यह है कि आपका मतलब यह न था कि बिल्कुल बहस न करो, बल्कि यह कि बौद्धिक ढकोसलों से काम न लो, बल्कि इस विषय को हमेशा शरीअत की रौशनी में देखो, और यदि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह मतलब न होता तो हम स्वयं रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस मससले के बारे में भिन्न-भिन्न समयों में विवरण करते हुए न पाते आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का स्वयं इस विषय की व्याख्या करना और उस पर जो आरोप आते हैं उन का उत्तर देना फिर पवित्र क़ुर्आन का इस विषय पर विस्तारपूर्वक बहस करना बताता है कि जिस बात से मना किया गया है वह उस विषय की छानबीन नहीं बल्कि इस विषय को शरीअत की सहायता के बिना हल करना है, और यह बात वास्तव में ऐसी ख़तरनाक है कि इसका परिणाम नास्तिकता, अधर्म और इन्कार के अतिरिक्त और

कुछ नहीं निकल सकता। तक़्दीर का विषय ख़ुदा तआला की विशेषताओं से संबंध रखता है। तो यदि कोई इस विषय को हल कर सकता है तो वह अल्लाह तआला ही है ख़ुदा और उसके रसूल के अतिरिक्त किसी में शक्ति और मजाल नहीं कि इस विषय की वास्तिवकता वर्णन कर सके। बुद्धि इस मैदान में ऐसी ही विवश है जैसे एक छः माह या वर्ष का बच्चा एक ख़तरनाक जंगल में। उस को उस जंगल में यदि कोई चीज़ निकाल सकती है तो वह शरीअत का मार्गदर्शन है। मेरा यह मतलब नहीं कि यह विषय बुद्धि में आ ही नहीं सकता, बल्कि मेरा आशय यह है कि बुद्धि शरीयत के मार्ग-दर्शन के बिना इस विषय को नहीं समझ सकती। अल्लाह तआला के बताने पर उस के मार्ग-दर्शन से बुद्धि इस विषय को भली भांति समझ सकती है और यदि मानवीय बुद्धि इसको तब भी न समझ सकती तो उस पर ईमान लाने का आदेश भी न मिलता।

जिन लोगों ने इस विषय को बुद्धि के द्वारा हल करना चाहा है वह बड़ी-बड़ी खतरनाक गहराईयों का शिकार हुए हैं और दूसरों को भी गुमराह करने का कारण हुए हैं।

तक़्दीर का विषय न समझने का परिणाम –

अतः हिंदुओं में आवागमन का विषय तक़्दीर ही के न समझने के कारण पैदा हुआ है और ईसाइयों में कफ़्फ़ारे का विषय इसी के न जानने के कारण बनाया गया। पहले तो रहम (दया) का इनकार किया गया उस के परिणामस्वरूप कफ़्फ़ारे का विषय पैदा हुआ और कफ़्फ़ारे के परिणामस्वरूप इब्नियत बेटा बनाना और शरीअत को लानत ठहराने के विषय पैदा हुए और फिर आवश्यक तौर पर अवैध बातों को वैध करने का विषय पैदा हुआ। इसी प्रकार तक़्दीर ही के विषय को न समझने के

कारण यूरोप के वर्तमान वैज्ञानिकों में नास्तिकता आई। फिर इसी के न समझने से यहूदियों में विशेष मुक्ति का विषय पैदा हो गया।

अतः यह विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसे न समझकर हिन्दुओं में आवागमन, ईसाइयों में कफ़्फ़ारः और यहूदियों में विशेष मुक्ति, वैज्ञानिकों में नास्तिकता और मुसलमानों में इबाहत (अवैध को वैध करना) तथा दूसरी तरफ़ अपमान और नाकामी आई है। यदि ये लोग इस विषय को समझते तो कभी ठोकर न खाते।अतः पवित्र क़ुर्आन विभिन क़ौमों की गुमराही की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाता है

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ (अल अनआम - 92)

उन्होंने ख़ुदा तआला की विशेषताओं के विषय को भली-भांति नहीं समझा। इसी से ठोकर खाकर उन्होंने नई-नई आस्थाएं पैदा कर लीं।

तो समस्त धर्मों की वास्तविकता और असलियत से फिर जाने का यही कारण है कि उन के अनुयायियों ने ख़ुदा तआला की विशेषताओं के प्रकट होने के विषय को अर्थात् तक़्दीर को सही तौर पर न समझा।

अतः यह अत्यन्त बारीक विषय है और इस में बहुत विचार तथा छानबीन और बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है ताकि इन्सान एक ओर ईमान पर क़ायम हो जाए और दूसरी ओर ख़ुदा के प्रकोप से भी बचा रहे, अन्यथा उसकी छान-बीन और उसके जानने के बिना उसका मानना ही क्या हुआ? क्या कहीं ख़ुदा तआला ने कहा है कि यदि हिमालय पर्वत को मान लो कि वह पर्वत है या रावी नदी को मान लो कि नदी है, या लाहौर शहर को मान लो कि वह शहर है तो मुक्ति पा जाओगे? हरगिज़ नहीं। क्योंकि इन चीज़ों का मानना मुक्ति का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्ति का कारण वही चीजें हो सकती हैं और रूहानियत की उन्नति उन्हीं चीज़ों से हो सकती है जो रूहानियत से संबंध

रखती हैं और उनका मानना यही है कि उनकी वास्तविकता को भली प्रकार समझा जाए, और यदि उन की वास्तविकता को न समझा जाए तो फिर मानना कैसा?

मुसलमानों ने तक़्दीर के विषय में व्यर्थ तौर पर हस्तक्षेप किया –

अत: इस विषय को मानने के लिए उनके बारे में बहुत सोच-विचार करने की आवश्यकता है परन्तु उधर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि इस विषय में जिन क़ौमों ने विवाद किया है तबाह की गई हैं और मेरी उम्मत में से भी एक क़ौम होगी जो इसी कारण से विकृत हो जाएगी।

(अत्तिरमिज़ी अबवाबुल क़द्र बाब मा जाआ फिर्रिज़ाए बिल क़ज़ाए)

परन्तु इसके बावजूद कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसके बारे में विवाद न करने पर बल दिया है और इस के बावजूद कि उसे ईमान का अंग ठहराया है। अफ़सोस है कि मुसलमानों ने बहुत व्यर्थ तौर पर इस में हस्तक्षेप किया है और इस की बजाये कि अपनी आस्था की बुनियाद ख़ुदा तआला के बयान अर्थात् पवित्र क़ुर्आन पर रखते मनुष्य ने अपनी बुद्धि पर बुनियाद रखी और फिर पवित्र क़ुर्आन से उसकी सहायता चाही और क़ुर्आन वह है जो कहता है –

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَاۤءِ وَهٰٓؤُلَاۤءِ مِنْ عَطَاۤءِ رَبِّكَ (बनी इस्राईल - 21)

फिर वह हर विषय के समस्त पहलुओं का वर्णन करता है। अब यदि कोई किसी विषय के एक पहलू को ले ले तथा शेष को छोड़ दे तो वह कहेगा कि यही कि मैंने क़ुर्आन से लिया है, परन्तु वास्तव में उसने क़ुर्आन से नहीं लिया बल्कि क़ुर्आन को आड़ बना लिया है। यदि वह

क़ुर्आन से लेता तो उसके सब पहलुओं को लेता न कि एक पहलू को ले लेता और शेष को छोड़ देता।

एक बार मैं एक स्थान पर गया उस समय मैं छोटा बच्चा था और मदरसे में पढ़ता था। वहां मैंने बोर्डिंग में देखा कि एक लड़का रेवड़ियाँ खा रहा था और इस ढंग से खा रहा था कि उसकी हालत हंसी के योग्य थी। अर्थात् उसने रेवड़ियों को छुपाया हुआ था जैसे डरता है कि अन्य कोई न देख ले। मुझे हंसी आ गई और मैंने पूछा यह क्या करते हो? कहने लगा सुना है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को रेवड़ियाँ पसन्द हैं, इस सुन्नत को पूरा करता हूँ। मैंने कहा आप तो कोनैन भी खाते हैं वह भी खाओ।

एक पहलू ले लेना और दूसरा पहलू छोड़ देना -

तो जहाँ मनुष्य स्वयं को बचाना चाहता है वहां हमेशा ऐसी बातों को ले लेता है जो उसके पक्ष में लाभप्रद हों और दूसरी बातों को छोड़ देता है। परन्तु जो लोग सत्य के अभिलाषी होते हैं वह सब पहलुओं को दृष्टिगत रखते हैं तथा यह परवाह नहीं करते कि इस प्रकार हमारे विचार या झुकाव के विरुद्ध कोई प्रभाव पड़ेगा। अब इसी मतभेद को देख लो जो हमारी जमाअत में हुआ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं शरीअत वाला नबी नहीं। हाँ ऐसा नबी हूँ जिसे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सेवक होने के कारण नुबुव्वत की श्रेणी मिली और मैं उम्मती नबी हूँ। अब एक-दो आदमी उठे जो कहते हैं कि यदि नबी के लिए शरीअत लाना आवश्यक है तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि मैं शरीअत के आदेश लाया हूँ। तो आप शरीअत वाले नबी हुए। उन्होंने दूसरा पहलू छोड़ दिया।

परन्तु हम दोनों पहलुओं को लेते हैं कि हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम शरीअत वाले नबी हैं। यदि मतभेद करने वाले लोग दोनों पहलुओं को लेते तो ठोकर न खाते। हमने दोनों पहलुओं को लिया है कि आप नबी भी हैं और उम्मती भी। तो यह सामान्य नियम है कि जिन लोगों में संयम और ईमानदारी नहीं होती और न स्पष्ट तौर पर इन्कार करने का साहस होता है वे यह तरीका ग्रहण किया करते हैं कि एक भाग को ले लेते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं, तथा एक भाग को लेकर कहते हैं कि हम तो इसको मानते हैं। हालाँकि वह वास्तव में नहीं मानते, जैसा कि कुछ मुसलमान कहलाने वाले कह दिया करते हैं कि हम क़ुर्आन के आदेश (अन्निसा - 44) لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ पर अमल करते हैं। जब कहा जाए कि उसके अगले भाग को क्यों छोड़ते हो तो कहते हैं कि सम्पूर्ण क़ुर्आन पर कौन अमल कर सकता है।

तक़्दीर के संबंध में मुसलमानों की ग़लत आस्थाओं की बुनियाद -

तो यह एक उपद्रव का तरीका होता है और इस से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मना फ़रमाया है। किन्तु अफ़सोस मुसलमानों ने मना करने का कोई ध्यान न रखा

और उस पर अमल कर के बड़ी-बड़ी ठोकरें खाई हैं। उनमें से कुछ ने अपनी आस्थाओं की बुनियाद यूनानी दर्शनशास्त्र पर रखी, कुछ ने हिंदुस्तान के दार्शनिकों की आस्थाओं पर रखी अर्थात् 'वहदतुलवुजूद'✶ पर तथा कुछ ने नास्तिकता पर। हिंदुस्तान में वहदतुलवुजूद का विषय

✶ **वहदतुलवुजूद** - सूफ़ियों की परिभाषा में संसार की समस्त मौजूद वस्तुओं को ख़ुदा समझना। (अनुवादक)

बहुत फैला हुआ था। उसमें और तक़्दीर में कोई अन्तर न समझा गया और उसी को तक़्दीर ठहरा दिया गया, तथा उस पर अपनी आस्थाओं की बुनियाद रख कर यह समझ लिया गया कि जो कुछ हम करते हैं वह ख़ुदा ही कराता है, मनुष्य का उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं है। जैसे बन्दा बन्दा ही नहीं बल्कि ख़ुदा है। उनके मुकाबले में दूसरों ने यह कहा कि जो कुछ मनुष्य करता है उसमें ख़ुदा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सब कुछ बन्दे के अपने ही अधिकार में है। इस आस्था की बुनियाद यूनानी दर्शनशास्त्र पर थी। तो इन दोनों दर्शनशास्त्रों पर मुसलमानों ने तक़्दीर के बारे में अपनी आस्थाओं एवं यथार्थ से दूर दर्शनशास्त्रों को पवित्र क़ुर्आन द्वारा दृढ़ करना चाहा। अत: वे लोग जो कहते हैं कि हमारा चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चोरी करना, व्यभिचार करना, डाका डालना, ठग्गी करना सब ख़ुदा का ही कार्य है हमारा नहीं है। वे कहते हैं कि यही क़ुर्आन से सिद्ध है और जिन्होंने कहा कि ख़ुदा संसदीय सरकार के बादशाह जितना भी हमारे कार्यों में अधिकार नहीं रखता। ऐसा बादशाह तो फिर भी आदेशों पर हस्ताक्षर करता है परन्तु ख़ुदा इतना भी नहीं करता। बल्कि एक ऐसा अस्तित्व है जिस का कारोबार में कोई हस्तक्षेप नहीं है। वह भी यही करते हैं कि यह क़ुर्आन से सिद्ध है। हालाँकि दोनों की बातें ग़लत हैं।

क़ुर्आन इन बातों का खण्डन करता है -

यह कहना कि जो कुछ मनुष्य करता है वह मनुष्य नहीं करता ख़ुदा ही करता है। और यह कहना कि जो कुछ करते हैं हम ही करते हैं, ख़ुदा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह दोनों ऐसी शिक्षाएं हैं कि जिन को बुद्धि एक मिनट के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकती और

किसी क़ुर्आन पढ़ने वाले का यह विचार कर लेना कि इन में से कोई एक शिक्षा पवित्र क़ुर्आन में पाई जाती है एक निरर्थक और व्यर्थ बात है। मैं ने पवित्र क़ुर्आन को "अल्हम्दुलिल्लाह" से लेकर "वन्नास" तक इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ा है कि इस विषय के बारे में वह क्या कहता है? परन्तु मैं निश्चित तौर पर इस परिणाम पर पहुंचा हूँ और यदि कोई दूसरा पढ़ेगा तो वह भी इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि "अलिफ़" से लेकर "वन्नास" की "सीन" तक एक-एक शब्द इन दोनों बातों का खण्डन कर रहा है और पवित्र क़ुर्आन इनको वैध ही किस प्रकार रख सकता है, क्योंकि यह दोनों ग़लत होने के अतिरिक्त शिष्टाचार को क़त्ल और रूहानियत को तबाह करने वाली हैं। इस्लाम ने इस विषय के बारे में वह शिक्षा वर्णन की है कि यदि कोई उसे समझ ले तो ख़ुदा वालो और बहुत बड़े ख़ुदा वाले महान लोगों में से बन सकता है। और इस शैली पर वर्णन किया है कि कोई बुद्धि तथा कोई ज्ञान और कोई दर्शनशास्त्र इस पर ऐतराज़ नहीं कर सकता और बहुत लाभप्रद शिक्षा है। वे लोग जो यह कहते हैं कि तक़्दीर यह है कि जो कुछ वे करते हैं वह ख़ुदा ही कराता है। उदाहरणतया यदि किसी को क़त्ल कर दें तो ख़ुदा ही करता है, हम क्या कर सकते हैं। और दूसरे जो यह कहते हैं कि छोटे-छोटे कामों में हस्तक्षेप करने की ख़ुदा को क्या आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर थूकना, पेशाब करना इत्यादि इनमें ख़ुदा का क्या हस्तक्षेप है। यदि इन में ख़ुदा का हस्तक्षेप माना जाए तो यह एक अपमान है। इन दोनों गिरोहों ने पवित्र क़ुर्आन की जिन आयतों पर अपने विचारों की बुनियाद रखी है उनमें से कुछ के बारे में इस समय मैं वर्णन करता हूँ ताकि पता लग जाए कि उनकी बुनियाद कैसी कमज़ोर है।

इस विचार का खण्डन कि प्रत्येक कार्य ख़ुदा ही कराता है -

वे जो यह कहते हैं कि जो कुछ मनष्य करता है वह ख़ुदा ही कराता है उसमें मनुष्य का कुछ हस्तक्षेप नहीं होता। वे अपने समर्थन में सूरह अस्साफ़्फ़ात की यह आयत प्रस्तुत करते हैं :-

(अस्साफ़्फ़ात - 97) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

कि अल्लाह ने तुम को पैदा भी किया है और तुम्हारे अमल को भी पैदा किया है। वे कहते हैं जब हमें भी ख़ुदा ने पैदा किया और हमारे अमल (कार्य) को भी ख़ुदा ने पैदा किया तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कुछ कर रहा है ख़ुदा ही कर रहा है, फिर कौन है जो कहे कि मैं कुछ करता हूँ। वे समझते हैं कि इस आयत ने इस विषय को उनके विचार के अनुसार स्पष्ट तौर पर हल कर दिया है। परन्तु वास्तव में उन्होंने वही ग़लती की है जिसकी मैंने अभी चर्चा की है और वह यह है कि उन्होंने आयत का एक टुकड़ा ले लिया है और दूसरे को साथ नहीं मिलाया। इसी आयत से पहली आयत यह है –

(अस्साफ़्फ़ात - 96) قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ

अरबी भाषा के नियमानुसार "मा" कभी क्रिया पर आकर उसके अर्थ धातु (मस्दर) के कर देता है और कभी वह मिलाने वाला होता है जिसका उर्दू अनुवाद "जो" या "वह जो" करते हैं। जो लोग وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ के अर्थ यह करते हैं कि अल्लाह ने तुम को भी पैदा किया और तुम्हारे कर्मों को भी। वह इस जगह मस्दर (धातु) के अर्थ लेते हैं। परन्तु पहली आयत से स्पष्ट है कि यहाँ धातु के अर्थ नहीं। क्योंकि पहली आयत यह है कि قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ को मिलाकर पढ़ा जाए और उसके यह अर्थ किए जाएँ कि "हालाँकि अल्लाह ने तुम को

भी पैदा किया और तुम्हारे कर्मों को भी।" तो इस आयत के अर्थ ही कुछ नहीं बनते और दूसरी आयत पहली का खण्डन करती है। क्योंकि पहली आयत में तो यह बताया गया है कि तुम क्यों उस चीज़ को पूजते हो जिसे स्वयं काट-छांट कर बनाते हो। और दूसरी में यह बताया गया है कि तुम को भी और तुम्हारे कर्मों को भी ख़ुदा ने पैदा किया है। और यह इबारत न केवल बे-मेल है बल्कि विपरीत है, क्योंकि जब ख़ुदा ने ही उनके कर्म पैदा किए हैं तो उनसे क्यों पूछा जाता है कि तुम मूर्तियों की क्यों पूजा करते हो?

अतः यह अर्थ इस आयत के हो ही नहीं सकते, बल्कि इन दोनों आयतों के यह अर्थ हैं कि क्या तुम लोग उस चीज़ की पूजा करते हो जिसे स्वयं अपने हाथ से ख़रादते हो। हालाँकि अल्लाह तआला ने तुम को भी पैदा किया है और उस चीज़ को भी पैदा किया है जिसे तुम बनाते हो अर्थात् मूर्तियों को। और "مـا" अपने बाद आने वाली क्रिया के साथ जिस प्रकार पहली आयत में 'कर्म' के अर्थों में है। इसी प्रकार दूसरी आयत में भी और مَعْمُوْلُكُمْ के अर्थ مَا عَمَلُكُمْ के हैं। अर्थात् जो चीज़ तुम बनाते हो।

निष्कर्ष यह है कि इस आयत के अर्थ ही ग़लत किए जाते हैं और स्वयं इस आयत से पहली आयत इसके अर्थों को हल कर देती है। और इस से मालूम होता है कि इस आयत में मनुष्य के कर्मों की पैदायश का कहीं वर्णन नहीं।

दूसरी आयत का सही मतलब-

इस आयत के अतिरिक्त ये लोग कुछ अन्य आयतें भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से एक दो मोटी-मोटी आयतों का वर्णन मैं इस समय कर देता

हूँ। एक यह आयत प्रस्तुत की जाती है :-

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (अत्तौबा - 51)

कि हमें नहीं पहुँचेगा कुछ भी परन्तु वही जो अल्लाह ने लिख छोड़ा है। अल्लाह तआला ही हमारा मौला है और उसी पर भरोसा करते हैं मोमिन।

वे कहते हैं कि जब ख़ुदा कहता है कि मनुष्य को वही मिलता है जो पहले उसके लिए लिख छोड़ा गया है। अब खाना, दाना, कपड़ा-लत्ता, रुपया-पैसा जितना ख़ुदा ने लिख छोड़ा है कि इतना-इतना अमुक को मिले उस से अधिक या कम नहीं हो सकता। या यह कि अमुक, अमुक को अमुक ढंग से क़त्ल करे। अमुक, अमुक स्थान पर अमुक के हाथ से फांसी पाए, तो फिर मनुष्य का क्या अधिकार? हालाँकि बात बिल्कुल और है। यहाँ काफ़िरों के साथ ख़ुदा तआला युद्ध का वर्णन करता है और कहता है कि मुसलमानों को युद्ध से कोई कष्ट पहुँचता है तो मुनाफ़िक (कपटाचारी) लोग प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हम ने अपना प्रबंध पहले से कर रखा था। इसलिए हम इस कष्ट से बच गए। मुसलमान मूर्ख हैं कि अपने से अधिक शक्तिशाली तथा ज़बरदस्त लोगों से मुक़ाबला करते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है, मूर्ख तो तुम हो और अन्धे तुम हो। तुम समझते हो कि मुसलमान हार जायेंगे, परन्तु यह नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ख़ुदा ने अपनी निर्धारित सुन्नत (नियम) के अन्तर्गत कि उसके रसूल हमेशा विजयी रहेंगे निर्धारित कर छोड़ा है कि मुसलमान जीत जायेंगे।

अत: यहाँ हर एक कर्म ख़ुदा तआला के आदेश के अधीन होने का वर्णन नहीं बल्कि केवल इस बात के निर्धारित होने का वर्णन है कि मोमिन काफ़िरों पर विजय पाएंगे और जीत जायेंगे, न यह कि डाका

मारना चोरी करना, ठगी करना, झूठ बोलना ख़ुदा ने लिख दिया है। फिर दूसरे स्थान पर ख़ुदा तआला फ़रमाता है –

(अलमुजादल: - 22) كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ

मैंने निर्धारित कर दिया है कि मैं और मेरे रसूल अपने शत्रुओं पर विजयी रहेंगे।

इस आयत में كَتَبَ से अभिप्राय मानवीय कर्म नहीं बल्कि रसूल और मोमिन की विजय अभिप्राय है।

तीसरी आयत का सही मतलब –

फिर एक आयत यह प्रस्तुत करते हैं

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

(अल आराफ़ - 180)

फ़रमाया – हम ने पैदा कर छोड़े नर्क के लिए जिन्नों और इन्सानों में से बहुत से लोग। उनकी पहचान का लक्षण यह है कि उनके दिल हैं, परन्तु समझते नहीं और उनकी आँखें हैं, परन्तु देखते नहीं, और उनके कान हैं परन्तु सुनते नहीं। वे जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी अधिक गुमराह और लापरवाह।

इस आयत को लेकर कहते हैं कि मैंने नर्क के लिए बहुत से जिन्न और इन्सान पैदा किए हैं। तो जब ख़ुदा ने बहुत से लोगों को नर्क के लिए पैदा किया है, तो फिर कौन है जो इन लोगों को जिन्हें नर्क के लिए पैदा किया गया है बुरे काम करने से रोक सके। अवश्य है कि वे ऐसे कर्म करें जो उन्हें नर्क में ले जाएँ। परन्तु इस आयत के भी जो अर्थ

किए जाते हैं वे ग़लत हैं। अरबी भाषा में 'لَ' (लाम) का अक्षर कभी कारण बताने के लिए आता है और कभी परिणाम बताने के लिए। जिसे परिभाषा में "लामुल आक़िबत" (परिणाम का लाम) कहते हैं। इस स्थान पर لِجَهَنَّمَ का जो 'لَ' (लाम) है वह इस उद्देश्य से है और उसके यह अर्थ नहीं कि हमने जिन्नों और इन्सानों को इसलिए पैदा किया है कि उनको नर्क में दाख़िल करें, क्योंकि ये अर्थ दूसरी आयतों के विरुद्ध हैं। जैसा कि फ़रमाया है –

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (अज़्ज़ारियात – 57)

मैंने जिन्नों और इन्सानों को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और "अब्द" के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाता है –

فَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ (अलफ़ज्र – 31) जो अब्द होता है उसका स्थान स्वर्ग है।

तो इन आयतों के होते हुए وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ के ये अर्थ हो ही नहीं सकते कि अल्लाह तआला ने बहुत से लोगों को नर्क के लिए पैदा किया है। मनुष्य को तो केवल ख़ुदा का अब्द (बन्दा) बनने और स्वर्ग का पात्र होने के लिए पैदा किया गया है। और जब यह अर्थ सही नहीं तो फिर अन्य अर्थ करने पड़ेंगे और वे यही हैं कि यहाँ 'لَ' "लामुल आक़िबत" है। और इस आयत के यह अर्थ हैं – कि हमने मनुष्य को पैदा किया परन्तु जानने बनाने की बजाए नर्क के हक़दार हो गए। अतः अतः 'لَ' (लाम) इन अर्थों में अरबी भाषा में बड़ी प्रचुरता से प्रयोग किया गया है। स्वयं पवित्र क़ुर्आन में भी दूसरे स्थान पर इन अर्थों में इस्तेमाल हुआ है। अरबों के कलाम में इसका एक उदाहरण यह शे'र है –

اَمْوَالُنَا لِذَوِى الْمِيْرَاثِ نَجْمَعُهَا
وَدُوْرُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيْهَا

अर्थात् हम माल इसलिए एकत्र करते हैं ताकि उसे वारिस ले जाएँ और घर इसलिए बनाते हैं कि समय उसे ख़राब कर दे।

अब स्पष्ट है कि मालों को एकत्र करने और घरों को बनाने का यह उद्देश्य नहीं होता। परिणाम यही होता है। तो शायर का यही अभिप्राय है कि लोग माल एकत्र करते हैं और रिश्तेदार उसे ले जाते हैं तथा घर बनाते हैं, परिणाम यह होता है कि ज़माना उन घरों को ख़राब कर देता है।

पवित्र क़ुर्आन में एक बहुत स्पष्ट उदाहरण सूरह क़सस में आता है जहाँ अल्लाह तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाता है –

فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا

(अलक़सस – 9)

अर्थात् हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया तो उनको फ़िरऔन के लोगों ने इसलिए उठा किया कि वह बड़ा होकर उनका शत्रु बने और उनके लिए खेद का कारण हो।

परन्तु यह बात स्पष्ट है कि आले फ़िरऔन की मूसा अलैहिस्सलाम को उठाने में यह नीयत नहीं हो सकती थी। जैसा कि अगली आयत में ही है उनकी यह नीयत नहीं थी बल्कि इसके विरुद्ध थी। तो अगली आयत में अल्लाह तआला फ़रमाता है फ़िरऔन की पत्नी ने फ़िरऔन से कहा कि –

عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

(अलक़सस – 10)

अर्थात् करीब है कि यह बच्चा हमें लाभ दे या या हम उसे बेटा बना लें। परन्तु वे जानते न थे कि वह बड़ा होकर उनके विनाश का कारण होगा।

तो आयत के यही अर्थ हैं कि फ़िरऔन के लोगों ने उसको उठा

लिया परन्तु अंत में वह बच्चा उनका शत्रु हुआ तथा उनके लिए खेद का कारण हुआ। और यही अर्थ इस जगह وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ में लाम (ل) के हैं।

अत: इस आयत से यह भी सिद्ध करना कि ख़ुदा तआला ज़बरदस्ती कुछ लोगों को नारकीय बनाता है तथा कुछ को जन्नती, सही नहीं।

चौथी आयत का सही मतलब –

इसी प्रकार यह आयत प्रस्तुत करते हैं कि :-

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ

(यूनुस – 89)

मूसा ने कहा कि हे ख़ुदा! तू ने फ़िरऔन और उसके सरदारों को इसलिए दौलत दी थी ताकि वे लोगों को गुमराह करें।

परन्तु इस आयत का यह भी मतलब नहीं कि उनको लोगों को गुमराह करने के लिए दौलत दी गई थी, बल्कि जैसा कि पहली आयत के बारे में बता आया हूँ यहाँ भी "लाम" परिणाम का है और मतलब यह है कि –

हे ख़ुदा! तू ने उनको इस उद्देश्य से दौलत न दी थी कि लोगों को गुमराह करें। परन्तु यह ऐसा ही करते हैं।

पांचवीं आयत का सही मतलब –

फिर कहते हैं कि एक आयत ने हमारे मतलब को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और वह यह है –

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ

مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَإِنْ
تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا

(अन्निसा - 79)

फ़रमाया – जहाँ कहीं तुम होगे वहीं तुम्हे मौत पहुँच जाएगी चाहे सुदृढ़ किलों में ही क्यों न हो। यदि उनको भलाई पहुँचती है तो कहते हैं कि अल्लाह की ओर से है यदि बुराई पहुँचती है तो कहते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से है। फ़रमाया – इन को कह दो सब अल्लाह की ओर से है। इन को हो क्या गया, इतनी सी बात भी नहीं समझते।

कहते हैं कि देखो इस आयत से बिल्कुल स्पष्ट है कि भलाई-बुराई ख़ुदा की ओर से पहुँचती है, परन्तु वे समझते नहीं कि प्रथम तो प्रत्येक कार्य चाहे बुरा हो या भला परिणाम अल्लाह तआला की ही ओर से मिलते हैं, तथा इस बात से कौन इन्कार करता है कि हर एक कार्य का दण्ड या प्रतिफल ख़ुदा तआला की ओर से मिलता है। किन्तु यदि यह भी मान लिया जाए कि भलाई और बुराई ख़ुदा तआला ही की ओर से आती है तो फिर भी कुछ हानि नहीं। मूल बात यह है कि कभी सेवक के काम को मालिक की ओर सम्बद्ध कर दिया जाता है चाहे उस का आशय इस काम के बारे में हो या न हो। उदाहरणतया एक मालिक का नौकर यदि किसी को कोई कष्ट पहुंचाता है तो यद्यपि मालिक का यह उद्देश्य नहीं होता कि तुम्हारी ओर से हमें यह कष्ट पहुंचा और इस प्रकार नौकर के कष्ट देने को मालिक की तरफ़ मन्सूब (सम्बद्ध) कर देते हैं इस नियम के अधीन इस आयत के अर्थ किए जाएँ तो यह अर्थ होंगे कि वे चीज़ें जिन के इस्तेमाल से गुनाह पैदा हुआ वे चूंकि ख़ुदा

तआला की पैदा की हुई हैं, इसलिए ख़ुदा के बारे में कह दिया गया कि जैसे बुराई और भलाई उसी की तरफ़ से आई है, और इन अर्थों से कर्मों में जब सिद्ध नहीं होता और यह परिणाम हरगिज़ नहीं निकलता कि ख़ुदा तआला ज़बरदस्ती पकड़ कर बुराई कराता है बल्कि यह कि ख़ुदा ने मनुष्य में कुछ शक्तियाँ पैदा की हैं जिनको बुरे तौर पर इस्तेमाल करके मनुष्य ज़िना (व्यभिचार) या चोरी करता है।

लेकिन वास्तविक अर्थ इस आयत के वही हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ अर्थात् यहाँ कर्मों का वर्णन नहीं बल्कि दु:ख और सुख का वर्णन है पहले तो अल्लाह तआला मुनाफिकों से कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो तुम को मृत्यु पहुँच जाएगी। अर्थात् ख़ुदा तआला ने तुम्हारे दुष्कर्मों के कारण तुम्हारे लिए मृत्यु का दण्ड प्रस्तावित किया है। अब चूंकि यह फ़ैसला हो चुका है चाहे कितनी भी सावधानी से काम लो कुछ नहीं कर सकते। फिर फ़रमाता है कि ये लोग सुख को अल्लाह तआला की तरफ़ सम्बद्ध करते हैं। यह उनकी मूर्खता है। तेरा प्रतिफल और दण्ड में क्या हस्तक्षेप एवं संबंध है। सुख और दु:ख बतौर परिणामों के अल्लाह तआला की तरफ़ से आता है। अर्थात् यह अल्लाह तआला फ़ैसला करता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक कर्म के बदले में अमुक सुख या अमुक दु:ख पहुंचे तेरा इस में क्या संबंध है। यह तो ख़ुदा की शक्ति है जो उसने किसी बन्दे के अधिकार में नहीं दी। इसलिए फ़रमाता है कि इन लोगों को क्या हुआ कि ये इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते। इसलिए अगली ही आयत में इसकी और व्याख्या कर दी कि -

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ (अन्निसा - 80)

अर्थात् जो कुछ सुख तुझे पहुँचता है वह अल्लाह तआला की तरफ़

से है और जो दुःख पहुँचता है वह तेरी जान के कारण है।

अब यदि पहली आयत के ये अर्थ लिए जाएँ कि सब कर्म ख़ुदा तआला की तरफ़ से हैं तो फिर आयत के कुछ अर्थ ही नहीं बन सकते। इस आयत के अर्थ तब ही हो सकते हैं जबकि पहली आयत के वे अर्थ किए जाएँ जो मैंने किए हैं और इस स्थिति में इस दूसरी आयत के ये अर्थ होंगे कि जो अच्छा बदला है वह ख़ुदा तआला की तरफ़ से है क्योंकि भलाई की तहरीक उसकी तरफ़ से होती है और जो दुःख हो वह मनुष्य की ओर से होता है। क्योंकि दुःख ग़लती का परिणाम है और ग़लती की तहरीक अल्लाह तआला की तरफ़ से नहीं होती।

छठी आयत का सही मतलब -

फिर कहते हैं एक और आयत ने तो मतलब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और वह यह है -

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ

(आल इमरान - 155)

उन से कह दे यदि तुम अपने घरों में भी होते तो तब भी वे लोग जिन के बारे में क़त्ल का फैसला किया गया था अपने क़त्ल होने के स्थानों की ओर निकल खड़े होते हैं।

इस से मालूम होता है कि सब कुछ ख़ुदा ही करता है। इसका उत्तर यह है कि पहले तो जैसा मैं पहली आयत के बारे में वर्णन कर चुका हूँ, इस स्थान पर भी प्रतिफल की चर्चा है कर्मों की चर्चा नहीं। यह आयत उहद-युद्ध के बारे में है। इस युद्ध में पहले तो मुनाफ़िक़ लोग मुसलमानों के साथ युद्ध में निकल खड़े हुए थे। परन्तु ठीक अवसर होते ही एक हज़ार लोगों में से तीन सौ लोग वापस लौट आए। इस प्रकार

उन्होंने अपने विचार में यह समझा कि हम मुसलमानों को धोखा देकर युद्ध में फंसा आए हैं, क्योंकि शत्रु के सामने जाकर लौटना कठिन होता है और युद्ध के पश्चात मुसलमानों पर हंसी-ठट्ठा करना आरंभ किया कि तुम ने यों ही स्वयं को खतरे में डाला। अल्लाह तआला फरमाता है - हे मूर्खो! तुम यह समझ रहे हो कि हम साथ जाकर मुसलमानों को फंसा आए। हमारी मदद के भरोसे पर ये लोग युद्ध के लिए आए थे। अत: सुनो यदि तुम सुरक्षित क़िलों में भी होते अर्थात् मदीना जैसा असुरक्षित स्थान तो अलग रहा, यदि क़िलों की सुरक्षा भी होती तब भी वे लोग जिन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया था काफ़िरों के मुकाबले में युद्ध करने के लिए निकलने से न डरते और अवश्य बाहर निकल कर दुश्मन का मुक़ाबला करते।

तो यहाँ كُتِبَ के अर्थ मुक़द्दर होने के नहीं हैं बल्कि अनिवार्य किए जाने के हैं। जैसा कि फ़रमाया कि -

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (अलबक़रह - 184)

तुम पर रोज़े अनिवार्य कर दिए गए हैं और अलक़त्ल के अर्थ क़त्ल होने के नहीं बल्कि क़त्ल करने के हैं और इन अर्थों में यह शब्द पवित्र क़ुर्आन में बहुत से स्थानों पर आया है। जैसा कि

اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (अलबक़रह - 192) और

فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ (बनी इस्राईल - 34) और

اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا (बनी इस्राईल - 32)

अत: इस आयत में बताया गया है कि मोमिन तो अल्लाह तआला के आदेशों के मानने में ख़ुशी पाता है। कभी भी सुस्ती नहीं दिखाता। मदीना तो कोई सुरक्षित किला नहीं है। यदि मुसलमान बाहर न जाते तो काफ़िर यहाँ आ सकते थे। यदि क़िलों की सुरक्षा होती और मुसलमानों को

बाहर निकल कर आक्रमण करने का आदेश होता तब भी उनको यह बात बुरी न लगती और शौक़ से अपने कर्तव्य को अदा करते।

इस विचार का खण्डन कि ख़ुदा कुछ भी नहीं करता -

अत: इन आयतों में से किसी से भी यह नहीं निकलता कि ख़ुदा इन्सान को मजबूर कर के उससे प्रत्येक कार्य कराता है और जब यह नहीं निकलता तो उन लोगों का तर्क जो यह कहते हैं कि प्रत्येक कार्य ख़ुदा ही कराता है बिल्कुल ग़लत हो गया। और जो यह कहते हैं कि ख़ुदा कुछ भी नहीं करता और उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है उनकी आस्था भी पवित्र क़ुर्आन से ही ग़लत सिद्ध होती है। उदाहरणतया इस आयत को ले लो। ख़ुदा तआला फ़रमाता है -

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغۡلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیۡ (अलमुजादल: 22)

कि मैंने अनिवार्य कर दिया है कि मैं और मेरे रसूल अपने विरोधियों पर विजयी हों।

अब देख लो कि एक नबी जिस समय दुनिया में आता है उस समय उसकी हालत दुनिया की दृष्टि से बहुत कमज़ोर होती है परन्तु ख़ुदा तआला कहता है कि चाहे सब दुनिया भी उसके विरुद्ध ज़ोर लगाए उस पर विजयी नहीं हो सकती। अत: आज तक ऐसा होता चला आया है कि कभी दुनिया ख़ुदा तआला के किसी रसूल पर विजयी नहीं हो सकी। इस से मालूम हुआ कि ख़ुदा तआला का हस्तक्षेप है और अवश्य है। अन्यथा क्या कारण है कि दुनिया रसूलों पर विजयी नहीं हो सकती? तो यह विचार भी ग़लत सिद्ध हो गया।

ख़ुदा के ज्ञान और तक़्दीर के विषय को आपस में मिला देना -

असल बात यह है कि जिन लोगों ने तक़्दीर को इस प्रकार ठहराया है कि जो कुछ हो रहा है ख़ुदा ही कर रहा है हमारा उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं। उनके विचार की बुनियाद यद्यपि 'वहदतुलवुजूद' (कण-कण में ख़ुदा है) के विषय पर है परन्तु उनको एक अन्य विषय से ठोकर लगी है और उसी ने मुसलमानों को अधिक उपद्रव में डाला है बात यह है कि उन्होंने ख़ुदा के ज्ञान और तक़्दीर के विषय को एक दूसरे से मिला दिया है। हालाँकि यह दोनों विषय बिल्कुल अलग-अलग हैं। इसका मोटा सबूत यह है कि ख़ुदा तआला का एक नाम अलीम और एक क़दीर है। अब प्रश्न होता है कि यदि ख़ुदा का ज्ञान और तक़्दीर एक ही बात है। तो ख़ुदा तआला के ये दो नाम अलग-अलग क्यों हैं? क़दर कदीर से संबंध रखता है अर्थात् क़ुदरत वाला और इल्म (ज्ञान) अलीम से संबंध रखता है। अर्थात् जानने वाला। परन्तु इन लोगों ने इस बात को समझा नहीं। वे कहते हैं कि ज़ैद जो चोरी करने चला है ख़ुदा को यह पता था या नहीं कि ज़ैद चोरी करने जाएगा। यदि पता था और ज़ैद चोरी करने न जाए तो ख़ुदा का ज्ञान झूठा हो जाएगा। इसलिए मालूम हुआ कि ज़ैद चोरी करने के लिए जाने पर मज्बूर था और यह भी मालूम हुआ कि ख़ुदा उसे ऐसा करने पर मज्बूर करता है, क्योंकि यदि वह ऐसा न करे तो ख़ुदा का ज्ञान झूठा निकलता है। इस ढंग से ये लोग आम लोगों पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं और उन से स्वीकार करवा लेते हैं कि प्रत्येक कार्य ख़ुदा तआला ही करवाता है। हालाँकि मूर्ख बात को उलटे तौर पर ले जाते हैं। हम कहते हैं यह ग़लत है कि चूंकि ख़ुदा के ज्ञान में था कि ज़ैद चोरी करेगा, इसलिए वह चोरी को छोड़ नहीं

सकता। बल्कि बात यह है कि चूंकि ज़ैद ने चोरी को नहीं छोड़ना था इसलिए ख़ुदा को ज्ञान था कि वह चोरी करेगा। इसका उदाहरण ऐसा ही है कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी बातों से हमें पता लग जाता है कि उसने अमुक स्थान पर डाका डालना है। अब क्या हमारी इस जानकारी से कोई बुद्धिमान यह कहेगा कि चूंकि हम ने जान लिया था कि वे अमुक स्थान पर डाका डालेगा, वह डाका डालने पर मज्बूर था और हमने उस से डाका डलवाया है। हरगिज़ नहीं। यही हाल ख़ुदा तआला के आलिम होने का है। ज़ैद ने आज जो काम करना था ख़ुदा तआला के मज्बूर करने के बिना करना था। परन्तु चूंकि ख़ुदा तआला आलिम (बहुत जानने वाला) है और हर बात का उसे ज्ञान है। इसलिए उसके बारे में उसे ज्ञान था कि ज़ैद ऐसा करेगा। इसी प्रकार चूंकि ज़ैद ने चोरी को नहीं छोड़ना था, इसलिए ख़ुदा तआला को ज्ञान था कि उसने चोरी करनी है और जिसने छोड़नी थी उसके बारे में उसे यह ज्ञान है कि वह चोरी छोड़ देगा। तो फिर ख़ुदा तआला का ज्ञान किसी कार्य के करने का कारण नहीं है बल्कि वह कार्य ख़ुदा तआला के ज्ञान का कारण है।

अतिरिक्त स्पष्टीकरण –

ज़मींदार भाई शायद इसको न समझे हों। इस लिए फिर सुनाता हूँ। कुछ लोग जो यह कहते हैं कि प्रत्येक कार्य ख़ुदा कराता है और इस के सबूत में कहते हैं कि ख़ुदा को यह पता था या नहीं कि अब्दुल्लाह अमुक दिन चोरी करेगा या डाका डालेगा। यदि नास्तिकों का विचार सही मान लिया जाए कि ख़ुदा नहीं है तो कहा जा सकता है कि अब्दुल्लाह जो कुछ करेगा अपनी इच्छा और विचार से करेगा। परन्तु चूंकि ख़ुदा है,

इसलिए उस को पता है कि अब्दुल्लाह अमुक दिन यह कार्य करेगा। यदि वह उस दिन यह कार्य न करे तो ख़ुदा का ज्ञान ग़लत ठहरता है। तो ख़ुदा उसे मजबूर करता है कि वह उस दिन चोरी करे या डाका डाले या व्यभिचार करे। हम कहते हैं कि यह ग़लत है कि चूंकि ख़ुदा को ज्ञान है कि अब्दुल्लाह ने अमुक दिन चोरी करनी है, इसलिए वह चोरी करता है बल्कि बात यह है कि चूंकि अब्दुल्लाह ने उस दिन ऐसा करना था इसलिए यह बात ख़ुदा के ज्ञान में आई है। यदि उस ने चोरी न करनी होती और ख़ुदा के ज्ञान में यह बात होती कि उस ने चोरी करनी है तो यह अज्ञानता कहलाती, ज्ञान न कहलाता। तो चोर चोरी इसलिए नहीं करता के ख़ुदा तआला के ज्ञान में यह बात थी कि वह चोरी करेगा, बल्कि ख़ुदा तआला को इस बात ज्ञान इसलिए हुआ कि चोर ने चोरी करनी थी। अतः यह धोखा ज्ञान और तक़्दीर के मिला देने के कारण लगा है किन्तु यह दोनों अलग-अलग विशेषताएं है और एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है।

ख़ुदा तआला बुरा काम करने से रोक क्यों नहीं देता -

यहाँ प्रश्न यह पैदा होता है कि ख़ुदा तआला को जब यह ज्ञान था कि अमुक व्यक्ति अमुक समय यह बुरा काम करेगा तो उसे रोक क्यों नहीं देता? उदाहरणतया यदि ख़ुदा को ज्ञान है कि अमुक व्यक्ति चोरी करेगा तो उसने उसे चोरी करने से क्यों न रोक दिया? हमारे पास यदि एक व्यक्ति सुन्दर सिंह डाकू आए और कहे कि मैंने अमुक समय जीवनलाल के घर डाका डालना है तो इस ज्ञान के बाद यदि हम चुप बैठे रहें तो हम अपराधी होंगे कि नहीं? निस्सन्देह शरीअत, नैतिक, सामाजिक तथा अपने देश के कानून की दृष्टि से हम अपराधी होंगे। हालाँकि संभव

है कि हमें कोई अन्य कार्य हो और हम जीवन लाल को न बता सकें कि उसके घर अमुक समय डाका पड़ेगा या संभव है कि यह ख़तरा हो कि यदि बताया तो डाकू हमें मार देंगे। तो जब इसके बावजूद कि उस डाकू को अपने इरादे से रोकने में हमें ख़तरे हैं यदि हम उसे नहीं रोकते या ऐसे लोगों को सूचना नहीं देते जो उसे रोक सकते हैं हम आरोप के अन्तर्गत आ जाते हैं। तो फिर ख़ुदा तआला जो शक्तिशाली और क़ुदरत वाला है उस को किसी का डर नहीं तथा कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, उस पर अधिक आरोप आता है कि वह ज्ञान रखने के बावजूद डाकू को क्यों नहीं रोक देता या जिसके घर डाका पड़ना हो उसे बता नहीं देता, ताकि वह अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर ले। यह विचित्र बात है कि मनुष्य तो असमर्थ भी हो, क्योंकि उसकी असमर्थता का कोई न कोई कारण हो सकता है वह इसके बावजूद पकड़ा जाए। परन्तु ख़ुदा पर उसके शक्तिशाली होने के बावजूद कोई आरोप न आए?

यह आरोप केवल विचार की कमी का परिणाम है। इसलिए कि ख़ुदा तआला के बारे में इस उदाहरण का प्रस्तुत करना ही ग़लत है, और दुनिया में मनुष्य के पैदा होने के उद्देश्य को न समझने के कारण यह उदाहरण बनाया गया है। ख़ुदा का जो संबंध बन्दों से है उसका सही उदाहरण यह है कि लड़कों की परीक्षा हो रही है और सुप्रिन्टेण्डेन्ट उसकी निगरानी कर रहा है। क्या उसके लिए यह वैध (जायज़) है कि जो लड़का ग़लत सवाल हल कर रहा हो उसको बता दे? नहीं। तो जब मनुष्य को दुनिया में इसलिए पैदा किया गया है कि उसे परीक्षा में डालकर इनाम का वारिस बनाया जाए। तो यदि उसके ग़लती करने पर उसे बता दिया जाए कि तू अमुक ग़लती कर रहा है तो फिर परीक्षा कैसी? और इनाम किस का? इस मामले में ख़ुदा तआला का जो संबंध बन्दों से है

वह वही है जो उस सुप्रिन्टेण्डेन्ट का होता है जो परीक्षा के कमरे में फिर रहा हो और जो देख रहा हो कि लड़के प्रश्नों के ग़लत हल भी कर रहे हैं और सही भी। तो ज्ञान के बावजूद अल्लाह तआला का बन्दों को एक-एक करके न रोकना उसकी शान के विरुद्ध नहीं बल्कि उस उद्देश्य के बिल्कुल अनुसार है जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य पैदा किया गया है।

सूफ़ियों के वाक्य -

आज के सूफ़ियों में ज्ञान और तक़्दीर में अन्तर न समझने के कारण बड़े विचित्र प्रकार के विचार फैले हुए हैं और कुछ विशेष वाक्य हैं जो इस समय के सूफ़ियों के मुंह पर चढ़े हुए हैं तथा जिन्हें ख़ुदा की इबादत का विशेष लक्षण समझा जाता है और जिन के द्वारा वे अनजान लोगों पर अपना रोब जमाते हैं, परन्तु बुद्धिमान मनुष्य उनके काबू में नहीं आ सकता। अत: मैं इस बारे में अपनी एक घटना सुनाता हूँ जो एक चुटकुले से कम नहीं।

मैं एक बार लाहौर से आ रहा था दो-तीन दोस्त मुझे स्टेशन पर छोड़ने आए। यह 1910 ई की घटना है। जब हम रेल के एक डिब्बे में प्रवेश करने लगे तो उसके आगे कुछ लोग खड़े थे। मियाँ मुहम्मद शरीफ साहिब जो आजकल अमृतसर में ई.ए.सी. हैं, उन्होंने मुझे कहा– आप इसमें न बैठें। इसमें अमुक पीर साहिब और उनके मुरीद हैं (यह पीर साहिब पंजाब के प्रसिद्ध पीर हैं और इस समय हमारे सूबे के पीरों में शायद उनकी गद्दी सब से अधिक चल रही है) शायद कुछ हानि पहुंचाएं। इस पर कोई और डब्बा तलाश किया गया परन्तु न मिला। मियाँ साहिब ने मशवरा दिया कि सेकेण्ड क्लास में जगह नहीं इन्टर क्लास में ही बैठ जाएँ। परन्तु डाक्टर ख़लीफ़ा रशीदुद्दीन साहिब

भी साथ थे, उन्होंने कहा नहीं इसी कम्पार्टमेंट में बैठना चाहिए। इन लोगों का डर क्या है। मैं तो पहले ही यह चाहता था। अत: मैं उसी कम्पार्टमेंट में जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद जब गाड़ी चलने लगी तो सब लोग चले गए और मालूम हुआ कि पीर साहिब अकेले ही मेरे सहयात्री हैं। स्टेशन पर पीर साहिब से लोगों ने पूछा कि आप कुछ खाएंगे तो उन्होंने इन्कार कर दिया था और कहा था कि मुझे इस समय भूख नहीं, मैं तो अमृतसर जाकर ही कुछ खाऊंगा, परन्तु ज्यों ही गाड़ी चली उन्होंने जो उस हरे कपडे को जो पगड़ी पर डाला हुआ था और जिस से मुंह का एक भाग ढका हुआ था उतार दिया और खिड़की से मुंह निकाल कर अपने नौकर को जो नौकरों के डिब्बे में था आवाज़ दी कि क्या कुछ खाने को है? उसने उत्तर दिया कि खाने को तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। इस पर उसने कहा कि अच्छा मियां मीर चल पर चाय का कुछ प्रबंध करूँगा। इस पर उन्होंने पूछा कि वह ख़ुश्क मेवा जो तेरे पास था वही दे दे। तो उसने मेवे का रूमाल निकाल कर पीर साहिब को पकड़ा दिया, जो उन्होंने अपने पास रख लिया। इसके बाद वह मुझसे बात करने लगे और पूछा कि आप का परिचय? मैंने कहा मेरा नाम महमूद अहमद है। फिर कहा आप कहाँ जायेंगे? मैंने कहा क़ादियान। इस पर उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आप क़ादियान के निवासी हैं या क़ादियान केवल किसी काम से जा रहे हैं? मैंने उत्तर दिया मैं क़ादियान का निवासी हूँ। इस पर वह कुछ होशियार हुए और पूछा कि क्या आप का मिर्ज़ा साहिब से कुछ संबंध है? मैंने कहा हाँ! मुझे उन से संबंध है। इस पर उन्होंने पूछा – क्या संबंध है? मैंने उत्तर दिया कि मैं उनका बेटा हूँ। इस पर उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और कहा ओ हो! मुझे

आप से मिलने की बहुत ख़ुशी हुई, क्योंकि मुझे लम्बे समय से आप से मिलने का शौक़ था। उनकी यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि उन पीर साहिब को हमारे सिलसिले से बहुत दुश्मनी है और उनका फ़त्वा है कि जो अहमदी से बात भी कर जाए उसकी पत्नी को तलाक़ हो जाती है, परन्तु मैं चुप रहा और इस बात की प्रतीक्षा में रहा कि अगली बात किस दिशा में जाती है। इस मर्हले पर पहुँच कर उन्होंने वह मेवे का रूमाल खोला और अपने स्थान से उठकर उस बैंच पर आ बैठे जो मेरे और उनके बैंच के बीच था और रूमाल खोल कर मेरे सामने बिछा दिया कि आप भी खाएं। चूंकि मुझे खांसी और ज़ुकाम की शिकायत थी मैंने इन्कार किया और कहा कि चूंकि मुझे गले का कष्ट है इसलिए आप मुझे माफ़ रखें। पीर साहिब कहने लगे कि नहीं कुछ नहीं होता आप खाएं तो सही, मैंने फिर इन्कार किया कि मुझे इस हालत में थोड़ी सी बदपरहेज़ी से भी बहुत तकलीफ़ हो जाती है। इस पर पीर साहिब कहने लगे होता तो वही है जो अल्लाह तआला करता है यह तो बाते हैं। मैं तो इस अवसर की प्रतीक्षा में था कि पीर साहिब अपने विशेष ज्ञानों की तरफ़ आयें तो मुझे कुछ इन लोगों की परस्थितियों की जानकारी हो। मैंने पीर साहिब से कहा कि पीर साहिब आप ने यह बात बहुत बाद में बताई। यदि आप लाहौर में बताते तो आप और मैं दोनों हानि से बच जाते। मैंने और आप ने टिकट पर रुपया व्यर्थ किया। यदि आपके लिए अमृतसर और मेरे लिए क़ादियान पहुंचना मुक़द्दर था तो हमें अल्लाह तआला स्वयं ही पहुंचा देता, टिकट पर रुपया ख़र्च करने की क्या आवश्यकता थी? इस पर पीर साहिब कहने लगे नहीं सामान भी तो हैं। मैंने कहा इन्हीं सामानों को ध्यान के अन्तर्गत मुझे भी आपत्ति थी। इस पर पीर साहिब कहने

लगे मेरा भी यही मतलब था। यद्यपि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन का और मेरा मतलब एक क्योंकर हो सकता है?

इसके अतिरिक्त पीर साहिब से और भी बातें हुईं परन्तु तक़्दीर के बारे में उन से इतनी ही बात हुई, जिस से मालूम होता है कि इस समय के पीर इस विषय के बारे में कितने ग़लत विचारों में ग्रस्त हैं। परन्तु जैसा कि मैं बता चुका हूँ पवित्र क़ुर्आन की दृष्टि से ये विचार ग़लत हैं।

कुछ लोगों के कथनों का मतलब -

हाँ कुछ लोगों के कथन ऐसे भी हैं कि वे कहते हैं कि व्यर्थ प्रयास में अपना समय नष्ट न करो, जो कुछ मिलना है वह मिल कर रहेगा।

इस प्रकार के कथनों से कुछ लोग समझते हैं कि हर बात के लिए प्रयास करने से मना किया गया है। यदि उनकी बात का यही मतलब है तो मैं पूछता हूँ वे रोटी खाने के लिए लुक्मः (कौर) पकड़ते, मुंह में डालते, उसे चबाते और निग़लते थे या नहीं? फिर वे सोने के लिए लेटते थे या एक ही हालत में दिन-रात बैठे रहते थे? फिर यदि ख़ुदा ने हर एक काम करवाना है तो उनके कथन के क्या मायने हुए कि प्रयास न करो। यदि कोई प्रयास करता है तो उस से प्रयास भी ख़ुदा ही करवाता है, फिर मना क्यों किया जाए?

सूफ़ियों के कलाम का सही मतलब -

परन्तु बात यह है कि ऐसे कथनों का मतलब लोगों ने समझा नहीं। असल वास्तविकता यह है कि कुछ लोग दुनिया के काम में ऐसे तत्पर होते हैं कि हर समय उसी में लगे रहते हैं, और सारी मेहनत उसी में लगा देते हैं। उदाहरणतया आठ, नौ घंटे तो दुकान पर बैठते हैं, परन्तु

जब घर आते हैं तो घर पर भी दुकान का हिसाब-किताब करते हैं। या कोई ज़मींदार है उसे हर समय यही विचार रहता है कि यदि यों होगा तो क्या होगा, यदि यों होगा तो क्या? बुज़ुर्गों ने इस प्रकार के विचारों से रोका है और निष्फल प्रयास से मना किया है तथा वास्तविक प्रयास से वे नहीं रोकते। और निष्फल प्रयास यह होता है कि जैसे सर्दी के मौसम में बिस्तर साथ रखने की आवश्यकता है। अब यदि कोई तीस रुईदार गद्दे और दस लिहाफ़ ले ले तो हम कहेंगे यह बेकार है एक बिस्तर ले लेना पर्याप्त है। इसी प्रकार वे कहते हैं अन्यथा असल और वास्तविक प्रयास तो वे स्वयं भी करते हैं।

एक अन्य गिरोह -

इन दो गिरोहों के अतिरिक्त जिन का मैंने वर्णन किया है एक तीसरा गिरोह भी है, उसने अपनी ओर से मध्य मार्ग अपनाया है। वे कहते हैं हर एक बार काम में तक़्दीर भी चलती है और तदबीर भी। वे कहते हैं हर एक चीज़ में शक्ति ख़ुदा ने रखी है। जैसे आग में जलाने की, पानी में प्यास बुझाने की शक्ति ख़ुदा ने बनाई है किसी बन्दे ने नहीं बनाई। इसी प्रकार यह कि लकड़ी आग में जले। लोहा, पीतल, चांदी, सोना पिघले, यह ख़ुदा ने मुकद्दर किया है। आगे उसको गढ़ना और उसकी कोई विशेष आकृति बनाना लोहार या सुनार का काम है जो तदबीर है। तो ख़ुदा ने हर चीज़ में शक्तियाँ रख दी हैं यह तक़्दीर है। फिर बन्दा उन शक्तियों से काम लेता है यह तदबीर है और हर काम में दोनों बातें जारी हैं।

यह बात ठीक है परन्तु चूंकि वे इसी पर बस कर देते हैं और अपने विचारों का दारोमदार इसी पर रखते हैं इसलिए हम कहते हैं यह मार्ग भी

उचित मार्ग नहीं। वास्तव में जो कुछ एक वैज्ञानिक कहता है वही ये भी कहते हैं। हाँ अन्तर इतना है कि वैज्ञानिक बात को कुछ दूर ले जाता है। उदाहरणतया यह कि चांदी के पिघलने का क्या कारण है? वह क्योंकर पिघलती है? परन्तु अन्त में कह देगा कि मुझे मालूम नहीं कि फिर इसका क्या कारण है? मैं इतना जानता हूँ कि किसी अपरिवर्तनीय और सब को घेरने वाले कानून के अधीन यह सब काम हो रहा है। परन्तु इस गिरोह के लोग प्रारंभ में सम्पूर्ण जगत के कारखाने को एक कानून से सम्बद्ध कर देते हैं जिसको प्रकृति का नियम कहते हैं।

ग़लत नाम के कारण धोखा -

मेरी पड़ताल यह है कि चूंकि उन्होंने इस विषय के नाम ऐसे रखे हैं जो ग़लत हैं। इसलिए असल विषय कठिन और मिश्रित हो गया है, और ऐसा बहुत बार होता है कि ग़लत नाम रखने से धोखा लग जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का नाम नेक बन्दा हो और कहा जाए अमुक नेक बन्दे ने बहुत बुरा काम किया है तो सुनने वाला हैरान रह जायेगा कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है और आश्चर्य करेगा कि एक ओर तो यह व्यक्ति उसे नेक बन्दा कहता है और दूसरी ओर उस पर दोष भी लगाता है। तो यदि किसी का ग़लत नाम सार्थक हो तो इससे बहुत धोखा लग जाता है। हाँ यदि अर्थहीन नाम हो तो धोखा नहीं लगता। जैसे यह कहें कि रुल्दू ने चोरी की या डाका डाला तो किसी को इस वाक्य पर आश्चर्य नहीं होता। और यदि कहा जाए रुल्दू ख़ुदा का प्यारा और नेक बन्दा है तो भी कोई आश्चर्य नहीं होता। परन्तु यदि यह कहा जाए कि अमुक व्यक्ति ख़ुदा परस्त (आस्तिक) (जो अब्दुल्लाह का अनुवाद है) ने शिर्क किया तो बहुत आश्चर्य होता है।

तक़्दीर के विषय में ग़लत नाम –

तो बामानी (सार्थक) नाम जो ग़लत तौर पर रखे जाएँ उनसे धोखा लग जाता है। ऐसा ही धोखा उन लोगों को हुआ है। तक़्दीर का शब्द तो सही है, परन्तु इसके मुकाबले में जो नाम रखते हैं उनके मायने बिल्कुल उलटे होते हैं। जैसे कुछ लोग तक़्दीर के मुकाबले पर इंसानी काम का नाम तदबीर रखते हैं। कुछ लोग दोनों का नाम जब्र और अधिकार रखते हैं। हालाँकि ये दोनों नाम ग़लत हैं। और इन शब्दों के अर्थों का प्रभाव असल विषय पर पड़ गया है और इस कारण से यह विषय ग़लत हो गया है।

तो पहली ग़लती उन्होंने यह की कि नाम ग़लत रखा है और केवल यही नाम ग़लत नहीं बल्कि इन दोनों विषयों के जितने नाम उन्होंने रखे हैं वे सब ही ग़लत हैं। उदाहरणतया – (1) तक़्दीर और तदबीर (2)बल प्रयोग और अधिकार (3) क़ुदरत क़दीम और क़ुदरत हादिसा। परन्तु यह नाम सामूहिक दृष्टि से पूरी तसल्ली नहीं करते।

तक़्दीर के मुकाबले में तदबीर ग़लत है -

तक़्दीर तो ठीक है परन्तु उसके मुकाबले में तदबीर मानवीय कार्य को कहना ग़लत है। क्योंकि तदबीर ख़ुदा भी करता है। अतः फ़रमाता है –

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

(अस्सज्दा - 6)

अर्थात् अल्लाह तआला कुछ विशेष कार्यों की तदबीर करके उनको ज़मीन की ओर भेजता है। फिर वह एक ऐसे समय में जिसकी मात्रा मानवीय वर्षों के एक हज़ार वर्ष के बराबर होती है उसकी ओर चढ़ना

आरंभ करता है।

इससे मालूम होता है कि तदबीर तो अल्लाह तआला भी करता है, परन्तु यह लोग कहते हैं कि तदबीर वह है जिसमें ख़ुदा का कोई हस्तक्षेप न हो। किन्तु इस से भी अधिक जब्र और अधिकार के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हालाँकि ये दोनों शब्द ही क़ुर्आन से सिद्ध नहीं हैं। पवित्र क़ुर्आन से यह तो मालूम होता है कि ख़ुदा तआला जब्बार (बहुत जब्र करने वाला) है परन्तु इसके अर्थ 'सुधार करने वाला' है। परन्तु ये कहते हैं कि जब्र यह है कि ज़बरदस्ती कार्य कराता है। हालाँकि यह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। अरबी में जब्र के अर्थ टूटी हुई हड्डी को ठीक करने के है। और जब यह शब्द ख़ुदा तआला की ओर सम्बद्ध होता है तो इसके ये अर्थ होते हैं कि बन्दों के ख़राब हो चुके कार्यों को ठीक करने वाला। और इसके दूसरे अर्थ ये हैं कि दूसरे के हक़ (अधिकार) को दबा कर अपना सम्मान स्थापित करने वाला। परन्तु यह अर्थ तब किए जाते हैं जब बन्दों के लिए इस्तेमाल हो। ख़ुदा तआला के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते और न किए जा सकते हैं। क्योंकि सब कुछ ख़ुदा तआला का ही है। यह कहा ही नहीं जा सकता कि दूसरों के अधिकारों को समाप्त करके अपना सम्मान स्थापित करता है।

इसके अतिरिक्त तदबीर का शब्द उन अर्थों पर पूर्ण प्रकाश नहीं डालता जिन की ओर से संकेत करना अभीष्ट है, क्योंकि तदबीर के अर्थ अरबी भाषा में किसी वस्तु को आगे-पीछे करने के हैं और इस से अभिप्राय प्रबंध लिया जाता है। परन्तु प्रबंध (इंतिज़ाम) का शब्द यहाँ मूल विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता।

अब रहा अधिकार। इसके अर्थ हैं जो वस्तु पसंद आए उसे ले लेना। तो यदि ख़ुदा तआला ने मनुष्य को अधिकार दे दिया तो जिसे

अच्छा लगा वह उसने लिया और जो बढ़िया दिखाई दिया वह किया। फिर उसको किसी कार्य पर दण्ड क्यों? तो यह शब्द भी ग़लत है।

सही नाम –

वास्तव में पवित्र क़ुर्आन से जो शब्द सिद्ध हैं वे ये हैं –

क़द्र, तक़्दीर, क़ज़ा, ख़ुदा की तदबीर,

इनके मुकाबले में ख़ुदा तआला ने कस्ब और इक्तिसाब के शब्द रखे हैं।

तो पवित्र क़ुर्आन की दृष्टि से इस विषय का नाम ख़ुदा को तक़्दीर और इक्तिसाब या ख़ुदा की क़द्र और कस्ब या ख़ुदा की क़ज़ा और कस्ब होगा। अब में इन नामों के अन्तर्गत इस विषय की व्याख्या करता हूँ।

सब से पहले तो यह याद रखना चाहिए कि पवित्र क़ुर्आन ने ख़ुदा की तक़्दीर के मुकाबले में बन्दे के लिए कस्ब और इक्तिसाब का शब्द इस्तेमाल किया है, और यह शब्द बन्दे के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है ख़ुदा तआला के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि कस्ब के मायने किसी वस्तु की खोज करने और उसे मेहनत से प्राप्त करने के हैं। और अल्लाह तआला न खोज करता है और न किसी बात को मेहनत से प्राप्त करता है। हर चीज़ उसी की आज्ञा के अधीन है और उसके एक थोड़े से इशारे पर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। फिर वह कष्ट से बिल्कुल पवित्र है। वह कहता है कि यों हो जाए और उसी प्रकार हो जाता है। तो उसके लिए कस्ब का शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस शब्द के इस्तेमाल से जो परस्पर अन्तर क़ायम हो गया है वह अन्य किसी शब्द से नहीं हो सकता था।

इन शब्दों की संक्षिप्त वास्तविकता वर्णन करने के पश्चात अब मैं

इस प्रश्न की ओर आता हूँ कि पवित्र क़ुर्आन से क्या सिद्ध है कि वह बन्दों से किस प्रकार मामला करता है? क्या उनका प्रत्येक कार्य अल्लाह तआला के आदेश के अन्तर्गत होता है, अर्थात् सद्क़ा ख़ैरात (दान-पुण्य), सदाचार, हमदर्दी या चोरी, डाका, ठग्गी सब कुछ ख़ुदा ही कराता है। या यह कि बन्दों को उसने छोड़ रखा है कि वे कमा लें और जैसा-जैसा वे कमायें वैसा-वैसा बदला पाएं। पवित्र क़ुर्आन से दोनों बातें सिद्ध हैं।

तक़्दीर के विषय पर केवल शाब्दिक ईमान लाना पर्याप्त नहीं -

परन्तु इस से पूर्व कि मैं इस विषय पर कुछ वर्णन करूँ यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि मुसलमानों ने इस मामले में बड़ी-बड़ी ठोकरें खाई हैं। उन्होंने ने समझ लिया है कि केवल तक़्दीर पर ईमान ले आना पर्याप्त है। हालाँकि इसके समझने और जानने की आवश्यकता थी क्योंकि ख़ुदा तआला ने इसको ईमान की शर्त ठहराया है। और जब यह ईमान की शर्त है तो मालूम हुआ कि हमारे लिए लाभप्रद भी है अन्यथा उस पर ईमान लाना आवश्यक न ठहराया जाता। उदाहरणतया ख़ुदा तआला पर ईमान लाने का आदेश है। इस से यह लाभ है कि मनुष्य को अपने उपकारी का ज्ञान होता है और उस से संबंध स्थापित करना जो उसकी उन्नति का कारण होता है और उसके पैदा होने का एकमात्र उद्देश्य है इसी ईमान के नतीजे में प्राप्त हो सकता है, और फिर यह भी लाभ है कि ज्ञान तथा ईमान से मनुष्य समझता है कि एक ऐसी हस्ती है जिसके सामने मुझे अपने कर्मों के संबंध में उत्तरदायी होना पड़ेगा। इसी प्रकार नबियों पर ईमान लाने का आदेश है। इस का लाभ यह है कि उनके द्वारा मनुष्य को ख़ुदा तआला तक पहुँचने का मार्ग मालूम

होता है। इसी प्रकार फ़रिश्तों पर ईमान लाने का आदेश है। इसका लाभ यह है कि मनुष्य यह मानता है कि वे नेक तहरीकें करते हैं और फिर उन पर अमल करने का प्रयास करता है तथा उन से संबंध पैदा कर के हिदायत के मार्ग पर चलने के लिए सहायक और मित्र पैदा कर लेता है। इसी प्रकार ख़ुदा की किताबों पर ईमान लाने का आदेश है। इसका लाभ यह है कि उनके द्वारा उसे अल्लाह तआला की इच्छा मालूम हो जाती है और वे आदेश मालूम होते हैं जिन पर चल कर यह तबाही से बच जाता है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद उठाए जाने पर ईमान है। इसका लाभ यह है कि मनुष्य को मालूम होता है कि उसका जीवन निरर्थक नहीं बल्कि हमेशा जारी रहने वाला है और यह उसके लिए प्रयास करता है। इसी प्रकार ऐसी जितनी बातें हैं जिन पर ईमान लाना आवश्यक ठहराया गया है उनमें से प्रयेक का लाभ है, परन्तु तक़्दीर के बारे में मुसलमानों ने इस बात को नहीं सोचा कि उस पर ईमान लाने का क्या लाभ है? वे डण्डा लेकर खड़े हो गए कि तक़्दीर को मानो। इसका उत्तर इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि आगे कह दिया जाए अच्छा यही हमारी तक़्दीर।

तो मुसलमान इसके बजाए कि इस विषय को मानने के लाभ पर विचार करते व्यर्थ बातों की ओर चले गए। हालाँकि उन्हें उसी ओर जाना चाहिए था कि तक़्दीर के मानने का क्या लाभ है? यदि उस ओर जाते तो जो परिभाषा उन्होंने तक़्दीर के विषय की है वह स्वयं व्यर्थ सिद्ध हो जाता और उन पर स्पष्ट हो जाता कि जो कुछ हम कहते हैं यह तो बिल्कुल बेकार बात है और तक़्दीर के विषय का मानना बेकार नहीं हो सकता बल्कि रूहानियत से इसका बहुत बड़ा संबंध है और इस से मनुष्य को बहुत बड़ा लाभ पहुँचता है। क्योंकि ईमानियात में वही बातें सम्मिलित

हैं जिन का मनुष्य की रूहानियत से संबंध है और जो रूहानियत की उन्नति का कारण हैं।

तो तक़्दीर का मानना जब मनुष्य पर अनिवार्य किया गया हो तो मालूम हुआ कि रूहानियत से इसका संबंध है और इस से रूह को लाभ पहुँचता है। जब यह सिद्ध हो गया तो इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि मालूम करें कि वह क्या लाभ है जो इस से पहुँचता है। क्योंकि जब तक उस लाभ को मालूम न करेंगे उस समय तक क्या लाभ प्राप्त कर सकेंगे? परन्तु अफ़सोस कि दार्शनिकों ने क़द्र और जब्र की बहसों में उमरें नष्ट कर दीं और एक मिनट के लिए भी इस बात को न सोचा। यही कारण है कि वे एक-दूसरे से व्यर्थ में सर फटोल करते रहे और इससे उन्होंने कोई लाभ प्राप्त न किया। यदि इस बात को सोचते और उस पर अमल करते तो अवश्य लाभ प्राप्त करते। अतः इन दार्शनिकों के मुक़ाबले में वे लोग जिन्होंने तक़्दीर के विषय के बारे में विश्वास कर लिया कि यह हमारी रूहानी उन्नति के लिए आवश्यक है और फिर उसी पर विचार करके पता लगाया कि इसके न मानने की हानियाँ क्या हैं और मानने के लाभ क्या हैं? फिर इस ज्ञान से लाभ प्राप्त किया। उन्होंने तो यहाँ तक उन्नति की कि ख़ुदा तआला तक पहुँच गए परन्तु दूसरे लोग बैठे बहसें करते रहे कि जो कार्य होते हैं वे हम करते हैं या ख़ुदा कराता है।

निष्कर्ष यह कि इस विषय के बारे में व्यर्थ बहसें करने वालों से बहुत बड़ी ग़लती हुई और यह रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस हदीस के चरितार्थ हो गए कि मेरी उम्मत में से एक क़ौम ऐसी होगी जो तक़्दीर के विषय के कारण विकृत (कुरूप) की जाएगी।

(तिरमिज़ी अबवाबुल क़द्र बाबुर्रिज़ा बिलक़ज़ा)

क्या प्रत्येक कार्य ख़ुदा कराता है -

असल बात तो यह थी कि वे देखते कि इस विषय के लाभ क्या हैं? परन्तु उन्होंने इसको न देखा और ऐसे रंग में इस विषय को माना कि इससे लाभ की बजाए हानि उठानी पड़ी और अन्य भी जो कोई उनकी वर्णन की हुई शैली को मानेगा हानि ही उठाएगा। उदाहरणतया उन लोगों में से एक पक्ष कहता है कि जो कुछ मनुष्य करता है वह ख़ुदा तआला ही कराता है। अब यदि यह बात सही है तो हम पूछते हैं कि इधर तो प्रत्येक बुरे से बुरा कार्य ख़ुदा कराता है और उधर पवित्र क़ुर्आन में डांटता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? अब यह विचित्र बात है कि ख़ुदा स्वयं ही पकड़ कर मनुष्य से व्यभिचार कराता है और जब कोई करता है तो कहता है क्यों करते हो? फिर स्वयं ही तो अबू जहल के दिल में डालता है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) झूठा है, स्वयं ही उसे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुकाबले में हाथ उठाने के लिए कहता है, फिर स्वयं ही कहता है कि इस को क्या हो गया? इसकी बुद्धि क्यों मारी गई?

हम कहते हैं तो ज़ुल्म है और न केवल ज़ुल्म ही है बल्कि नादानी भी है कि ख़ुदा स्वयं ही मनुष्य से एक बुरा कार्य कराये फिर स्वयं ही डांटे। अब देखो ख़ुदा तआला के बारे में यह बात मानने से कितनी हानि हो सकती है? ऐसी आस्था के साथ तो एक मिनट के लिए भी मनुष्य का ईमान क़ायम नहीं रह सकता। यह तो क़द्र वालों का हाल है।

तद्बीर वालों की ग़लती -

अब रहे तद्बीर वाले। उन्होंने जो शिक्षा प्रस्तुत की है उसके बारे में

यदि वे स्वयं ही सोच-विचार से काम लेते तो उन्हें मालूम हो जाता कि उन्होंने उन संबंधो पर जो मनुष्य और ख़ुदा तआला के बीच हैं कुल्हाड़ी रख दी है। क्योंकि संबंधों की दृढ़ता और उनमें वृद्धि प्रेम ही के कारण होती है। उनकी शिक्षा उस प्रेम को जो मनुष्य और ख़ुदा के बीच है बिल्कुल मिटा देने वाली है। संबंध किस प्रकार प्रेम का कारण होते हैं इसके संबंध में मुझे एक घटना याद आई -

एक बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम "अखबार-ए-आम" पढ़ रहे थे कि मुझे आवाज़ दी कि महमूद! महमूद! महमूद! जब मैं पास गया तो फ़रमाने लगे कलकत्ता का अमुक व्यक्ति मर गया है। मैंने आश्चर्य चकित हो कर पूछा मुझे क्या? फ़रमाया यह संबंध न रखने का नतीजा है। उसके घर तो मातम (शोक) पड़ा होगा और तुम कहते हो मुझे क्या?

तो संबंध से प्रेम पैदा होता है परन्तु तक़्दीर के मानने वाले लोगों की शिक्षा इसके विरुद्ध है। वे कहते हैं कि ख़ुदा तआला ने वस्तुएं पैदा कर दीं और मनुष्य को पैदा कर दिया। इसके बाद उसने उसको बिल्कुल छोड़ दिया कि जिस प्रकार चाहे करे। यदि यह बात सही है तो फिर बन्दे और ख़ुदा में संबंध क्योंकर क़ायम हो सकता है? निस्सन्देह जो वस्तुएं ख़ुदा तआला ने बनाई हैं उनके अन्दर लाभ भी हैं परन्तु उनके अन्दर हानियाँ भी तो हैं। जैसे ख़ुदा ने आग बनाई है। यदि उसके कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं। यदि उस से खाना पकता है तो लाखों-करोड़ों रुपयों का सामान और घर भी जला कर काली राख कर देती है।

तो इन लोगों ने तक़्दीर के विषय को इस रंग में स्वीकार कराया कि एक तो नऊज़ुबिल्लाह, ख़ुदा तआला पर जो समस्त बुद्धियों का

पैदा करने वाला है बुद्धि के विरुद्ध कार्य करने का आरोप आता है। दूसरे ख़ुदा तआला के साथ मनुष्य का जो प्रेम-संबंध है वह बिल्कुल टूट जाता है। क्योंकि मनुष्य के दिल में स्वाभाविक तौर पर विचार पैदा होते हैं कि उदाहरणतया आग जो ख़ुदा तआला ने पैदा की है यदि लाभ पहुंचाती है तो हानि भी तो करती है। फिर उसके पैदा करने में ख़ुदा तआला का क्या उपकार हुआ? जब ये विचार पैदा हों तो ख़ुदा तआला के साथ प्रेम-संबंध पैदा नहीं हो सकते बल्कि ऐसा ही संबंध रह जाता है जैसा कि यहाँ के लोगों को अमरीका वालों से है बल्कि उस से भी कम, क्योंकि अमरीका से तो माल भी मंगवा लिया जाता है परन्तु ख़ुदा से किसी बात की उम्मीद नहीं। तो इस प्रकार के विचारों ने रूहानियत को बहुत अधिक हानि पहुंचाई है।

तक़्दीर के विषय के बारे में रुचि से सम्बंधित बातें -

अब मैं असल विषय की वह वास्तविकता वर्णन करता हूँ जो पवित्र क़ुर्आन से सिद्ध है। पहले मैं उसकी व्याख्या करूँगा फिर उसके लाभ बताऊंगा। परन्तु यह बात याद रखनी चाहिए कि तक़्दीर के विषय के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन को बड़े-बड़े लोग भी वर्णन नहीं कर सके और न उन्होंने उनको वर्णन करने का प्रयास किया, क्योंकि कुछ ऐसी बारीक बातें हैं जो केवल ज़ौक़ी (रुचि से संबंधित) होती हैं। ज़ौक़ी से मेरा अभिप्राय वह नहीं जो आम लोग कहते हैं, अर्थात् जो बातें बिना तर्क के हों और उनकी कुछ वास्तविकता न हो। बल्कि मेरा अभिप्राय वे बातें हैं कि जब तक मनुष्य उन को स्वयं न चखे उनको मालूम नहीं कर सकता। अतः इन बातों को न मुझ से पहले लोग वर्णन कर सके न मैं वर्णन कर सकता हूँ।

तक़्दीर के प्रकार -

तक़्दीर के विषय का विवरण वर्णन करने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूँ कि तक़्दीर कई प्रकार की होती है और उसके प्रकारों में से मैं इस समय चार भेदों का वर्णन करूँगा। और वे चूंकि ऐसे हैं जो आम बन्दों से संबंध रखते हैं इसलिए लोग उन्हें समझ सकते हैं और वे समझाए जा सकते हैं।

उनमें से एक का नाम मैं **'सामान्य प्राकृतिक तक़्दीर'** रखूँगा। अर्थात् अर्थात् वह जो सांसारिक मामलों में ख़ुदा तआला की ओर से जारी है। अर्थात् आग में यह विशेषता है कि जलाए, पानी में यह विशेषता है कि प्यास बुझाये और लकड़ी में यह कि जले। धागे में यह कि जब उसे विशेष ढंग से काम में लाया जाए तो कपड़ा बुने, रोटी में यह कि पेट में जाए तो पेट भर जाए। यह सब तक़्दीर है जो ख़ुदा की तरफ़ से आती है। मनुष्य का इसमें हस्तक्षेप नहीं। यह सामान्य है और प्राकृतिक मामलों से संबंध रखती है। रूह से इसका संबंध नहीं बल्कि शरीर से है, या यह कि आग का जलाना, अंगूर की बेल में अंगूर लगना, खजूर के वृक्ष में खजूर लगना। कुछ वृक्षों के पैवन्द का आपस में मिल जाना, बच्चे का नौ माह या एक विशेष अवधि में जन्म लेना, ये सब ऐसे कानून हैं जो आम तौर पर जारी हैं। उनका नाम मैं **'सामान्य प्राकृतिक तक़्दीर'** रखता हूँ।

दूसरी **'विशेष प्राकृतिक तक़्दीर'** है। जैसा कि मैंने वर्णन किया है एक सामान्य तक़्दीर है जैसे कि कानून निर्धारित है कि आग जलाए, सूर्य के ताप के नीचे गर्मी महसूस हो, सूर्य की गर्मी से फल पकें, अमुक वस्तु से स्वास्थ्य हो, अमुक से रोग हो। यह तो सामान्य प्राकृतिक तक़्दीर हैं परन्तु एक विशेष प्राकृतिक तक़्दीर है। अर्थात् कभी अल्लाह तआला

की ओर से विशेष तौर पर आदेश उतरते हैं कि अमुक व्यक्ति को दौलत मिल जाए। अमुक वस्तु को जला दिया जाए, अमुक व्यक्ति को मार दिया जाए, अमुक के यहाँ बच्चा पैदा हो (चाहे उसकी पत्नी बाँझ ही क्यों न हो) ये आदेश विशेष होते हैं किसी सामान्य प्राकृतिक तक़्दीर के अन्तर्गत नहीं होते अर्थात् ऐसे प्राकृतिक तक़्दीर के अन्तर्गत नहीं होते जिसका अनिवार्य परिणाम उसी रूप में निकलना आवश्यक है जिस रूप में कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए अल्लाह तआला के विशेष आदेशों के अन्तर्गत प्रकट हुआ है।

तक़्दीर का तीसरा भेद **'सामान्य शरई तक़्दीर'** है। उदाहरणतया यह कि यदि मनुष्य इस रंग में नमाज़ पढ़े तो उसका यह परिणाम हो और इस रंग में पढ़े तो यह परिणाम हो, रोज़ा रखे तो यह विशेष रूहानी परिवर्तन पैदा हो।

तक़्दीर का चौथा भेद **'विशेष शरई तक़्दीर'** है। जिस के मायने हैं कि किसी बन्दे पर विशेष तौर पर अल्लाह तआला फ़ज़्ल (कृपा) करे जो बतौर बख्शिश हो, जैसे ख़ुदा के कलाम का उतरना कि उसके बारे में अल्लाह तआला फ़रमाता है -

(अर्रहमान - 2,3) اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

ये चार भेद (प्रकार) तक़्दीर के हैं जिन के समझाने और बोधगम्य (मस्तिष्क में बिठाने) कराने के लिए मैंने अलग-अलग नाम रख दिए हैं -

(1) **सामान्य प्राकृतिक तक़्दीर**

(2) **विशेष प्राकृतिक तक़्दीर**

(3) **सामान्य तक़्दीर**

(4) **विशेष शरई तक़्दीर'**

यह भी याद रखना चाहिए कि केवल सामान्य प्राकृतिक तक़्दीर

शारीरिक संबंधों से प्रकट होती है और तक़्दीर के दूसरे समस्त प्रकार चाहे विशेष प्राकृतिक तक़्दीर हो या शरीअत की सामान्य तक़्दीर और शरीअत की विशेष तक़्दीर, इन सब का प्रकटन रूहानी संबंधों के कारण होता है। अर्थात् उनके प्रकटन का कारण सांसारिक सामान नहीं होते बल्कि वे रूहानी संबंध जो बन्दे को अल्लाह तआला से होते हैं या जो अल्लाह तआला को बंदे से होते हैं। अतः यह तक़्दीर या मोमिनों की उन्नति के लिए प्रकट होती है या काफ़िरों के अपमान के लिए या बतौर रहम सामान्य लोगों के लिए।

तक़्दीर के इन भेदों के अतिरिक्त तक़्दीर का कोई ऐसा प्रकार नहीं है जो मनुष्य को विवश करता है कि चोरी करे, डाका डाले, व्यभिचार करे। वे लोग जो यह कहते हैं कि ख़ुदा मज्बूरी से ऐसा करता है वे झूठ कहते हैं और ख़ुदा तआला पर आरोप लगाते हैं।

तक़्दीर का प्रकटन -

यह मालूम कर लेने के बाद कि तक़्दीर के कितने प्रकार हैं, इस बात का मालूम करना आवश्यक है कि विशेष तक़्दीर के प्रकटन के क्या कारण होते हैं? इस बात के न समझने के कारण ही कुछ लोग यह कहने लग गए हैं कि हम जो कुछ करते हैं ख़ुदा करता है। वे नहीं समझते कि ख़ुदा तआला प्रत्येक व्यक्ति से ज़बरदस्ती (बलापूर्वक) कार्य नहीं कराता। ख़ुदा तआला की विशेष तक़्दीर के उतरने के लिए विशेष शर्तें हैं। वास्तव में यह धोखा अहंकार से पैदा हुआ है। ऐसे लोग समझते हैं कि हम भी कुछ हैं जिन से ख़ुदा काम कराता है। परन्तु असल बात यह है कि ख़ुदा तआला के विशेष आदेश विशेष लोगों के लिए ही होते हैं, चाहे वे विशेष तौर पर नेक हों, चाहे वे विशेष तौर पर बुरे।

विशेष तक़्दीर का विवरण (तफ़्सील)

तक़्दीर के भेदों को संक्षेप में वर्णन करने के बाद अब मैं उनका कुछ विवरण करता हूँ। परन्तु चूंकि सामान्य तक़्दीर विशेष नियमों के अधीन होती है इसलिए उसके विवरण की आवश्यकता नहीं। विशेष तक़्दीर का ही विवरण वर्णन करना पर्याप्त होगा।

विशेष तक़्दीर दो प्रकार की होती है। कुछ सैद्धान्तिक नियमों के अधीन ख़ुदा तआला की ओर से आदेश जारी होते हैं। उदाहरणतया यह एक नियम ख़ुदा तआला ने निर्धारित कर छोड़ा है कि नबी और नबी की जमाअत अपने शत्रुओं पर विजयी होगी। अतः ख़ुदा तआला पवित्र क़ुर्आन में फ़रमाता है –

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغۡلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیۡ

(अलमुजादलः – 22)

अल्लाह तआला ने अनिवार्य कर छोड़ा है कि मैं और मेरे रसूल दुश्मनों पर विजयी होंगे।

और फ़रमाता है –

وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

(अर्रूम – 48)

यह हम पर अनिवार्य है कि हम मोमिनों की मदद करें।

अब जब कि नबियों और उनकी जमाअतों को अपने दुश्मनों पर विजय होती है तो उसे शरीअत की सामान्य तक़्दीर के अन्तर्गत नहीं ला सकते, क्योंकि यह विशेष आदेश है जो एक विशेष असल के अन्तर्गत जारी होता है और प्रायः प्राकृतिक मामले उसके विपरीत पड़े हुए होते हैं। दूसरे वह विशेष तक़्दीर कि वह विशेष परिस्थितियों तथा विशेष लोगों के लिए जारी होती है और किसी सैद्धान्तिक नियम के अन्तर्गत नहीं

होती। इस का उदाहरण वह वादा है जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मक्का की विजय के बारे में किया गया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए यह बात तो सामान्य कानून की दृष्टि से ही मुक़द्दर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुश्मनों पर विजयी हों। परन्तु ख़ुदा तआला ने यह कानून नहीं बनाया कि जहाँ कोई नबी पैदा हो वहां वह बादशाह भी हो जाए। किन्तु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए यह विशेष आदेश जारी किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पहले मक्का से हिजरत करें और फिर उसको विजय करके वहां के बादशाह बनें। यह आदेश विशेष तौर पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए था और ऐसा आदेश था कि जब यह जारी हो गया हो चाहे संसार कुछ करता और समस्त संसार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मक्का का बादशाह बनने से रोकना चाहता तो न रोक सकता। मूर्ख कहते हैं कि चोरी ख़ुदा कराता है। हम कहते हैं कि चोरी तो ऐसा कार्य है कि इस को लोग रोक भी सकते हैं, परन्तु ख़ुदा तआला जो कुछ कराता है उसे कोई नहीं रोक सकता। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मक्का में वह्यी हुई –

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

(अलक़सस – 86)

अर्थात् वह पवित्र हस्ती जिसने तुझ पर क़ुर्आन उतारा है तुझे मक्का में अवश्य फिर लौटाने वाला है।

इसमें दो भविष्यवाणियां थीं। पहली यह कि मक्का से निकलना पड़ेगा और दूसरी यह कि फिर वापस आना होगा। अतः ऐसा ही हुआ और कोई उसमें बाधा न बन सका।

इसी प्रकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए यह विशेष तक़्दीर जारी हुई कि उन के दुश्मन के सारे पलौठे मारे जायेंगे। तो यह सामान्य तक़्दीर थी अंबिया अलैहिमुस्सलाम विजयी होंगे परन्तु यह कि अमुक किस प्रकार विजयी होगा और अमुक किस प्रकार। यह विशेष तक़्दीर थी।

इसी प्रकार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से ख़ुदा तआला का वादा है कि क़ादियान की उन्नति होगी और हज़रत साहिब ने लिखा है कि दस-दस मील तक इस की आबादी फैल जाएगी और आप जानते हैं कि आज जहाँ लैक्चर हो रहा है यह स्थान उस स्थान से जहाँ पहले लैक्चर होते थे लगभग एक मील दूर है। तो नबियों का जीतना और विजयी होना एक सामान्य तक़्दीर है जो कुछ सैद्धान्तिक नियमों के अधीन जारी होती है परन्तु उनके जीतने का ढंग एक विशेष तक़्दीर है जो हर युग की परिस्थितियों से संबंधित है वह किसी एक नियम के अधीन जारी नहीं होती। उदाहरणतया आदेश हो गया कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम जिस स्थान में रहते थे उसे बढ़ा दिया जाए। इस आदेश का कारण यह है कि आजकल बड़े-बड़े शहरों का प्रचलन हो रहा है और बड़े शहर संसार का फैशन हो गए हैं। अतः ख़ुदा तआला ने इस युग के लिए यही विशेष तक़्दीर प्रकट की है।

तक़्दीर का संबंध संसाधनों से -

अब मैं बताता हूँ कि तक़्दीर जारी किस प्रकार होती है। क्या ख़ुदा एक व्यक्ति के बारे में कहता है कि जल जाए तो वह खड़े-खड़े जल जाता है और वहीं उसे आग लग जाती है या उसके लिए कुछ सामान पैदा होते हैं?

इसके लिए याद रखना चाहिए कि तक़्दीर और सामानों का संबंध

भी कई प्रकार का होता है।

1. तक़्दीर इस प्रकार प्रकट होती है कि उसके साथ सामान सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर हमेशा उसी प्रकार प्रकट होती है जैसे आग का लगना। आग जब लगेगी उन्हीं सामान की मौजूदगी में लगेगी जिनके अन्दर ख़ुदा तआला ने यह विशेषता पैदा की है कि वे आग पैदा करते हैं। जैसे यह कि आग की चिन्गारी किसी ऐसी चीज़ को लग जाए जो जलने की योग्यता रखती है या यह कि दो ऐसी चीज़ों में कि जो दोनों या दोनों में से एक जलने के योग्य हो रगड़ पैदा होकर आग निकल आए या दो कठोर रगड़ने वाली चीज़ों के पास कोई ऐसी वस्तु हो जो जलने की योग्यता रखती है।

विशेष तक़्दीर दो प्रकार से प्रकट होती है –

(क) इसी प्रकार कि सामान उसके साथ हों।

(ख) इस प्रकार कि सामान उसके साथ न हों।

वह विशेष तक़्दीर जिसके साथ सामान होते हैं आगे कई प्रकार से प्रकट होती है।

(i) यह कि सामान दिखाई देते हैं और पता लग जाता है कि इस बात के ये सामान हैं और उनमें तक़्दीर का पहलू बहुत गुप्त होता है, यह आगे फिर कई प्रकार से प्रकट होती है।

(ii) बुरे सामान के मुक़ाबले में अच्छे सामान पैदा हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी गाँव में था जहाँ के नम्बरदार ने विरोध के कारण उसे कष्ट देना आरम्भ किया। अब ख़ुदा ने किसी कारण से (वह कारण क्या है उसके बारे में आगे वर्णन करूँगा) यह फैसला किया कि इस बन्दे को कष्ट न पहुंचे। इसके लिए एक उपाय यह है कि तहसीलदार के दिल में ख़ुदा तआला उसका प्रेम डाल दे और वह उस से मित्रवत्

मेल-मिलाप आरंभ कर दे। यह देखकर नम्बरदार स्वयं उस के विरोध से रुक जायेगा कि उसका तो तहसीलदार से संबंध है कहीं मुझ पर मुकद्दमा न दायर कर दे।

2. यह कि जो सामन बुरे होते हैं वे अच्छे हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति का कोई विरोधी उस से दुश्मनी करता है और उसे हानि पहुँचाना चाहता है। अल्लाह तआला ऐसे सामान पैदा कर दे कि वह विरोधी मित्र बन जाए। जैसा कि हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम के साथ हेनरी मार्टिन क्लार्क के मक़द्दमे के समय हुआ है, जिसने आप के विरुद्ध षड्यन्त्र का मुक़द्दमा दायर कर दिया था। जब यह मुक़द्दमा हुआ है उस समय ज़िला गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर कप्तान डगलस साहिब थे। यह साहिब प्रारंभ में बहुत पक्षपाती थे और उन्होंने गुरदासपुर आते ही कई लोगों से पूछा था कि एक व्यक्ति मसीह और महदी होने का दावा करता है क्या उस का अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया गया? ऐसे व्यक्ति को तो दण्ड होना चाहिए था। क्योंकि ऐसा दावा शांति में बाधक है। चूंकि यह मुक़द्दमा विशेष महत्त्व रखता था इसलिए उन्हीं की अदालत में प्रस्तुत हुआ। और उन्होंने अपने छुपे हुए पक्षपात के कारण जो उनको पहले से था पहले आदेश देना चाहा कि वारंट द्वारा हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर के मंगवाया जाए। परन्तु पुलिस के अफ़सरों तथा उन के स्टाफ़ के लोगों ने उनको मशवरा दिया कि वह एक बड़ी और प्रतिष्ठित जमाअत के लीडर हैं उन से इस प्रकार का व्यवहार फ़ितने को जन्म देगा। पहली पेशी पर उनको यों ही बुलवाया जाए, फिर मुक़द्दमे की स्थितियों को देखकर आप जो आदेश देना चाहे, दें। इस पर इन्हीं लोगों के मशवरे से एक पुलिस अफ़सर को हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम के बुलाने के लिए भेज दिया गया और वह आकर हज़रत साहिब को अपने

साथ ले गया। परन्तु वही अफ़सर जो कहता था कि अभी तक मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम को दण्ड क्यों नहीं दिया गया, ख़ुदा तआला ने उसके दिल पर ऐसा प्रभाव किया कि उसके अन्दर एक विचित्र परिवर्तन पैदा हो गया और उस ने डायस पर कुर्सी बिछा कर हज़रत साहिब को अपने साथ बैठाया और जब आप अदालत में पहुंचे तो उसने खड़े होकर हाथ मिलाया और विशेष सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। शायद कोई कह दे कि कुछ चालाक लोग प्रत्यक्ष तौर पर इसलिए प्रेम व्यवहार प्रदर्शित करते हैं कि अन्त में हानि पहुंचाएं। इसलिए उसने इस प्रकार किया। परन्तु आगे देखिए जब मुक़द्दमा आरंभ हुआ तो मुकाबले पर अँग्रेज़ पादरी होने के बावजूद और कोई साधारण मुक़द्दमा नहीं बल्कि क़त्ल का मुक़द्दमा था और वह भी धार्मिक गवाह मौजूद थे अपराधी इक़रारी था परन्तु उसने बयान सुन-सुना कर कह दिया कि मेरा दिल गवाही नहीं देता कि वह मुक़द्दमा सच्चा हो। अब बताओ दिल पर कौन शासन कर रहा था वही जिसका नाम ख़ुदा है अन्यथा यदि कप्तान डगलस साहिब का अपना फैसला होता तो ज़ाहिर पर होता। परन्तु समस्त ज़ाहिरी स्थितियों को विरुद्ध पाकर भी वह पुलिस कप्तान को कहते हैं जाओ उस अपराधी से पूछो वास्तविकता क्या है? वह आकर कहते हैं कि अपराधी बयान देता है कि जो कुछ मैं कह चुका हूँ वही सही है। इस पर भी कप्तान डगलस कहते हैं मेरा दिल नहीं मानता। पुलिस कप्तान पुनः जाते हैं और वह फिर यही कहता है परन्तु उधर वही उत्तर है कि दिल नहीं मानता। इस पर पुलिस कप्तान को भी विशेष विचार पैदा हुआ और उन्होंने यह प्रश्न किया कि अपराधी को पादरियों के पास रखने की बजाए पुलिस की कस्टडी में लिया जाए ताकि षड्यंत्र का संदेह न रहे। और जब इस पर अमल किया गया तो अपराधी तुरन्त साहिब के पैरों पर गिर पड़ा और

उस ने सब सच्चाई बयान कर दी और बता दिया कि मुझे अमुक पादरी सिखाया करते थे तथा कुछ अहमदियों के नाम जिनको ये साथ फंसाना चाहते थे जब मुझे याद न रहते थे तो ये मेरी हथेली पर वे नाम पेन्सिल से लिख देते थे ताकि मैं अदालत में हथेली पर देख कर अपनी याद ताज़ा कर लूँ। इस प्रकार से एक ओर तो अल्लाह तआला ने स्वयं एक अपराधी के दिल को फेर कर उसके मुंह से सच कहला दिया और दूसरी ओर स्वयं डिप्टी कमिश्नर के दिल को फेर दिया जो पहले विरोधी था फिर उनके पक्ष में हो गया और उसने फैसला किया कि हज़रत साहिब बिल्कुल बरी हैं और कहा कि यदि आप चाहें तो उन लोगों पर जिन्होंने आप के विरुद्ध षड्यंत्र किया था मुक़द्दमा किया था मुक़द्दमा कर सकते हैं। यह विशेष तक़्दीर थी परन्तु किस प्रकार प्रकट हुई। इस प्रकार कि जो बुरे सामान थे उनको ख़ुदा तआला ने अच्छा कर दिया और जो दण्ड देने का इरादा रखता था उसी को कहा कि मेरा दिल नहीं मानता कि मिर्ज़ा साहिब पर यह आरोप सच्चाई से लगाया गया हो।

3. तक़्दीर के जारी होने का तीसरा प्रकार यह है कि बुरे सामानों के दुष्प्रभाव से सामान ही पैदा करके उसे बचा दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति किसी के क़त्ल करने के लिए उसके घर आता है और उस पर तलवार भी चलाता है और तलवार उस पर पड़ती भी है परन्तु उचट जाती है और सही ढंग से लगती ही नहीं या बीच में कोई और चीज़ आ जाती है और वह उसके प्रभाव से सुरक्षित रहता है। इस घटना में सामान तो बुरे ही रहे अच्छे नहीं हो गए परन्तु उन के प्रभाव से मनुष्य बच गया।

4. चौथे तक़्दीर इस प्रकार होती है कि बुरे सामान के मुकाबले में अच्छे प्रयास की सामर्थ्य मिल जाती है। उदाहरणतया दुश्मन आक्रमण करता है, उसके आक्रमण से बचने का एक तो यह माध्यम था जो मैं

पहले बता चुका हूँ कि ख़ुदा तआला किसी अन्य शक्तिशाली मनुष्य को उसकी रक्षा के लिए खड़ा कर देता है और दूसरा उपाय यह है कि स्वयं उसी को उसके मुकाबले की शक्ति प्रदान कर देता है और इसी प्रकार नेक प्रयास का सामर्थ्य देकर उन बुरे सामानों के प्रभाव से उसे बचा लेता है जो उसके विरुद्ध एकत्र हो रहे थे।

ये चार तरीके हैं जिन में विशेष तक़्दीर इस प्रकार प्रकट होती है कि सामानों के माध्यम ही से सामान्य तक़्दीर को टलाया जाता है और सामान दिखाई भी देते हैं।

तक़्दीर के साथ गुप्त साधन -

दूसरा उपाय तक़्दीर के प्रकट होने का यह है कि उसके लिए सामान पैदा तो किए जाते हैं परन्तु बहुत गुप्त होते हैं, और जब तक अल्लाह तआला न बताये या बहुत विचार न किया जाए उनका पता नहीं लगता और इसलिए विचार किया जाता है कि वह सामानों के बिना प्रकट हुई है। परन्तु वास्तव में उसका प्रकटन सामानों की सहायता से ही होता है। उदाहरणतया एक व्यक्ति किसी का दुश्मन हो और उसे हर प्रकार से हानि पहुँचाने की कोशिश करता रहता हो किसी समय उसे संयोगवश ऐसा अवसर मिल जाए कि वह चाहे तो उसे मार दे। किन्तु पुरानी इच्छा के बावजूद वह उस समय अपने दुश्मन को छोड़ दे। अब देखने में तो यह व्यवहार उस व्यक्ति का ऐसा मालूम होता है कि इसका कोई कारण प्रकट नहीं, परन्तु संभव है कि कारण मौजूद हो। उदाहरण के तौर पर यह कि डर विजयी हो गया हो कि कोई मुझे देखता न हो, या यह कि उसके रिश्तेदारों को सन्देह हो गया तो वे मुझ से बदला लेंगे या और कोई ऐसा ही कारण हो जो अल्लाह तआला ने विशेष तौर पर पैदा कर

दिया हो। अतः पवित्र क़ुर्आन में इस का एक उदाहरण मौजूद है। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को उनके विरोधी कहते है –

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ

(हूद – 92)

अर्थात् यदि तेरी जमाअत न होती तो हम तुझे अवश्य पथराव करके मार देते।

इससे मालूम होता है कि इच्छा होने के बावजूद हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को पथराव करके नहीं मारते थे, क्योंकि डरते थे कि आप अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार नाराज़ होकर बदला लेंगे। परन्तु जब तक उन्होंने स्वयं इस बात को प्रकट नहीं किया लोगों को आश्चर्य ही होता होगा कि क्यों ये लोग जोश दिखाकर रह जाते हैं। उनके प्रकट करने से मालूम हुआ कि यह तक़्दीर भी एक विशेष कारण के द्वारा प्रकट हो रही थी। यहाँ यह संदेह नहीं करना चाहिए कि यह तक़्दीर विशेष क्योंकर हो गई। जिसके रिश्तेदार अधिक होते हैं लोग उस से डरते ही हैं। क्योंकि यह जो कुछ हुआ प्रकृति के सामान्य नियम के अन्तर्गत नहीं हुआ बल्कि विशेष तक़्दीर के अन्तर्गत ही हुआ। क्योंकि हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम का दावा था कि वह नबी हैं। और इस दावे के साथ ही उन्होंने दुनिया को बुलन्द आवाज़ में कह दिया था कि वह सफल होंगे और उनका दुश्मन उन पर क़ुदरत नहीं पा सकेगा। तो उन के दुश्मन का उन पर क़ुदरत न पाना प्रकृति के सामान्य नियम का परिणाम नहीं कहला सकता, बल्कि यह विशेष तक़्दीर थी और अल्लाह तआला का हाथ दुश्मनों के हाथ को रोक रहा था। विशेष तौर पर जबकि हम देखते हैं हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार स्वयं दुश्मनों के साथ ही थे और उन के मुरीद न थे, और यह भी उन के बाद बड़े-बड़े बादशाहों

को लोग क़त्ल कर देते हैं और किसी से नहीं डरते और भी स्पष्ट हो जाता है कि यह विशेष तक़्दीर ही थी।

इस प्रकार कि तक़्दीर का उदाहरण रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में 'अहज़ाब' के युद्ध में मिलता है। 'अहज़ाब' के युद्ध के समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दुशमनों ने बड़े ज़ोर-शोर से हमले की तैयारी की थी परन्तु उनकी समस्त कोशिशों के बावजूद उन से कुछ न बना। वह इस अवसर पर दस हज़ार सैनिकों की सेना लेकर आए थे। और स्थिति ऐसी ख़तरनाक हो गई थी कि मुसलमानों के लिए बाहर निकल कर शौच इत्यादि का भी स्थान न रहा था। अल्लाह तआला उस समय की स्थिति को पवित्र क़ुर्आन में इन शब्दों में वर्णन करता है –

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اذۡكُرُوۡا نِعۡمَةَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ اِذۡ جَآءَتۡكُمۡ جُنُوۡدٌ فَاَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيۡحًا وَّجُنُوۡدًا لَّمۡ تَرَوۡهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرًا اِذۡ جَآءُوۡكُمۡ مِّنۡ فَوۡقِكُمۡ وَمِنۡ اَسۡفَلَ مِنۡكُمۡ وَاِذۡ زَاغَتِ الۡاَبۡصَارُ وَبَلَغَتِ الۡقُلُوۡبُ الۡحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوۡنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوۡنَا هُنَالِكَ ابۡتُلِيَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَزُلۡزِلُوۡا زِلۡزَالًا شَدِيۡدًا وَاِذۡ يَقُوۡلُ الۡمُنٰفِقُوۡنَ وَالَّذِيۡنَ فِيۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗۤ اِلَّا غُرُوۡرًا

(अलअहज़ाब -10 ता 13)

अर्थात् हे मोमिनो! अल्लाह तआला की उस नेमत को याद करो जबकि बहुत सी सेनाएं तुम पर आक्रमणकारी हुईं। तो हम ने उन पर वायु भेजी और ऐसी सेनाएं भेजीं जिन को तुम नहीं देखते थे और अल्लाह तआला तुम्हारे कर्मों को देखता था। हाँ याद करो! जबकि दुश्मन तुम्हारे

ऊपर की तरफ़ से भी और नीचे की तरफ़ से भी आ गया और जबकि तुम्हारी नज़रें टेढ़ी हो गईं और दिल डर से मुंह को आते थे और तुम अल्लाह के बारे में भिन्न-भिन्न प्रकार के गुमान करने लगे। इस अवसर पर मोमिनों की कड़ी परीक्षा हुई और वह खूब हिलाए गए। और याद करो! जबकि मुनाफ़िक (कपटाचारी) और रूहानी रोगी भी अपनी कायरता के बावजूद कह उठे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हम से केवल झूठा वादा किया था।

इस आयत से सिद्ध है कि अहज़ाब के युद्ध के समय अल्लाह तआला ने मुसलमानों की ऐसे सामानों से मदद की थी जिन को वे नहीं देखते थे, और ऐसी हालत में मदद की थी जबकि मुनाफ़िक जो स्वाभाविक तौर पर डरपोक होता है मुसलमानों की ज़ाहिरी शक्ति को देखकर दिलेर हो गया था और कहने लग गया था कि मुसलमानों के ख़ुदा और उनके रसूल हम से झूठ बोलते रहे थे।

अहज़ाब युद्ध में ऐसे गुप्त माध्यमों से ख़ुदा तआला ने मुसलमानों की मदद की थी कि स्वयं मुसलमान हैरान रह गए थे। अत: लिखा है कि ठीक उन दिनों में जबकि दुश्मन अपने ज़ोर पर था और मुसलमानों को घेरे में लिया हुआ था, एक दिन रात के समय रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आवाज़ दी कि कोई है? एक साहाबी[रज़ि॰] ने कहा कि मैं उपस्थित हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया तुम नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ दी। फिर वही सहाबी[रज़ि॰] बोले कि हुज़ूर मैं उपस्थित हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम नहीं कोई और। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम थोड़ी देर खामोश रहे और फ़रमाया कि कोई है। उसी सहाबी[रज़ि॰] ने उत्तर दिया✴।

✴(बुख़ारी किताबुल मगाज़ी, बाब गज़्व-ए-खन्दक)

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ख़ुदा ने मुझे ख़बर दी थी कि दुश्मन भगा दिया गया। तुम जाकर देखो कि उसकी क्या हालत है? वह जब गया तो देखा कि मैदान खाली पड़ा है और दुश्मन भाग गया है।★ कुछ सहाबा[रज़ि॰] कहते हैं कि हम उस समय जाग रहे थे। परन्तु सर्दी की कठोरता के कारण बोलने की शक्ति नहीं पाते थे।

अब ज़ाहिरी तौर पर दुश्मन के भागने के कोई कारण दिखाई नहीं देते और उस समय सहाबा[रज़ि॰] भी हैरान थे परन्तु जैसा कि बाद में कुछ लोगों के इस्लाम लाने से सिद्ध हुआ उसके भी साधन थे परन्तु बहुत गुप्त। और वह यह कि दुश्मन अच्छे-भले रात को सोये थे कि एक क़बीले के सरदार की आग बुझ गई। अरब में यह समझा जाता है कि जिस की आग बुझ जाए उस पर संकट आता है। उस सरदार के क़बीले ने मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। अन्त में यह मशवरा हुआ कि हम अपना तम्बू उखाड़ कर कुछ दूर पीछे जा लगायें और कल फिर सेना में जा मिलेंगे। यह निर्णय कर के जब वे पीछे जाने लगे तो उन को देखकर दूसरे क़बीले ने और उन को देख कर तीसरे ने यहाँ तक कि इस प्रकार सब ने वापिस जाना प्रारंभ कर दिया और हर एक ने यह समझा कि दुश्मन ने रात के समय अचानक आक्रमण कर दिया है। यह समझ कर हर एक ने भागना आरंभ कर दिया, यहाँ तक कि अबू सुफ़्यान जो सेना का सेनापति था वह बदहवासी की हालत में बंधी हुई ऊंटनी पर सवार होकर उसे मारने लग गया कि चले। जब सब भाग गए और आगे जाकर एक-दूसरे से पूछा तो उन्हें मालूम हुआ कि यों ही भाग आए हैं।

अतः अहज़ाब के भागने के साधन तो मौजूद थे परन्तु दिखाई देने वाले नहीं थे बल्कि गुप्त थे। पवित्र क़ुर्आन में यही व्याख्या आई है कि

★ (अलख़साइसुलकुबरा - लेखक – जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र अस्सुयूती, जिल्द-1, पृष्ठ-230, पर लिखा है कि हज़रत हुज़ैफ़ा दुश्मन की सूचना लाने के लिए गए थे)

جُنُوْداً لَّمْ تَرَوْهَا ऐसी सेनाएं जो दिखाई नहीं देती थीं और गुप्त थीं।

इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के किसी और को बुलाने का क्या कारण था? यह कि आप मुसलमानों को बताएं कि ख़ुदा ही है जो तुम्हें सफ़लता देता है अन्यथा तुम्हारी यह हालत है कि सर्दी के कारण ज़ुबानें इतनी सूख गई हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बुलाता है और तुम उसकी आवाज़ का उत्तर नहीं दे सकते। इधर ख़ुदा का यह शक्ति प्रदर्शन है कि उसने तुम्हारे इतने बड़े दुश्मन को भगा दिया है।

संसाधनों के बिना विशेष तक़्दीर -

इस विशेष तक़्दीर के अतिरिक्त जिसके प्रकट होने के लिए अल्लाह तआला सामान पैदा करता है। एक तक़्दीर वह भी है जो बिना साधनों के प्रकट होती है उसके भी दो प्रकार हैं।

(1) प्रथम – वह तक़्दीर जिसका प्रकटन वास्तव में बिना सामान होता है परन्तु किसी विशेष हित के अन्तर्गत अल्लाह तआला उसके साथ सामान भी सम्मिलित कर देता है।

उसका उदाहरण ऐसा है कि जैसा कि हज़रत साहिब को इल्हाम हुआ कि अहमदियों को सामान्यतः ताऊन नहीं होगी, परन्तु इस के साथ ही आप अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि मोज़े पहनें, शाम के बाद बाहर न निकलें और कुनैन इस्तेमाल करें। ये साधन थे। परन्तु वास्तविक बात यही है कि यही तक़्दीर सामान के बिना थी क्योंकि मोज़े और दस्ताने पहनने वाले और लोग भी थे, फिर अधिक दवाएं इस्तेमाल करने वाले भी और लोग थे। अहमदियों के पास अधिक साधन न थे कि वे ताऊन से सुरक्षित रहते। वास्तव में GERMS (कीटाणुओं) को आदेश था कि

अहमदियों के शरीर में प्रवेश न करें, परन्तु साथ ही अहमदियों को आदेश था कि साधनों को प्रयोग करो। कारण यह कि यह आदेश दुश्मन के सामने भी जाना था और ईमान तथा ईमान न होने में अन्तर न रह जाता। यदि इन साधनों के बिना अहमदी ताऊन से सुरक्षित रहते या यदि इस आदेश में अपवाद की स्थिति पैदा ही न होती तब सब लोग अहमदी हो जाते और यह ईमान परोक्ष (गैब) पर ईमान न होता।

(2) द्वितीय प्रकार इस तक़्दीर का वह है जिसमें सामान मौजूद भी नहीं होते और साथ सम्मिलित भी नहीं किए जाते।

यह तक़्दीर केवल नबियों और मोमिनों के सामने प्रकट होती है। दूसरों के सामने नहीं होती। क्योंकि दूसरों के सामने यदि यह तक़्दीर प्रकट हो तो वह ईमान प्राप्त करने के सवाब (पुण्य) से वंचित रह जाएँ। परन्तु जो ईमान बिलग़ैब (परोक्ष पर ईमान) ला चुके होते हैं उनको ईमान बिश्शहादत उस तक़्दीर के माध्यम से दिया जाता है और उसके माध्यम से ये विशेष तौर पर ईमान में उन्नति करते हैं।

इस प्रकार की तक़्दीर का उदाहरण हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जीवन में आप के कुर्ते पर छींटे पड़ने की घटना है। एक बार आप ने स्वप्न में देखा कि मैं ख़ुदा के सामने कुछ कागज़ लेकर गया हूँ और उनको ख़ुदा के सामने प्रस्तुत किया है। ख़ुदा ने उन पर हस्ताक्षर करते समय कलम को छिड़का है और उस की बूँदें मेरे कपड़ों पर पड़ी हैं। हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम को जब यह कश्फ़ हुआ उस समय मौलवी अब्दुल्लाह साहिब सिन्नोरी आप अलैहिस्सलाम के पांव दबा रहे थे। दबाते दबाते उन्होंने देखा कि हज़रत साहिब के कपड़ों पर लाल रंग का छींटा पड़ा है। जब उस को हाथ लगाया तो वह गीला था, जिस से वह हैरान हुए कि यह क्या है? मैंने उन से प्रश्न किया था कि

क्या आप को ख्याल न आया कि ये छींटे असाधारण न थे बल्कि किसी ज़ाहिरी साधन के कारण थे। उन्होंने कहा कि मुझे उस समय ख़याल आया था और मैंने इधर उधर और छत की ओर देखा था कि शायद छिपकली की पूँछ कट गई हो और उसमें से ख़ून गिरा हो परन्तु छत बिल्कुल साफ़ थी, और ऐसा कोई लक्षण न था जिस से छींटों का किसी और सामान से सम्बद्ध किया जा सकता। इस लिए जब हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम उठे तो इस के बारे में मैंने आप से पूछा। आप ने पहले तो टालना चाहा परन्तु फिर समस्त वास्तविकता सुनाई।

तो ख़ुदा ने इस प्रकार विशेष तक़्दीर को बिना किसी सामान के प्रकट किया परन्तु एक नबी और उसके अनुयायी अब्दुल्लाह साहिब के सामने, क्योंकि वह ग़ैब पर ईमान ला चुके थे और अब उन को ईमान बिश्शहादत प्रदान करना दृष्टिगत था।

अत: मोमिनों के ईमान को ताज़ा करने के लिए अल्लाह तआला कभी-कभी बिना सामान के भी तक़्दीर प्रकट करता है ताकि उनको ख़ुदा तआला की क़ुदरत का सबूत मिले। परन्तु काफ़िर का यह अधिकार नहीं होता कि उसको इस प्रकार का अवलोकन कराया जाए।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो सब नबियों के सरदार थे और हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में भी इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं। जब आप हिजरत करके मदीना चले गए और मक्का के काफ़िरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पीछा किया तथा 'ग़ारे-सौर' तक पहुँच गए, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत अबू बक्र[रज़ि॰] के साथ छुपे हुए थे। जो खोजी काफ़िरों के साथ था उस ने कह दिया कि यहाँ तक आए हैं आगे नहीं गए, परन्तु उस के ज़ोर देने के बावजूद किसी को सामर्थ्य नहीं मिला

कि गर्दन झुका कर देख लें। हालाँकि जो लोग तीन मील तक पीछा कर के गए थे और तलाश करते-करते पहाड़ पर चढ़ गए थे उन के दिल में स्वाभाविक तौर पर विचार पैदा होना चाहिए था कि अब यहाँ तक आए हैं तो झुक कर देख लें कि शायद अन्दर बैठे हों। परन्तु सही ठिकाने पर पहुँच कर भी किसी ने गर्दन झुका कर गुफ़ा के अन्दर न देखा। हज़रत अबू बक्र[रज़ि॰] फ़रमाते हैं कि गुफ़ा का मुंह इतना चौड़ा था कि यदि वे लोग झुक कर देखते तो हमें देख सकते थे। तो यह ख़ुदा का क़ब्ज़ा था जो उनके दिलों पर हुआ और देखने में इसके लिए कोई सामान मौजूद न थे।

तक़्दीर का यह प्रकार बहुत कम प्रकट होता है और इस से केवल मोमिनों को ही अवगत कराया जाता है ताकि उन के ईमान में वृद्धि हो। ग़ारे-सौर वाली घटना में भी यद्यपि काफ़िर वहां मौजूद थे परन्तु उनको यह मालूम नहीं हुआ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वहां मौजूद हैं और वे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नहीं देख सकते। इस बात की जानकारी केवल आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र[रज़ि॰] को थी।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पानी बढ़ाना भी इस प्रकार की तक़्दीर का एक उदाहरण है। आजकल के लोग इस निशान का इन्कार कर दें तो कर दें परन्तु हदीसों में इस का वर्णन इतनी प्रचुरता से आया है कि कोई मुसलमान उसका इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु ये निशान मुसलमानों के ही सामने हुआ था, क्योंकि यदि काफ़िरों के सामने ऐसा निशान प्रकट होता तो या तो वे ग़ैब पर ईमान से वंचित रह जाते या ऐसे खुले निशान को देख कर भी जादूगर-जादूगर कह कर एक शीघ्र अज़ाब के पात्र हो जाते जो ख़ुदा तआला की रहीमियत

(दया) की विशेषता के विपरीत था।

तक़्दीर का संबंध मनुष्य के कर्मों से –

यद्यपि इस समय तक जो कुछ मैं बता चुका हूँ उस से मालूम हो जाता है कि तक़्दीर का वह अर्थ नहीं है जो जन सामान्य में समझा जाता है और जो इस्लाम के फिलास्फ़रों ने समझा है। अर्थात् यह कि जो कुछ करता है बन्दा ही करता है या यह कि जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है बन्दे का उसमें हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त एक बीच का रास्ता है जो सही और इस्लामी शिक्षा के अनुसार है। परन्तु अब मैं अधिक व्याख्या से इस बात को वर्णन कर देता हूँ कि मनुष्य के कर्मों से तक़्दीर का क्या संबंध है?

याद रखना चाहिए कि जैसा कि मैं वर्णन कर चुका हूँ तक़्दीर कई प्रकार की है। प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर। प्राकृतिक विशेष तक़्दीर और शरीअत की विशेष तक़्दीर। इनमें से प्रथम वर्णन की गई तक़्दीर ही है जो सब मनुष्यों से संबंध रखती है। अल्लाह तआला ने कुछ नियम निर्धारित कर दिए हैं जिन के अधीन जगत का सम्पूर्ण कारखाना चल रहा है अर्थात् प्रत्येक वस्तु में कुछ विशेषताएं पैदा कर दी हैं। वे अपनी सुपुर्द की गई सेवा को अपने दायरे में अदा कर रही हैं। उदाहरणतया आग में जलने की विशेषता रखी है। जब आग किसी ऐसी वस्तु को लगाई जाएगी जिसमें जलने की शक्ति रखी हुई है तो वह उसे जला देगी और उस वस्तु का जलना तक़्दीर के अधीन होगा। परन्तु ख़ुदा तआला ने यह निर्धारित नहीं किया कि अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति के घर को आग लगा दे। वस्तुओं की विशेषता ख़ुदा तआला ने पैदा की है, परन्तु उनके इस्तेमाल के संबंध में अल्लाह तआला किसी को विवश नहीं करता। चोर

जब चोरी करता है तो यह बात निस्सन्देह तक़्दीर है कि वह जब दूसरे के माल को उठाता है तो वह माल उठ जाता है, परन्तु ख़ुदा ने यह बात निर्धारित नहीं की कि ज़ैद बकर का माल उठा ले। ज़ैद को शक्ति प्राप्त थी कि चाहे उसका माल उठाता चाहे न उठाता। या जैसे वर्षा आती है तो वह एक सामान्य नियम के अधीन आती है। अल्लाह तआला का उस के बारे में कोई विशेष आदेश नहीं होता कि अमुक स्थान पर और अमुक समय वर्षा हो। तो वर्षा का आना एक तक़्दीर है परन्तु विशेष तक़्दीर नहीं। अल्लाह तआला ने एक सामान्य नियम बना दिया है। उस नियम के अन्तर्गत बरस जाती है और जैसी स्थिति होती है उनके अन्तर्गत वर्षा आ जाती है, परन्तु जैसा कि मैंने वर्णन किया है इस सामान्य तक़्दीर के अतिरिक्त और तक़्दीरें भी हैं और उन में अल्लाह तआला के विशेष आदेश उतरते हैं और उस समय जब वे तक़्दीरें उतरती हैं तो सामान्य तक़्दीर को फेर कर उन तक़्दीरों के अनुकूल कर दिया जाता है या सामान्य तक़्दीर के नियमों को तोड़ दिया जाता है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के समय। परन्तु यह तक़्दीर प्रत्येक के लिए तथा प्रतिदिन नहीं उतारी जाती, बल्कि यह तक़्दीरें विशेष बन्दों के लिए उतरती हैं या उनकी सहायता के लिए या उनके दुश्मनों की तबाही के लिए क्योंकि विशेष व्यवहार विशेष लोगों से ही किया जाता है या उन तक़्दीरों के उतरने का प्रेरक किसी व्यक्ति की दयनीय हालत होती है जो चाहे विशेष तौर पर नेक न हो परन्तु उसकी हालत विशेष तौर पर दयनीय हो जाए। उस समय भी अल्लाह तआला की रहमानियत (दया) जोश में आकर उसके शक्तिशाली होने की विशेषता को जोश में लाती है जो उस असहाय के कष्ट को दूर करती या उस पर अत्याचार करने वाले को दण्ड देती है। यह विशेष तक़्दीर जो उतरती है कभी इन्सानी

अंगों पर भी उतरती है। अर्थात् मनुष्य को विवश करके उससे एक काम कराया जाता है। उदाहरणतया ज़ुबान को आदेश हो जाता है कि वह एक विशेष वाक्य बोले, चाहे बोलने वाले का दिल चाहे या न चाहे उसे वह वाक्य बोलना पड़ता है और उसकी शक्ति नहीं होती कि वह उसको टोक सके। या कभी हाथ को कोई आदेश हो जाता है और कभी पूरे शरीर को कोई आदेश हो जाता है और उस समय मनुष्य का अधिकार अपने हाथ या शरीर पर नहीं रहता बल्कि ख़ुदा तआला का अधिकार होता है। अतएव हज़रत उमर[रज़ि॰] की एक घटना लिखी है कि उन की ख़िलाफ़त के दिनों में वह मिंबर (डायज़) पर चढ़ कर ख़ुत्बा दे रहे थे कि कि सहसा उन की ज़ुबान पर ये शब्द जारी हुए 'या सारियतुलजबल' يَا سَارِيَةُالْجَبَلَ अर्थात् हे सारियः पर्वत पर चढ़ जा। चूंकि ये वाक्य असंबंधित थे लोगों ने उन से प्रश्न किया कि आप ने यह क्या कहा? तो आप ने फ़रमाया कि मुझे दिखाया गया कि एक जगह सारियः जो इस्लामी सेना के एक सेनापति थे, खड़े हैं और दुश्मन उन के पीछे से इस प्रकार आक्रमणकारी है कि क़रीब है कि इस्लामी सेना तबाह हो जाए। उस समय मैंने देखा तो पास में एक पर्वत था जिस पर चढ़ कर वे दुश्मन के आक्रमण से बच सकते थे। इसलिए मैंने उनको आवाज़ दी कि वह उस पर्वत पर चढ़ जाएँ। अभी अधिक दिन न गुज़रे थे कि सारियः की तरफ़ से बिल्कुल उसी विषय की सूचना आई और उन्होंने यह भी लिखा कि उस समय आवाज़ आई जो हज़रत उमर[रज़ि॰] की आवाज़ के समान थी जिसने हमें ख़तरे से सूचित किया और हम पर्वत पर चढ़कर दुश्मन के आक्रमण से बच गए।

(तारीख़ इब्ने कसीर उर्दू जिल्द-7, पृष्ठ-265,266)

इस घटना से मालूम होता है कि हज़रत उमर[रज़ि॰]की ज़ुबान उस

समय उनके अपने काबू से निकल गई थी और उस समय सर्वशक्तिमान हस्ती के क़ब्ज़े में थी जिसके लिए फासला और दूरी कोई चीज़ नहीं थी।

तो तक़्दीर कभी अंगों पर जारी की जाती है और जिस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अल्लाह तआला जब्र से काम कराता है उसी प्रकार अल्लाह तआला मनुष्य से जब्र से काम लेता है, जिसमें मनुष्य का कुछ हस्तक्षेप नहीं होता बल्कि वह केवल एक हथियार की तरह होता है या मुर्दे की तरह होता है जिसमें स्वयं हिलने की शक्ति नहीं होती। वह जीवित के अधिकार में होता है वह जिस प्रकार चाहे उस से करे। अत: हज़रत उमर[रज़ि॰] की यह घटना ऐसी ही तक़्दीर के अधीन थी और उनका कुछ हस्तक्षेप न था अन्यथा उनकी क्या ताक़त थी कि इतनी दूर अपनी आवाज़ पहुंचा सकते।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हस्ती तो समस्त प्रकार के चमत्कारों की संग्रहीता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में भी इस प्रकार की तक़्दीर के उत्तम उदाहरण पाए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक बार एक युद्ध से वापस आ रहे थे। मार्ग में एक जंगल में दोपहर के समय आराम करने के लिए ठहर गए। सब सहाबा[रज़ि॰] इधर उधर बिखर कर सो गए। क्योंकि किसी प्रकार का ख़तरा न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी अकेले एक स्थान पर लेट गए कि सहसा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंख खुली और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा कि एक देहाती के हाथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तलवार है और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने तलवार खींचे खड़ा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंख खुली तो उसने पूछा कि बता अब तुझे कौन बचा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम ने कहा अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कहना था कि बद्दू के हाथ से तलवार गिर गई।

(मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल बाब तवक्कलहू अलल्लाहि तआला व इस्मतुल्लाहि तआला मिनन्नास)

उस समय यदि समस्त संसार भी कोशिश करता कि उसके हाथ से तलवार न गिरे तो कुछ न कर सकता था। क्योंकि मनुष्य को वहां तक पहुँचने में देर लगती, सिवाए ख़ुदा तआला के और कोई कुछ न कर सकता था। ऐसे विशेष समयों में अल्लाह तआला के विशेष बन्दों के लिए विशेष तक़्दीर जारी होती है। उस बद्दू के लिए जिसका मस्तिष्क सही था और जो इरादा रखता था कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मारे ख़ुदा तआला की यह तक़्दीर उतरी कि उसका हाथ न हिले और वह न हिला। यह एक तक़्दीर थी जो एक विशेष समय, एक विशेष व्यक्ति के एक अंग पर जारी हुई। परन्तु क्या ऐसी तक़्दीरों के होते हुए कोई व्यक्ति कह सकता है कि मनुष्य विवश है? ये तक़्दीरें हैं किन्तु इसके बावजूद मनुष्य विवश नहीं है बल्कि गिरफ़्त के योग्य है। क्योंकि ये तक़्दीरें हमेशा जारी नहीं होतीं, बल्कि विशेष परिस्थितियों में जारी होती हैं। और ऐसी कोई तक़्दीर जारी नहीं की जाती जिसके कारण मनुष्य विवश ठहराया जा सके और दण्ड एवं पुण्य के दायरे से निकल जाए।

इस प्रकार की तक़्दीर का एक दूसरा उदाहरण आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय में हमें और भी मिलता है। रसूले करीम पर जब अरब के लोगों ने एकत्र होकर वह आक्रमण किया जो अहज़ाब-युद्ध कहलाता है तो उस से पहले यहूदियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का समझौता हो चुका था कि यदि कोई दुश्मन मदीना पर आक्रमण करेगा तो यहूदी और मुसलमान मिलकर उसका मुक़ाबला

करेंगे। इस अवसर पर उनका कर्त्तव्य था कि सहायता करते परन्तु इसके विपरीत उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दुश्मनों से यह षड्यंत्र बनाया कि बाहर पुरुषों पर तुम आक्रमण करो, शहर में हम उनकी स्त्रियों और बच्चों को मार डालेंगे। जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लड़ने के लिए गए तो काफ़िर न लड़े। वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहूदियों से पूछा बताओ अब तुम्हारा क्या दण्ड होना चाहिए? उन को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जैसा दयालु, कृपाल इन्सान दण्ड देता तो वही देता जो لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ के द्वारा उसने मक्का वालों को दिया था। अर्थात् माफ़ कर देता। परन्तु उन्होंने कहा – हम तेरी बात नहीं मानेंगे। मालूम होता है कि वह बात ख़ुदा तआला ने ही उनके मुंह से जारी कराई, क्योंकि उनको वर्षों का अनुभव था कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुश्मनों से बहुत नरमी का व्यवहार करते हैं। जब उन लोगों से पूछा गया कि तुम किस की बात मानोगे तो उन्होंने हज़रत सअद[रज़ि॰] का नाम लिया। जब सअद[रज़ि॰] से पूछा गया कि इनको क्या दण्ड दिया जाए तो उन्होंने कहा कि इनके जितने तलवार उठाने वाले हैं सब क़त्ल किए जाएँ। अतः ऐसा ही किया गया।

(बुख़ारी किताबुलमग़ाज़ी बाब मर्जअन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अहज़ाब)

यहूदियों की ज़ुबान पर क्यों यह तक़्दीर जारी की गई? इसलिए कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ुबान पर उनके रहम (दया) और उन के पद के कारण यह तक़्दीर जारी नहीं की जा सकती थी। उसके जारी होने का यह मतलब होता कि आप का दिल कठोर हो जाता। परन्तु काफ़िरों की ज़ुबान पर जारी हो सकती थी क्योंकि उनके

दिल पहले ही कठोर थे। तो यह उन्हीं के मुंह से इस प्रकार जारी कराई कि हम तेरी बात नहीं मानेंगे बल्कि अमुक की बात मानते हैं। परन्तु यह याद रहे कि ये दोनों तक़्दीरें जो कर्मों पर या ज़ुबान पर जारी होती हैं ये शरीअत के कर्मों में नहीं होतीं, क्योंकि क़यामत के दिन शरीअत के कर्मों की पूछताछ होगी। यही कारण है कि ख़ुदा तआला ने हज़रत उमर[रज़ि॰] से ज़बरदस्ती नमाज़ें नहीं पढ़वाईं। यदि जब्र से किया तो यह किया कि ज़ुबान पर जारी करा दिया कि सारियः पर्वत पर चढ़ जाओ। इसी प्रकार ख़ुदा ने यहूदियों के बारे में यह नहीं किया कि ज़बरदस्ती उन्हें नमाज़ से रोक देता या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान न लाने देता। बल्कि एक राजनीतिक मामले में कर्म के प्रतिफल के संबंध में तक़्दीर उतारी। तो यह तक़्दीर शरीअत के कार्यों पर जारी नहीं होती बल्कि उन कार्यों में होती है जिन में कोई भी कार्य हो उससे मनुष्य शरीअत के दण्ड का पात्र नहीं होता। क्योंकि यदि शरीअत के कर्मों पर तक़्दीर जारी हो, ज़बरदस्ती से चोरी करवाई जाए, या नमाज़ पढ़वाई जाए तो फिर दण्ड या इनाम का कारण नहीं रहता बल्कि ऐसी परिस्थितियों में दण्ड देना अत्याचार हो जाता है, जिस से ख़ुदा तआला पवित्र है।

तक़्दीर के उतरने के समय सामानों का प्रयोग करना वैध है या नहीं?

अब मैं यह बताता हूँ कि जब तक़्दीर जारी होती है तो बन्दों को सामान प्रयोग करने की शक्ति होती है या नहीं। और यदि शक्ति होती है तो फिर साधन के प्रयोग की इजाज़त होती है या नहीं। इसके बारे में याद रखना चाहिए कि जो तक़्दीर अंगों पर जारी होती है उसके मुकाबले में मनुष्य को साधन का प्रयोग करने की शक्ति नहीं होती। अतः जब

हज़रत उमर[रज़ि॰] की ज़ुबान को विशेष शब्द प्रयोग करने का आदेश हुआ था उनकी शक्ति न थी कि संसार के किसी साधन को भी इस्तेमाल कर के वह अपनी ज़ुबान को इस वाक्य के बोलने से रोक सकते या उस काफ़िर के हाथ पर जब तक़्दीर जारी हुई कि लूला होकर तलवार उस से गिर जाए और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आक्रमण न कर सके। उस की शक्ति न थी इसके विरुद्ध कुछ कर सके। इसी प्रकार जब दिल पर तक़्दीर जारी होती है तो उस तक़्दीर के विरुद्ध मनुष्य का झुकाव हो ही नहीं सकता। परन्तु जो तक़्दीरें स्वयं मनुष्य के दिल और अंगों पर जारी नहीं होतीं बल्कि दूसरों पर जारी होती है या उस के शरीर के ऐसे भागों पर जारी होती हैं जिनका कार्य स्वभाविक है उसके इरादे के अधीन नहीं उस समय ऐसे साधनों के प्रयोग करने की शक्ति होती है।

ऐसी स्थिति में फिर दो बातें होती हैं। प्रथम- यह कि उसे मालूम हो जाता है कि ख़ुदा तआला की ओर से कोई तक़्दीर उतरी है। द्वितीय- वह हालत कि उसे मालूम ही नहीं होता कि ख़ुदा तआला की ओर से कोई तक़्दीर उतरी है, उस समय यदि ये सामान प्रयोग करता है तो उसे कोई गुनाह नहीं होता। परन्तु जब उसे मालूम होता है कि ख़ुदा तआला ने यह तक़्दीर उतारी है तो उस समय उसकी दो हालतें होती हैं। या तो उसको अल्लाह तआला ही की ओर से कुछ सामान या सब सामानों को प्रयोग करने का आदेश होता है। अर्थात् तक़्दीर तो होती है परन्तु उन सामानों से संबंधित होती है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए विजय पाना मुक़द्दर हो चुका था परन्तु वह तक़्दीर युद्ध के साथ लटकी हुई थी। तो ऐसे समय में बन्दे के लिए आवश्यक होता है कि कुछ या कुल सामानों को प्रयोग न करे। यदि करेगा तो उसे हानि पहुंचेगी और

अल्लाह तआला की नाराज़गी होगी। इस का उद्देश्य यह होता है कि बन्दे को बताया जाए कि ख़ुदा तआला सामान के बिना भी काम कर सकता है। इस के उदाहरण में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक वृत्तान्त प्रस्तुत करता हूँ। एक बार आप को खांसी की तकलीफ़ थी। आप मुबारक अहमद के इलाज में पूरी-पूरी रात जागते थे। मैं उन दिनों बारह बजे के लगभग सोता था और जल्दी ही उठ बैठता था। परन्तु जब मैं सोता उस समय हज़रत साहिब को जागते देखता और जब उठता तो भी जागते देखता। इस मेहनत के कारण आप को खांसी हो गई। उन दिनों मैं ही आप को दवा इत्यादि पिलाया करता था और चूंकि दवा का पिलाना मेरे सुपुर्द था, इस लिए डाक्टरों के मशवरे के अनुसार ऐसी बातों पर जो खांसी के लिए हानिप्रद हों टोक भी दिया करता। एक दिन एक व्यक्ति आप के लिए उपहार के तौर पर केले लाया। हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने केला खाना चाहा, परन्तु मेरे मना करने पर कि आपको खांसी है आप क्यों केला खाते हैं। आप ने केला मुस्करा कर रख दिया। चूंकि मैं डाक्टरों के निर्देश का पालन करता था और परिचायक (रोगी की देखभाल करने वाला) था आप मेरी बात भी मान लेते थे। उन्हीं दिनों डाक्टर ख़लीफ़ा रशीदुद्दीन साहिब हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम के लिए फ्रांसीसी सेब लाए जो इतने खट्टे थे कि खांसी न भी हो तो उन के खाने से हो जाए। परन्तु हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने काट कर एक सेब खाना आरंभ कर दिया। मैंने मना किया परन्तु आप ने न माना और खाते चले गए। मैं बहुत कुढ़ता रहा कि आप को खांसी का इतना कष्ट है परन्तु फिर भी आप ऐसा खट्टा सेब खा रहे हैं किन्तु आप ने परवाह न की और सेब की फांकें कर के खाते गए और साथ-साथ मुस्कराते भी गए। जब सेब खा चुके तो फ़रमाया - तुम्हें नहीं मालूम मुझे इल्हाम हुआ है

कि खांसी दूर हो गई है और अब किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने अल्लाह तआला के कलाम के सम्मान के तौर पर यह सेब खट्टा होने के बावजूद खा लिया है। तो इसके बाद आपकी खांसी ठीक हो गई और किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ।

कुछ परिस्थितियों में सामान क्यों इस्तेमाल कराए जाते हैं?

अब यह प्रश्न पैदा होता है कि कुछ परिस्थितियों में बन्दे से साधन क्यों इस्तेमाल कराए जाते हैं? बिना सामान क्यों काम नहीं हो जाते? इस के लिए याद रखना चाहिए कि प्रथम– यदि हमेशा साधन के बिना काम लिया जाए तो ग़ैब पर ईमान जो ईमान और पुण्य (सवाब) प्राप्ति के लिए आवश्यक है बेकार हो जाए। इसके अतिरिक्त चूंकि बन्दे का कर्म भी ख़ुदा के रहम को खींचता है, इसलिए तक़्दीर भी होती है और उसके साथ रहमत (दया) के भी खींचने के लिए ख़ुदा तआला साधन भी इस्तेमाल कराता है। सामान तक़्दीर के मार्ग में न रोक हो सकते हैं और न होते हैं। परन्तु उन की कमज़ोरी और विवशता रहमत को खींचने वाली हो जाती है।

द्वितीय – साधन से काम लेने का आदेश इसलिए भी है कि बन्दे पर उसके प्रयास की कमज़ोरी प्रकट हो। यदि साधन के बिना काम हो जाए तो बहुत बार मनुष्य यह समझ ले कि यदि मैं इस काम को करता तो न मालूम किस प्रकार करता। जब वह साथ-साथ प्रयास करता है तो उसे मालूम होता जाता है कि उसका प्रयास कमज़ोर है और उसके मुकाबले में अल्लाह तआला का फ़ज़्ल क्या काम कर रहा है। तो प्रयास मनुष्य के ईमान को सुदृढ़ करता है और मनुष्य साथ-साथ ही देखता जाता है

कि यदि मेरे दायित्व में ही यह काम होता तो मेरी कोशिश और प्रयास केवल इस सीमा तक ही पहुँच सकती था और अन्त में मुझे विफलता का मुंह देखना पड़ता अन्यथा उसे तक़्दीर एक संयोग दिखाई देती और सुस्ती इस के अतिरक्त पैदा होती।

इस साधन के इस्तेमाल के बारे में मैं एक उदाहरण वर्णन करता हूँ। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में यह तक़्दीर उतर चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफल होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दुश्मन विफल। यदि किसी कारण के बिना लोग अपने-अपने घरों में बीमार होकर मर जाते तो सब लोग कहते कि यह संयोग था, लोग मरा ही करते हैं किन्तु अल्लाह तआला ने इस तक़्दीर को सामान के द्वारा प्रकट कर के अपनी क़ुदरत का विशेष सबूत दिया।

बदर के युद्ध की एक घटना इस बात को भली-भांति स्पष्ट कर देती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ़[रज़ि॰] कहते हैं कि उस दिन मेरा दिल चाहता था कि आज दुश्मनों के मुकाबले में बहादुरी के साथ लड़ूं (क्योंकि यह पहला युद्ध था जिस में काफ़िरों और मुसलमानों का जम कर मुक़ाबला होने वाला था और जिसमें एक तरफ़ मुसलमानों का सब से बड़ा दुश्मन अबू जहल और दूसरी तरफ़ ख़ुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मौजूद थे और मुसलमानों को काफ़िरों के अत्याचार एक-एक कर के याद आ रहे थे) और चूंकि युद्ध में जिस सैनिक के दाएं-बाएं भी शक्तिशाली आदमी हो वही खूब लड़ सकता है। मैंने भी अपने दएं-बाएं देखा परन्तु मेरे अफ़सोस की कोई सीमा न रही जब मैंने देखा कि मेरे दोनों तरफ़ चौदह-चौदह वर्ष के दो अन्सार लड़के थे। उन्हें देख मैंने सोचा की आज मैंने क्या लड़ना है। यह भ्रम अभी मेरे दिल मैं पैदा ही

हुआ था कि उनमें से एक ने मुझे कुहनी मारी और मेरे कान में आहिस्ता से कहा ताकि दूसरा न सुन ले कहा कि चाचा! अबू जहल कौन सा है? दिल चाहता था कि उसका क़त्ल कर दूँ। क्योंकि सुना है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बहुत दु:ख देता है। वह कहते हैं कि उसकी यह बात सुन कर मैं तो हैरान रह गया। क्योंकि यह विचार मेरे दिल में भी नहीं आया था। परन्तु अभी मैंने उसकी पूरी बात न सुनी थी कि दूसरे ने मेरे दूसरे पहलू में कुहनी मारी और आहिस्ता से ताकि दूसरा न सुन ले। उसने भी यही पूछा कि चाचा! अबू जहल कौन सा है? जिस ने सुना है रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर बड़े-बड़े अत्याचार किए हुए हैं। इस पर मेरी हैरत और भी बढ़ गई। परन्तु मेरी हैरत की उस समय कोई सीमा न रही जब मेरे अबू जहल की तरफ़ इशारा करते ही उसके बावजूद कि उसके चारों ओर बड़े-बड़े बहादुर सैनिक खड़े थे। वे दोनों लड़के बाज़ों के समान झपट कर उस पर आक्रमणकारी हुए।

(बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब फ़ज़ल मिन शहिदा बदरन)

और चारों ओर की तलवार के वार बचाते हुए उस तक पहुँच ही गए और उसे घायल कर के गिरा दिया। इस घटना से मालूम होता है की काफ़िरों के मारने के लिए युद्ध कराना और मुसलमानों का उनके मुकाबले पर जाना एक कारण था, परन्तु स्वयं इस तदबीर (उपाय) की कमज़ोरी ही उस तक़्दीर की श्रेष्ठता पर प्रमाण थी जो ख़ुदा तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के लिए जारी की थी। परन्तु यह तदबीर न होती तो इस तक़्दीर की शान भी इस प्रकार प्रकट न होती और सहाबा[रज़ि०] को अपनी कमज़ोरी और अल्लाह तआला के प्रताप का ऐसा पता न लगता जो अब लगा। वास्तव में अपनी तलवारों

में ही उन्होंने ने ख़ुदा तआला की चमकती हुई तलवार को देखा और उन साधनों में ही अपनी साधनहीनता का ज्ञान प्राप्त किया। तेरह, चौदह वर्ष के लड़के अबू जहल को किस प्रकार मार सकते थे, परन्तु उन्होंने मारा। यही हाल उन दूसरे लोगों का था जो इस युद्ध में क़त्ल किए गए। यही कारण था कि ख़ुदा तआला इस युद्ध के बारे में फ़रमाता है –

فَلَمۡ تَقۡتُلُوۡهُمۡ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمۡ (अलअन्फ़ाल – 18)

कि तुम ने उनको क़त्ल नहीं किया बल्कि हमने किया है। फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाया है –

وَمَا رَمَيۡتَ اِذۡ رَمَيۡتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى (अलअन्फ़ाल – 18)

जब तू ने उन काफ़िरों पर पत्थर फेंके थे यह फेंकना तेरी तरफ़ से न था बल्कि हमारी तरफ़ से था। निस्संदेह कंकड़ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फेंके थे, परन्तु चूंकि आंधी ख़ुदा की तरफ़ से चलाई गई थी और उसी ने दुश्मन को युद्ध के अयोग्य कर दिया था। इसलिए ख़ुदा तआला ही की तरफ़ इस कार्य को सम्बद्ध किया गया। तो तक़्दीर के प्रकट होने में अभी साधन न होने की अभिव्यक्ति के लिए सामान रखे जाते हैं।

तृतीय – मनुष्य को परिश्रम और प्रयास का फल देने के लिए तक़्दीर के साथ सामान के इस्तेमाल का भी आदेश दिया जाता है। उदाहरणतया सहाबा किराम[रज़ि॰] को युद्धों का पुण्य (सवाब) मिला। यदि यों ही विजय हो जाती तो कहाँ मिलता। वह तक़्दीर मुहताज न थी सहाबा[रज़ि॰] की तलवार की, परन्तु सहाबा[रज़ि॰] मुहताज थे तक़्दीर के साथ कार्य करने के, ताकि पुण्य से वंचित न रह जाएँ। ये तीन मोटे-मोटे कारण हैं तक़्दीर के साथ सामान इस्तेमाल करने के।

अब प्रश्न हो सकता है कि फिर कभी तक़्दीर में साधनों से मना

क्यों किया जाता है?

इसके लिए याद रखना चाहिए की कभी ख़ुदा तआला मोमिन को सामान के बिना तक़्दीर को अभिव्यक्त करके अपना प्रताप दिखाना चाहता है ताकि मालूम हो कि उसकी क़ुदरत के मुकाबले में सब सामान तुच्छ हैं और ख़ुदा जो चाहता है करता है।

क्या तक़्दीर टल सकती है?

अब मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि क्या तक़्दीर टल सकती है? इसका संक्षिप्त उत्तर तो यह है कि हाँ टल सकती है। तक़्दीर के मायने फ़ैसले के हैं और जो फ़ैसला दे सकता है वह उसे बदल भी सकता है और फ़ैसला कर के उसे न बदल सकना कमज़ोरी का लक्षण है जो ख़ुदा तआला में नहीं पाई जा सकती।

तक़्दीर किस प्रकार टल सकती है?

अब मैं बताता हूँ की तक़्दीर किस प्रकार टल सकती है। प्रथम– प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर टल सकती है प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर से। जैसे प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर यह है कि आग लगे तो कपड़ा जल जाए। अब यदि किसी कपड़े को आग लगाई जाए और वह जलने लगे तो कहा जायेगा कि उस पर प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर जारी हो गई है, परन्तु उस समय के संबंध में एक और तक़्दीर भी है और वह यह कि यदि आग पर पानी डाल दिया जाए तो वह उसे बुझा देता है। तो जब पानी आग पर डाला जायेगा तो वह बुझ जाएगी और इस प्रकार एक प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर दूसरी प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर को टाल देगी। अतः प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर टल सकती है और वह इस प्रकार कि

उसके मुकाबले में एक और तक़्दीर को जारी कर दिया जाए और इस प्रकार उसे मिटा दिया जाए। यदि कोई कहे कि जो उदाहरण दिया गया है उस से तो मालूम होता है कि तदबीर ने तक़्दीर को टला दिया न कि तक़्दीर ने तक़्दीर को। क्योंकि पानी को मनुष्य डालता है। तो इसका उत्तर यह है कि यदि पानी मनुष्य ने डाला है तो आग भी तो कभी मनुष्य स्वयं ही जान बूझकर या अनजाने में लगाता है। तो जिस प्रकार पहले कार्य को तक़्दीर कहा जाता है दूसरे कार्य को भी तक़्दीर कहा जायेगा। दूसरे जैसा कि वर्णन हो चुका है मनुष्य का कार्य तो तक़्दीर होता ही नहीं (सिवाए उन तरीक़ों के जो वर्णन हुए) हमारा अभिप्राय आग लगने से भी और इसके बुझने से भी मनुष्य के कार्य की ओर संकेत करना नहीं बल्कि जलने और बुझने की योग्यता से है। तो सही यही है कि एक तक़्दीर ने दूसरी तक़्दीर को बदल दिया। अन्यथा ख़ुदा तआला यदि आग में जलाने की विशेषता न रखता तो कौन किसी वस्तु को जला सकता और यदि वह पानी में बुझाने का तत्त्व न रखता तो कौन उस के द्वारा आग को बुझा सकता।

इसी प्रकार उदाहरणतया यदि एक व्यक्ति अधिक मिर्चें खा लेता है जो उसकी आंतों को चीरती जाती हैं और उनमें खरोंच पैदा कर देती हैं तो वह कहता है यह तक़्दीर है। इसके मुक़ाबले में वह एक तक़्दीर से काम लेता है अर्थात् घी या कोई और चिकनाई या इस्ब़गोल का लेस खा लेता है जिस से खरोंच दूर हो जाती है और यह पहली तक़्दीर को मिटा देती है।

इस से बड़ा उदाहरण हज़रत उमर[रज़ि॰] के समय की एक घटना है। उस समय इस्लामी सेना में ताऊन पड़ी और अबू उबैदा[रज़ि॰] बिन जर्राह जो सेना के सेनापति थे उन का विचार था कि महामारी ख़ुदा की तक़दीर

के तौर पर आती है। तो वह परहेज़ इत्यादि के महत्त्व को नहीं समझ सकते थे। हज़रत उमर[रज़ि॰] जब इस सेना की ओर गए और मुहाजिरों एवं अन्सार के मशवरे से वापस लौटने की बात की तो इस पर हज़रत अबू उबैदा[रज़ि॰] ने कहा -

أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ

अर्थात् हे उमर! क्या आप अल्लाह तआला की तक़्दीर से भाग कर जाते हैं? आप[रज़ि॰] ने फ़रमाया -

نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ اِلٰی قَدَرِ اللّٰهِ

(बुख़ारी किताबुत्तिब बाब मा यज़्कुरो फ़ित्ताऊन)

अर्थात् हम अल्लाह तआला की तक़्दीर से भाग कर उसी की तक़्दीर की तरफ़ जाते हैं और यह वही बात थी जो मुसलमानों को एक मस्नून दुआ में सिखाई गई है और जिस के बारे में प्रत्येक मुसलमान से उम्मीद की जाती है कि वह उसे सोने से पहले दुआ के तौर पर पढ़ा करे और उसके बाद कोई बात न किया करे। उस दुआ में आता है -

لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجٰی مِنْکَ اِلَّا اِلَیْکَ

(बुख़ारी किताबुद्दा'वात बाब इज़बाता ज़ाहिरन)

अर्थात् हे ख़ुदा! तेरे प्रकोप से बचने की और उस से शरण पाने की तेरी दरगाह के अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं।

एक तक़्दीर के मुकाबले में दूसरी तक़्दीर के इस्तेमाल करने का उदाहरण ऐसा ही है जैसे किसी का एक हाथ खाली हो और दूसरे में रोटी हो। कोई व्यक्ति ख़ाली हाथ को छोड़कर दूसरे की तरफ़ जाए और कोई उसे कहे कि क्या तुम उस हाथ से भागते हो? वह यही उत्तर देगा कि मैं उस से नहीं भागता बल्कि उस के दूसरे हाथ की तरफ़ ध्यान

दिया है।

2. जिस प्रकार प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर को प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर से टलाया जाता है, उसी प्रकार उसे प्राकृतिक विशेष तक़्दीर से भी टलाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सांसारिक सामान एकत्र हो रहे हों और वह उनका मुक़ाबला न कर सकता हो तो वह ख़ुदा तआला के फ़ज़्ल को खींचने वाला हो कर उसकी विशेष तक़्दीर के द्वारा उसको टला सकता है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्लाम की घटना है। सामान्य तक़्दीर यह है कि आग जलाए, परन्तु हज़रत इब्राहीम अलैहिस्लाम के लिए विशेष तक़्दीर जारी हुई कि आग उनको न जला सके। और वह आग की हानि से सुरक्षित रहे। इसी प्रकार सामान्य तक़्दीर यह है कि मनुष्य क़त्ल होने की योग्यता रखता है परन्तु रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमा दिया

وَاللّٰهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (अलमाइद: 68)

अब आप को दुनिया क़त्ल नहीं कर सकती थी क्योंकि सामान्य तक़्दीर को विशेष तक़्दीर ने बदल दिया। इसी प्रकार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्लाम के साथ भी हुआ।

3. जिस प्रकार प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर, प्राकृतिक सामान्य तक़्दीर और प्राकृतिक विशेष तक़्दीर से टल जाती है, उसी प्रकार विशेष तक़्दीर, विशेष तक़्दीर से टल जाती है। यह इस प्रकार होता है कि कभी एक व्यक्ति के लिए उसकी कुछ स्थितियों के अनुसार एक विशेष आदेश दिया जाता है फिर वह अपने अन्दर परिवर्तन कर लेता है तो फिर उस आदेश को भी बदल दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति अल्लाह तआला के धर्म के मार्ग में विशेष तौर पर बाधा बन जाता है और लोगों को गुमराह करता है तो अल्लाह तआला की ओर से आदेश दिया जाता है कि उसे

मौत दी जाए। परन्तु कभी वह व्यक्ति उस आदेश के जारी होने से पहले तौब: कर लेता है या कुछ हद तक सुधार कर लेता है तो फिर अल्लाह तआला की तरफ़ से भी पहले आदेश को निरस्त करने का आदेश मिल जाता है।

विशेष तक़्दीर के विशेष तक़्दीर से बदलने का उदाहरण आथम की घटना है। उसने अपनी पुस्तकों में तथा मौखिक तौर पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपमान करना चाहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को (नऊज़ुबिल्लाह) दज्जाल कहा और फिर उस पर हठधर्मी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नायब तथा अल्लाह तआला के मामूर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से मुबाहसा किया इस पर ख़ुदा तआला की तक़्दीर जारी हुई कि यदि वह सच्चाई की तरफ़ नहीं लौटेगा तो पन्द्रह माह के अन्दर हाविय: में गिराया जाएगा। यह विशेष तक़्दीर थी, परन्तु जब वह डर गया और उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में ये शब्द प्रयोग नहीं करता और गालियाँ छोड़ कर खामोश हो गया तो यह तक़्दीर टला दी गई। यदि कोई तलवार लेकर किसी पर आक्रमण करे और कहे कि चूंकि तुम मुझ से लड़ते हो इसलिए मैं भी तुम्हारे क़त्ल के लिए खड़ा हूं और अब मैं तुम को क़त्ल कर दूंगा। इस पर आक्रमणकारी अपनी तलवार नीची कर ले तो यही उसका लड़ाई से लौटना समझा जाएगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि वह गले भी मिल ले। हमारे विरोधी कहते हैं कि आथम के बारे में सच्चाई की तरफ़ लौटने की शर्त थी। जिस का यह मतलब है कि वह इस्लाम लाए। हम कहते हैं कि सच्चाई की तरफ़ लौटने के अन्दर तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुक़ाम (पद) भी आ जाता है। इसके मायने यही नहीं है कि

मनुष्य गुमराही से सच की तरफ़ आए बल्कि सच की तरफ़ बार-बार ध्यान देना भी सच की तरफ़ लौटना कहलाता है, तो क्या फिर इस सच की तरफ़ लौटने के यह अर्थ लिए जांएगे कि आथम नबियों के मुक़ाम को पहुँच जाए तब उसे माफ़ किया जाएगा। वास्तव में सच की तरफ़ लौटने की कई श्रेणियां हैं- मुसलमान होना, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मान लेना, शहीदों में दाख़िल होना, सिद्दीक़ बनना। परन्तु यह भी सच की तरफ़ लौटना है। जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गालियां देता हो, उस का रुक जाना। और आथम ने यह सच की ओर लौटना किया और उसका लाभ प्राप्त किया। उसके बारे में जो विशेष तक़्दीर जारी हुई थी उसे दूसरी विशेष तक़्दीर ने टाल दिया और ख़ुदा तआला की रहम (दया) की विशेष से अपना प्रभुत्व सिद्ध कर दिया।

तक़्दरी के टलने का भविष्यवाणियों से संबंध-

चूंकि भविष्यवाणियों से नुबुव्वत की सच्चाई का बहुत बड़ा संबंध होता है और उनके टलने से नबियों के दुश्मनों को शोर करने का अवसर मिलता है और भविष्यवाणियां तक़्दीर के विषय की ही एक शाख है। इसलिए मैं बताता हूं कि तक़्दीर और भविष्यवाणियों का क्या संबंध है? यह बात याद रखनी चाहिए कि भविष्यवाणियां दो प्रकार ही होती हैं। एक अनादि ज्ञान की प्रकटन के लिए और एक क़ुदरत के प्रदर्शन के लिए। तक़्दीर के इस पहलू को न समझने के कारण सामान्य मुसलमानों ने उसी प्रकार बड़े-बड़े धोखे खाए हैं, जिस प्रकार तक़्दीर के एक और पहलू को न समझने के कारण हिन्दुओं ने। हिन्दुओं की आवागमन की समस्या भी तक़्दीर के न समझने के कारण से है। वे कहते हैं कि एक बच्चा अंधा क्यों पैदा होता है? इसीलिए कि उसने

पहले कुछ ऐसे काम किए थे जिन का दण्ड उसे दिया गया। हांलाकि बात यह है कि तक़्दीर दो प्रकार की है। एक शरीअत की और दूसरी प्राकृतिक। वे कहते हैं कि एक बच्चा लूला-लंगड़ा क्यों पैदा होता है क्या ख़ुदा ज़ालिम है कि बिना अपराध उसे दोषपूर्ण पैदा कर देता है? इस से वे परिणाम निकालते हैं कि उसने अवश्य किसी पहले युग में ऐसे कार्य किए होंगे जिन के दण्ड में उसे ऐसा बनाया गया है। परन्तु यह धोखा उन्हें दो ग़लतियों के कारण लगा है। प्रथम यह कि उन्होंने तक़्दीर के प्रकारों की नहीं समझा। तक़्दीर जैसा कि मैं पहले वर्णन कर चुका हूं दो प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक (नेचुरल) और एक शरई। शरई (शरीअत की) तक़्दीर का प्रभाव शरीअत के आदेशों का पालन करने या उनके तोड़ने पर प्रकट होता है और प्राकृतिक तक़्दीर का प्रभाव उसके आदेशों का पालन करने या उनका खण्डन करने पर प्रकट होता है। बच्चे जो अंधे पैदा होते हैं या अपाहिज पैदा होते हैं वह शरई तक़्दीर नहीं बल्कि प्राकृतिक तक़्दीर के टूटने के कारण अंधे या अपाहिज होते हैं। तिब्ब (चिकित्सा की दृष्टी)से हमें यह बात मालूम होती है कि मां-बाप के परहेज़ का प्रभाव भी और उनकी बद परहेज़ी का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। कुछ स्त्रियों के गर्भाशय में कमज़ोरी होती है तो उनके बच्चे हमेशा अपाहिज और दोषपूर्ण पैदा होते हैं विशेष तौर पर कुछ बीमारियां तो बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के तौर पर टीबी, कंठमाला संबंधी तत्व, उपदंश, हिस्टेरिया, पागलपन इत्यादि। तो बच्चे का दोषपूर्ण और अपूर्ण होना किसी पिछले गुनाह के दण्ड स्वरूप नहीं होता बल्कि उसके माता-पिता के किसी शारीरिक दोष के कारण होता है या गर्भ को दिनों की कुछ बदपरहेज़िओं के कारण होता है। चूंकि बच्चे की पैदायश माता-पिता के ही शरीर से

होती है इसलिए उनके शारीरिक दोषों या शारीरिक ख़ूबियों का वारिस होना उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि बच्चा मां-बाप के प्रभाव से तभी प्रभावित न होगा जब ख़ुदा तआला प्रकृति के नियम को इस प्रकार बदल दे कि एक व्यक्ति के काम का प्रभाव दूसरे पर न पड़े। यदि यह नियम जारी हो जाए तो समझ लो कि वर्तमान जगत का कारखाना (व्यवस्था) बिल्कुल अस्त-वयस्त हो जाए। क्योंकि सम्पूर्ण जगत की व्यवस्था इसी नियम पर चल रही है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के अच्छे या बुरे प्रभाव को स्वीकार करती है।

दूसरा कारण जिस से हिन्दुओं को इस के समझने में ग़लती लगी है यह है कि उन्होंने समझा है कि रूहें कहीं इकट्ठी करके रखी हुई हैं और अल्लाह तआला पकड़-पकड़ कर उनको स्त्रियों के गर्भाशय में डालता है। हालांकि इससे व्यर्थ आस्था और कोई नहीं हो सकती क्योंकि इस आस्था को मानकर फिर यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य के कार्य भी अल्लाह तआला ही कराता है, क्योंकि एक रूह के शरीर में आने का यदि समय आ गया और उस समय वह व्यक्ति जिसका पैदा होना वांछित हो और वह कहीं सफर पर गया हुआ हो या उसने शादी ही न की हो तो फिर वह रूह क्योंकर आ सकती है। तो इस आस्था के साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य से समस्त कार्य अल्लाह तआला ही कराता है और समस्त सांसारिक कार्य भी ख़ुदा तआला के आदेश से विवश होकर उसे करने पड़ते हैं। इस प्रकार मनुष्य की वह कार्य भी स्वतंत्रता जिस के कारण वह प्रतिफल एवं दण्ड का पात्र होता है बरबाद हो जाती है। दूसरा दोष इस आस्था के कारण यह पैदा होता है कि इससे एक देखी हुई बात का इन्कार करना पड़ता है। और वह यह है कि वास्तव में रूह परिणाम है उस परिवर्तन का जो वीर्य

मां के गर्भाशय में पाता है। अतः हम देखते हैं कि परिवर्तन के दोष के कारण बच्चा निष्प्राण (बे जान) रहता है या जान (प्राण) पड़कर फिर मां के गर्भाशय ही में निकल जाती है। तो इस आस्था को मानकर कि रूहें ख़ुदा तआला ने इकट्ठी करके रखी हुई हैं, इस अनुभव की हुई बात का भी इन्कार करना पड़ता है और अनुभव की हुई बात का इन्कार एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए बिल्कुल असंभव है। (इस विषय का विवरण हज़रत साहिब अलैहिस्लाम की पुस्तक बराहीन अहमदिया भाग-पंचम में अवश्य देखना चाहिए।)

सामान्य मुसलमानों को भी भविष्यवाणियों को समझने में ऐसा ही धोखा लगा है। परन्तु हिन्दुओं को प्राकृतिक तक़्दीर और शरई तक़्दीर में अन्तर न समझने के कारण धोखा लगा है और मुसलमानों को ख़ुदा के इर्फ़ान और ख़ुदा की तक़्दीर में अन्तर न समझने के कारण धोखा लगा है। क्योंकि जैसा कि मैं वर्णन कर चुका हूं कि जिस प्रकार तक़्दीर दो प्रकार की होती है, इसी प्रकार भविष्यवाणियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक भविष्यवाणियां वे होती हैं जिन में अल्लाह तआला के अनादि ज्ञान को प्रकट किया जाता है और दूसरी वे भविष्यवाणियां होती हैं जिनमें ख़ुदा तआला की क़ुदरत के अधीन एक आदेश को प्रकट किया जाता है। जो भविष्यवाणियां अनादि ज्ञान के अधीन होती हैं वे होती हैं वे कभी नहीं टलतीं। क्योंकि यदि वे टल जाएं तो उसके यह मायने हुए कि ख़ुदा का ज्ञान दोषपूर्ण हो गया। परन्तु वे भविष्यवाणियां जो ख़ुदा तआला की क़ुदरत और शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए होती है वे कभी टल भी जाती हैं और जो भविष्यवाणियां टलती हैं वे वही होती हैं जो ख़ुदा तआला की विशेषता सर्वशक्तिमान अधीन होती हैं और जो सर्वज्ञ (अलीम) विशेषता के अधीन होती हैं वे कभी नहीं टलतीं।

भविष्यवाणियां क्यों टलती हैं?

जो भविष्यवाणियां टलती हैं उनके कई प्रकार हैं -

1. यह कि जिन परिस्थितियों में से मनुष्य गुज़र रहा है उनके परिणाम से मनुष्य को सूचना दी जाती है।

अर्थात् सामान्य तक़्दीर के अधीन जो परिणाम निकलते हों उन से सूचना दी जाती है। उदाहरणतया एक व्यक्ति है जो ऐसे स्थान पर जा रहा है जहां ताऊन के कीटाणु हों और उसके शरीर में उसके स्वीकार करने की शक्ति हो तथा कोई ऐसे सामान भी न हों जिनको इस्तेमाल करके वह उनके प्रभाव से बच सकता हो। उसे ख़ुदा तआला यह सूचना ऐसे रंग में दे कि वह व्यक्ति देखे कि उसको ताऊन हो गई है ताकि वह उस दृश्य से प्रभावित हो कर ऐसे स्थान पर जाने का इरादा छोड़ दे जहां ताऊन है या यदि ऐसा स्थान मौजूद है तो उन सावधानियों का ध्यान रखना आरंभ कर दे जिन से ताऊन की रोकथाम हो सकती है। यदि वह ऐसा करेगा तो वह ताऊन से बच जाएगा और उसका स्वप्न झूठा न कहलाएगा, बल्कि बिल्कुल सच्चा होगा।

2. दूसरा प्रकार यह होता है कि मनुष्य की रूहानी या नैतिक परिस्थितियों के अधीन जो विशेष तक़्दीर जारी होती हो उससे सूचित किया जाता है।

3.तक़्दीर-ए-मुबरम अर्थात् अटल तक़्दीर से सूचित किया जाता है।

इन तीनों प्रकारों में से पहली और दूसरी तो प्रचुरता से बदल जाती हैं, परन्तु अन्तिम तक़्दीर नहीं बदलती। हां कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में वह भी बदल जाती है।

अब मैं बताता हूं कि पहली भविष्यवाणी क्यों और किस प्रकार बदलती है? तो याद रखना चाहिए कि भविष्यवाणी नाम है तक़्दीर के

प्रकटन का। अर्थात् जो कुछ किसी व्यक्ति की स्वाभाविक या शरई परिस्थितियों के अनुकूल मामला होना होता है उसे यदि व्यक्त कर दिया जाए तो उसे भविष्यवाणी कहते हैं। इस वास्तविकता को दृष्टिगत रख कर अब देखना चाहिए कि भविष्यवाणी का पहला प्रकार यह था कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वाभाविक परिस्थितियों का परिणाम बता दिया जाए। उदाहरणतया यह बता दिया जाए कि इस समय उसका शारीरिक स्वास्थ्य ऐसा है कि उसका परिणाम मृत्यु होगा। अब मान लो कि उसको यह ख़बर न दी जाती और वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य की चिन्ता करने लग जाता और सावधानी का बर्ताव आरंभ कर देता तो क्या उस परिणाम से बच जाता या नहीं। फिर यदि उसे ख़ुदा तआला ने समय से पूर्व ख़बर दे दी तो उसका वह अधिकार जो परिस्थिति के बदल जाने के रंग में उसे प्राप्त था किसी कारण से नष्ट हो गया। अवश्य है कि यदि वह पूर्ण रूप से उन साधनों को इस्तेमाल करे जिन से उन परिस्थितियों को जिन के दुष्परिणाम उसे पहुंचने वाले हैं वह बदल सके तो फिर वह संकट से बच जाए और मरने से सुरक्षित हो जाए।

सामान्य तक़्दीर के अधीन होने वाली घटनाएं विशेष तक़्दीर के अधीन भी बदल जाती हैं। तो कभी वह भविष्यवाणी जो सामान्य तक़्दीर के अधीन की गई थी विशेष तक़्दीर से भी टल सकती है। जैसे एक व्यक्ति को बताया जाए कि उसके घर में कोई मौत होने वाली है और वह विशेष तौर पर दान (सदक़ा) और दुआ से काम ले तो बिल्कुल संभव है कि वह मौत टल जाए। इस प्रकार की भविष्यवाणी का उदाहरण बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर जा रहा हो जिस का हाल उसे मालूम न हो और घोर अंधकार हो, कुछ दिखाई न देता हो और उसके सामने एक गड्ढा हो, जिसमें उसका गिर जाना, यदि वह

अपने मार्ग पर चलता जाए, निश्चित हो। और एक परिचित व्यक्ति उसे देखकर कहे कि मियां कहाँ जाते हो गिर जाओगे या यह वाक्य कहे कि तुम्हारी मौत आई है। इस पर वह व्यक्ति गड्ढे तक जाकर वापस आ जाए और आकर उस व्यक्ति को कहे कि तुम बड़े झूठे हो मैं तो नहीं गिरा और नहीं मरा। वह यही कहेगा कि यदि तुम जाते तो गिरते। जब गए नहीं तो गिरते क्यों? और दूसरे लोग भी ऐसे व्यक्ति की आलोचना करेंगे कि क्या इसे झूठ कहते हैं। तो अपनी जान बचाने के उपकार का बदला इस अनुचित तौर पर देता है। यह तो सामान्य तक़्दीर को सामान्य तक़्दीर से बदलने का उदाहरण है। और विशेष तक़्दीर का उदाहरण यह है कि जैसे वह व्यक्ति जिसे दूसरे आदमी ने कहा था कि तू गिरेगा या मरेगा वह उस सतर्क करने वाले व्यक्ति को कहे कि मुझे आवश्यक काम है मेहरबानी करके कोई मदद हो सके तो करो और वह सतर्क करने वाला व्यक्ति कोई बड़ा तख़्ता ला कर गड्ढे पर रख दे जिस पर से वह गुज़र जाए। क्या इस प्रकार से भी संभव है कि उस व्यक्ति को कोई कहे कि तुमने झूठ बोला था। यह व्यक्ति तो गड्ढे पर से सुरक्षित गुज़र आया। इसमें क्या सन्देह है कि यदि वह व्यक्ति सूचना न देता तो यह अंधकार के कारण गड्ढे में गिर कर मर जाता। और यदि वह मदद न करता तो यह गड्ढे पर से कभी पार न हो सकता।

इसी प्रकार कभी अल्लाह तआला भी ख़बर देता है कि अमुक व्यक्ति पर अमुक संकट आने वाला है और इस से अभिप्राय उस व्यक्ति या उसके रिश्तेदारों को सतर्क करना होता है कि उनकी वर्तमान परिस्थितियों का परिणाम इस प्रकार निकलने वाला है। जब वह उन परिस्थितियों को बदल देता है या परिस्थितियां नहीं बदल सकते तो ख़ुदा तआला से विनयपूर्वक उसकी सहायता चाहते हैं तो फिर वह संकट भी

टल जाता है। कोई बुद्धिमान मनुष्य इस सूचना को झूठी नहीं कह सकता, न ख़ुदा तआला पर झूठ का आरोप लगा सकता है।

दूसरी भविष्यवाणी वह होती है जिस में विशेष तक़्दीर की सूचना किसी बन्दे को दे दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है जिस ने शरारत में हद से आगे बढ़ गया है और लोग उसके अत्याचारों से तंग आ चुके हैं और ख़ुदा तआला चाहता है कि उसकी शरारत का दण्ड उसे इसी संसार में दे। फ़रिश्तों को आदेश देता है कि उदाहरणतया उसके माल और जान को हानि पहुंचाओ या उसका सम्मान नष्ट कर दो। इस आदेश की सूचना कभी वह अपने किसी बन्दे को भी दे देता है। इस ख़बर को सुन कर वह बुरा आदमी जो अपने दिल के किसी कोने में ख़ुदा तआला के डर की एक चिन्गारी भी रखता था जो गुनाहों की राख के नीचे दबी पड़ी थी घबराकर अपनी हालत पर दृष्टि डालता है और इस ध्यान के समय में उस चिन्गारी की गर्मी को महसूस करता है और उसे राख के ढेर के नीचे से निकाल कर देखता है। वह चिन्गारी राख से बाहर आ कर जीवित हो जाती है और प्रकाश एवं गर्मी में उन्नति करने लग जाती है और उसी व्यक्ति के दिल में नई हालत और नई उंमगें पैदा करने लगती है और वह जो कुछ दिन पहले बुरा और उपद्रवी था अपने अन्दर प्रेम और ख़ुदा का डर महसूस करने लग जाता है तथा अपने पिछले कार्यों पर शर्मिन्दा होकर अपने रब्ब की चौखट पर अपना मस्तक रख देता है और शर्मिन्दगी के आंसुओं से उसे धो देता है। क्या रहमान और रहीम (कृपालु और दयालु) ख़ुदा उसकी इस हालत को देख कर उसके इस हाल पर रहम करेगा या नहीं? क्या वह अपने पहले फैसले को जो उस व्यक्ति के पहले हाल के अनुसार और आवश्यक था अब नए हाल के अनुसार बदलेगा या नहीं? क्या वह रहम (दया) से काम लेकर उसके

दण्ड के आदेश को निरस्त करेगा या कह देगा कि चूंकि मैं अपने फैसले से एक बन्दे को भी सूचना दे चुका हूं इसलिए मैं अब उस आदेश को नहीं बदलूंगा और चाहे यह व्यक्ति कितनी भी तौब: करेगा उस की हालत पर रहम नहीं करूंगा। क्या यदि वह अपने फैसले को प्रकट न करता तो इस्लामी शिक्षा के अन्तर्गत इस फैसले को बदल सकता था या नहीं? फिर जब कि वह एक फैसला कर देने के बावजूद फ़रिश्तों को उस से अवगत कर देने के बावजूद अपने फ़ैसले को बदल सकता था बल्कि बदल देता तो क्या वह अब इसलिए रहम करना छोड़ देगा कि उसने अपना फ़ैसला फ़रिश्तों के अतिरिक्त एक मनुष्य पर भी प्रकट कर दिया था और उसके द्वारा दूसरे मनुष्यों को भी सूचना दे दी है और क्या वह अपने फैसले को बदल दे तो कोई मूर्ख कह सकता है कि नऊज़ुबिल्लाह उसने झूठ बोला है? एक नौकर के अपराध पर यदि कोई मालिक कहे कि मैं तुझे मारूंगा और नौकर बड़ी शर्मिन्दगी व्यक्त करे और तौब: करे तथा भविष्य में सुधार का वादा करे और वह मालिक उसे माफ़ कर दे और न मारे तो क्या कोई सही बुद्धि रखने वाला मनुष्य कहेगा कि उस ने झूठ बोला है? और वादे के विरुद्ध किया है?

प्रथम प्रकार की भविष्यवाणियां अर्थात् जिन में सामान्य तक़्दीर के परिणामों की सूचना दी जाती है अधिकतर मोमिनों के लिए होती हैं ताकि अल्लाह तआला उनको होशियार और सतर्क कर दे और ज़मीनी आपदाओं से बचा ले तथा उन पर अपने रहम को पूर्ण करे। क्योंकि मोमिन प्रकृति के नियम के ऊपर नहीं होता और कई बार अज्ञानता के कारण उन की चपेट में आ जाता है और प्राकृतिक कानूनों को तोड़ कर संकट में फंस जाता है। तब ख़ुदा तआला दुष्परिणामों के पैदा होने से पहले उसे या किसी और मोमिन को उसके लिए असल हालत से अवगत

कर देता है और वह स्वयं प्रकृति के नियम के द्वारा या दुआ एवं दान से उसका निवारण कर लेता है। और दूसरे प्रकार की भविष्यावाणियां जिन में विशेष तक़्दीर के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में आदेश होता है विशेष उद्दण्डों एवं उपद्रवियों के लिए होती हैं। इसका कारण यह है कि इस तक़्दीर के अन्तर्गत टलने वाली भविष्यवाणी हमेशा अज़ाब की होती है। क्योंकि अज़ाब ही की भविष्यवाणी हमेशा टला करती है वादे की नहीं क्योंकि इस भविष्यवाणी का टलना रहम का कारण होता है और इससे ख़ुदा तआला की शान प्रकट होती है। परन्तु जो मोमिन के पक्ष में विशेष तक़्दीर प्रकट होती है वह चूंकि वादा होती है वह नहीं टलती। क्योंकि उसके टलने से शान (प्रतिष्ठा) की अभिव्यक्ति नहीं होती। और इसलिए भी कि अज़ाब का वादा हमेशा किसी कारण से होता है तथा उस कारण के बदलने से बदल सकता है। वादा कभी बिना कारण के भी होता है, इसलिए वह नहीं टल सकता, क्योंकि जिस चीज़ को अपने तौर पर बिना सेवा के देने का वादा किया जाता है उसे किसी अन्य कारण से रोक देना ख़ुदा तआला की शान के विरुद्ध है।

तक़्दीर मुबरम - (अटल तक़्दीर)

मैं पहले वर्णन कर चुका हूं कि तक़्दीर मुबरम विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त नहीं टला करती, और अब मैं बताता हूं कि तक़्दीर मुबरम के टलने से क्या अभिप्राय है। तक़्दीर मुबरम के टलने का यह अभिप्राय नहीं होता कि वह वास्तव में पूर्ण रूप से टल जाती है, बल्कि उसके टलने से अभिप्राय केवल यह है कि उसका रूप बदल जाता है और उसे किसी और रंग में बदल दिया जाता है। यह तक़्दीर बारीक से बारीक रहस्यों के अन्तर्गत उतरती है और उसके बदलने से कभी और बहुत से

नियमों पर प्रभाव पड़ता और कुप्रबंधन होता है। तो यह तक़्दीर अल्लाह तआला की विशेष हिक्मतों के अन्तर्गत पूर्ण रूप से टलाई नहीं जाती। यदि टलती है तो सिफ़ारिश के अधीन टलती है जो एक विशेष मुक़ाम (पद) है और जब से संसार क़ायम हुआ है केवल कुछ बार ही इस पद पर ख़ुदा तआला ने अपने बन्दों को क़ायम किया है।

इस तक़्दीर के आंशिक तौर पर टल जाने का उदाहरण सय्यद अब्दुल क़ादिर साहिब जीलानी[रहि॰] की एक घटना वर्णन की जाती है। कहते हैं आप[रहि॰] का एक मुरीद (शिष्य) था, जिस से उन्हें बहुत प्रेम था। उसके बारे में उन्हें ख़बर दी गई कि वह अवश्य व्यभिचार (ज़िना) करेगा और यह तक़्दीर मुबरम है। उन्होंने उसके बारे में निरन्तर दुआ करनी आरंभ की और एक लम्बे समय के बाद उनको सूचना मिली कि हमने अपनी बात भी पूरी कर दी और तेरी दुआ को भी सुन लिया। वह हैरान हुए कि यह क्या मामला है। जब वह मुरीद मिलने आया तो उन्होंने उसे सब हाल बताया कि इस प्रकार मुझे तेरे बारे में सूचना मिली थी। मैंने तुझे बताया नहीं और दुआ करता रहा। अब यह ख़बर मिली है। क्या बात है? उसने बताया कि एक स्त्री पर मैं आशिक हो गया था, निकाह करने की कोशिश की परन्तु विफल रहा। अन्त में फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो उससे व्यभिचार (ज़िना) ही कर लूंगा। इसी कोशिश में था कि रात को वह स्वप्न में दिखाई दी और मैंने उस से संभोग किया। आंख खुलने पर मालूम हुआ कि दिल से उसका प्रेम बिल्कुल निकल गया और वह हालत जाती रही। इस घटना की अभिव्यक्ति से सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी[रहि॰] को मालूम हुआ कि किस प्रकार वह तक़्दीर जो उस व्यक्ति के अपने ही कर्मों के नतीजे में प्रकट होने वाली थी और उसके लिए ऐसी परिस्थितियां एकत्र हो गई थीं कि वह टल नहीं सकती

थी। ख़ुदा तआला ने एक और रंग में पूरी करके उस व्यक्ति को गुनाह से बचा दिया, और सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी[रहि॰] की दुआ को उसके पक्ष में स्वीकार करके अपनी विशेष क़ुदरत के द्वारा उस व्यक्ति को उसके दुष्कर्मों के दुष्परिणामों से बचा लिया।

क्या तक़्दीर के टलने से कोई दोष तो पैदा नहीं होता?

अब प्रश्न पैदा होता है कि तक़्दीर के टलने से ख़ुदा की शान में अन्तर नहीं आता? इसका उत्तर यह है कि नहीं आता। क्योंकि तक़्दीर के टलाने में अनेक लाभ हैं।

प्रथम - तक़्दीर के बताने और फिर उसके टलाने से अल्लाह तआला की सहानुभूति की अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि जब वह एक आने वाले संकट को बन्दे पर व्यक्त कर देता है तो उस से बन्दा होशियार हो जाता है और अपने बचाव के सामान कर लेता है। इस प्रकार अल्लाह तआला के उपकार से उस संकट से बच जाता है तो तक़्दीर का समय से पहले बताना भी अल्लाह तआला की सहानुभूति को सिद्ध करता है और फिर उसका टलाना भी उसके रहम (दया) को सिद्ध करता है और दोष की बजाए उसमें लाभ है।

विशेष तक़्दीर के टलाने में जो सामान्य तक़्दीर के परिणाम स्वरूप नहीं उतरती, बल्कि उसका उतरना रूहानी हालत के परिवर्तन पर होता है। एक और फ़ायदा भी है और वह अल्लाह तआला की क़ुदरत की अभिव्यक्ति है। यदि विचार किया जाए तो विशेष तक़्दीर को टलाने के बिना अल्लाह तआला की पूर्ण क़ुदरत की अभिव्यक्ति ही नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति नबियों का विरोध करे और सच्चे धर्म के फैलने में रोक हो और उसे दण्ड देना आवश्यक हो और ख़ुदा तआला की ओर से यह

सूचना अपने मामूर को मिल जाए कि वह व्यक्ति मर जाएगा और वह व्यक्ति तौबः करने के बावजूद मर जाए तो उससे ख़ुदा तआला बहुत क़ादिर होना छुप जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रमाणित होगा कि ख़ुदा तआला बहुत जानने वाला है। परन्तु केवल बहुत जानने वाला होना कुछ चीज़ नहीं जब तक वह शक्तिमान भी न हो। उसका शक्तिमान होना ही मनुष्य के प्रेम को अपनी ओर खींच सकता है। तो एक ख़बर के बताए जाने पर फिर उस का न टलना केवल ग़ैब (परोक्ष) की जानकारी रखने को बताएगा क़ुदरत को नहीं। बल्कि लोगों को सन्देह पड़ेगा कि जो नबी अलैहिस्सलाम ख़बर देता रहा है शायद उसे कोई ऐसा माध्यम मालूम हो गया है जिस के द्वारा वह ग़ैब की ख़बर मालूम कर सकता हो। परन्तु जब एक आदेश विशेष परिस्थितियों के बदलने पर टल जाता है तो स्पष्ट तौर पर सिद्ध हो जाता है कि यह आदेश एक शक्तिमान हस्ती की ओर से है जो हर एक उचित हालत के अनुसार आदेश देती है। मनुष्य जैसे-जैसे अपने हाल को बदलता रहता है वह भी अपनी तक़्दीर को उसके लिए बदलता जाता है। इससे उसके रोब और प्रताप की अभिव्यक्ति होती है तथा बन्दे की उम्मीद बढ़ती है और वह समझता है कि यदि वह पकड़ता है तो छोड़ भी सकता है और एक मशीन की तरह नहीं है। मैं विश्वास रखता हूं कि यदि कोई व्यक्ति भी न्याय की दृष्टि से देखेगा तो उसे मालूम होगा कि यदि डराने वाली भविष्यवाणियां न टलें तो ख़ुदा तआला का शक्तिमान होना हरगिज़ सिद्ध न हो। बल्कि यह मालूम हो कि जैसे वह नऊज़ुबिल्लाह एक बेलन की तरह है। यदि उसमें गन्ना डाला जाता है तो उसे भी पेल देता है और यदि उसके मालिक का हाथ पड़ जाए तो उसे भी पेल देता है। चाहे कोई कितनी ही तौबः करे उसका आदेश अटल होता है और उसमें कोई अन्तर नहीं आ सकता। उसकी दुश्मनी

छोड़कर उसकी मित्रता ग्रहण करना कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचाता।

शायद यहां किसी के दिल में यह सन्देह पैदा हो कि यदि इसी प्रकार भविष्यवाणियां बदल जाएं तो उनकी सच्चाई का क्या सबूत हो? फिर क्यों न कह दिया जाए कि यह सब ढकोसला है। इसका उत्तर यह है कि पहले तो भविष्यवाणियां गुप्त साधनों पर आधारित होती हैं। अर्थात् उनमें ऐसी बातें बताई जाती हैं जिनके साधन प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद नहीं होते और अनुमान और ख़याल उन्हीं बातों में चलता है जिन के सामान प्रकट हों। उदाहरणतया एक व्यक्ति बीमार हो और उसके बारे में यह बताया जाए कि वह मर जाएगा तो इसमें अनुमान का हस्तक्षेप हो सकता है। परन्तु ऐसी सूचना दी जाए जिस के साधन ही मौजूद न हों और फिर उसके लक्षण प्रकट हो जाएं तो फिर चाहे वह टल ही जाए उसे अनुमानित सूचना नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसके एक भाग ने उसके दूसरे भाग की सच्चाई पर मुहर लगा दी है। तो भविष्यवाणियों के टलने के बावजूद उनकी सच्चाई में सन्देह पैदा नहीं हो सकता और वे फिर भी संसार की हिदायत के लिए पर्याप्त होती हैं।

दूसरा उत्तर इस सन्देह का यह है कि डराने वाली भविष्यवाणियां तो प्रायः दुश्मनों के लिए होती हैं और दुश्मन सामान्य तौर पर हठधर्मी तथा अपने दुश्मन पर हंसी उड़ाने वाला होता है और वह समय से पूर्व डराने से बहुत कम फ़ायदा उठाता है। ऐसे तो बहुत ही कम होते हैं जो डराने से फ़ायदा उठाएं और उन पर से अज़ाब टल जाए। तो उदाहरणतया पांच या दस प्रतिशत डराने वाली भविष्यवाणियों के टल जाने से किस प्रकार सन्देह पड़ सकता है जबकि उसके मुकाबले पर वादे वाली सम्पूर्ण भविष्यवाणियां और नब्बे या पचानवे प्रतिशत डराने वाली भविष्यवाणियां पूरी हो कर प्रकाशमान दिन की भांति उस भविष्यवाणी करने वाले की

सच्चाई की पुष्टि कर रही होती हैं।

तीसरे - विशेष तक़्दीर के अन्तर्गत जो ख़बरें दी जाती हैं और उन्हीं के बारे में विरोधियों को अधिक सन्देह होता है। ये प्राकृतिक मामलों के परिणामस्वरूप नहीं होतीं बल्कि रूहानी मामलों के बारे में होती हैं। जैसे लेखराम के बारे में जो सूचना दी गई कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उद्दण्डता के दण्ड में वह क़त्ल किया जाएगा या आथम के बारे में कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए उद्दडता के दण्ड में हाविय: में गिराया जाएगा, या अहमद बेग और उसके दामाद के बारे में कि वे मर जाएँगे। तो ये दण्ड किसी प्राकृतिक मामले के परिणामस्वरूप नहीं थे। यदि लेखराम ने कोई क़त्ल किया हुआ होता और कहा जाता कि वह क़त्ल किया जाएगा तब और बात थी। या इसी प्रकार आथम और अहमद बेग के संबंध में कोई ऐसा दण्ड प्रस्तावित किया जाता जो प्राकृतिक मामलों का परिणाम हो तो तब आरोप हो सकता था। परन्तु जिन अपराधों के बदले में दण्ड निर्धारित किए गए हैं वे रूहानी हैं और ऐसी सूचनाओं में से कुछ भी पूरी हो जाएँ तो वे इस बात का सबूत हैं कि उनके बताने वाला ख़ुदा तआला से संबंध रखता था। क्योंकि यदि यह न होता तो वह ऐसी बातें किस प्रकार बता सकता था, जिनका सबूत प्राकृतिक मामलों में नहीं मिलता। रूहानी गुनाहों का दण्ड तो अल्लाह तआला ही बता सकता है। दूसरा व्यक्ति एक रूहानी गुनाहगार (पापी) को देख कर क्या बता सकता है कि उसे दण्ड किस रूप में मिलेगा।

यदि यह कहा जाए कि यह जो तुम ने वर्णन किया है कि एक सूचना जो कई बार दी जाती है वह वर्तमान परिस्थितियों का नक़्शा होती है अर्थात् उसमें बताया जाता है कि इस समय जिन परिस्थितियों में से

गुज़र रहा है उनका परिणाम यह होगा तो यह स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं बता दिया जाता कि तुम्हारी या अमुक व्यक्ति की वर्तमान स्थिति का यह परिणाम है ताकि लोगों को स्वप्नों और इल्हामों पर सन्देह न हो। यदि इसी प्रकार स्पष्ट तौर पर बता दिया जाए तो फिर लोगों पर कोई आज़मायश न आए। इसका उत्तर यह है कि पहले तो जिन लोगों के दिल में बीमारी होती है उनको हर हालत में सन्देह पड़ जाता है। अतः हम देखते हैं हज़रत साहिब अलैहिस्स्लाम की जिन भविष्यवाणियों में स्पष्ट तौर पर यह शर्त बता दी गई थी उन पर भी लोग ऐतराज़ करते हैं। ताऊन की भविष्यवाणी में स्पष्ट कह दिया गया था कि क़ादियान में ऐसी ताऊन नहीं पड़ेगी कि दूसरे गांव की तरह इसमें तबाही आ जाए। परन्तु फिर भी लोग ऐतराज़ करते हैं और कहते हैं कि यहां एक केस भी नहीं होना चाहिए था दूसरे इस तरीक़े को ग्रहण करने में एक लाभ भी है और वह यह कि इसके द्वारा वह मूल उद्देश्य जिसके लिए स्वप्न या इल्हाम होते हैं बहुत अच्छी तरह पूरा होता है। बात यह है कि वह डरावना स्वप्न या इल्हाम जिन में कोई भविष्य की सूचना बताई जाती है उनमें अन्य उद्देश्यों के अतिरिक्त एक उद्देश्य यह भी होता है कि वह बन्दा जिसके बारे में उस स्वप्न या इल्हाम में कोई सूचना दी गई है होशियार हो जाए और अपने सुधार की चिन्ता करे और यदि सुधार न करे तो उस पर हुज्जत क़ायम हो जाए। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है:-

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ (आन्निसा-166)

अर्थात् हमने कथित रसूलों को (जिन का इस आयत में पहले वर्णन हुआ है) भेजा खुशख़बरी देते हुए और इन्कारियों को डराते हुए ताकि लोगों को अल्लाह तआला पर कोई हुज्जत न रहे।

तो डराने वाली भविष्यवाणियां हुज्जत को स्थापित करने के लिए होती हैं और उनके द्वारा उस व्यक्ति को जिस के विरुद्ध वे भविष्यवाणियां की जाती हैं सुधार का अन्तिम अवसर दिया जाता है अन्यथा उस पर हुज्जत क़ायम की जाती है। और यह बात प्रमाणित है कि यदि किसी व्यक्ति को उदाहरणतया उसके अपने अस्तित्व के संबंध में यह दृश्य दिखाया जाए कि उसे ज्वर चढ़ा हुआ है और वह स्वप्न में ज्वर के कष्ट को देखे तो उस पर और ही प्रभाव होगा उसकी अपेक्षा कि उसको कोई व्यक्ति कह दे कि तेरी परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुझे ज्वर (बुख़ार) चढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को यह बताया जाए कि अमुक व्यक्ति को उसके अधर्म के कारण दण्ड की संभावना है तो उसका और प्रभाव होगा इसकी अपेक्षा कि उसको यह बताया जाए कि उस व्यक्ति के लिए दण्ड मुक़द्दर हो चुका है और जबकि उसके कार्यों के कारण दण्ड मुक़द्दर हो भी चुका हो तो फिर हक़ भी यही होगा और इसी रंग में बताया जाना आवश्यक है।

यदि यह सन्देह किया जाए कि ख़ुदा तआला वही बात क्यों नहीं बता देता जो अन्त में होनी होती है। बीच की हालत बताता ही क्यों है कि लोग सन्देह में पड़ जाएं। तो इसका उत्तर एक तो यह है कि जैसा कि मैं पहले वर्णन कर चुका हूं। भविष्यवाणियों का उद्देश्य सुधार होता है तो यदि तक़्दीर का वह पहलू बताया ही न जाए जिस ने बदल जाना है तो लोगों को सुधार की तहरीक किस प्रकार की जाए? वास्तव में तक़्दीर की इस प्रकार की अभिव्यक्ति से हज़ारों लोगों की जान बच जाती है और ख़ुदा तआला का रहम इसका प्रेरक है। दूसरे जैसा कि मैं पहले वर्णन कर आया हूं। अल्लाह तआला की दो विशेषताएं हैं एक अलीम (सर्वज्ञ) होना और एक क़ादिर (शक्तिमान) होना। यदि तक़्दीर का

वही भाग बताया जाए जो बदलता ही नहीं। तो इस से ख़ुदा तआला का अलीम होना तो सिद्ध हो जाता परन्तु शक्तिमान होना सिद्ध न होता। तो ऐसी तक़्दीर का प्रकट करना जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार है ख़ुदा तआला की क़ुदरत को व्यक्त करने के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य पर उसकी क़ुदरत की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य पर ख़ुदा तआला का एक आदेश जारी हो और यदि वे परिस्थितियां क़ायम रहें तो उसके साथ उस अभिव्यक्ति के अनुसार मामला हो और यदि बदल जाएं तो उसके साथ मामला भी बदल जाए।

यदि यह कहा जाए कि चूंकि लोगों को ऐसी भविष्यवाणियों से विपत्ति आ जाती है। यही अच्छा था कि ख़ुदा तआला इस प्रकार की सूचनाएं न दिया करता? तो इसका उत्तर यह है कि बुरे और उपद्रवी व्यक्ति की शरारत से डर कर अल्लाह तआला सच को नहीं छोड़ सकता। वह बात जिस से अल्लाह तआला के रहम (दया) की अभिव्यक्ति और उसकी क़ुदरत का सबूत मिलता है और उसके इरादे से कर्ता होने की पुष्टि होती है वह उसको दुष्टों एवं उपद्रवियों के मतलब के कारण क्यों कर छोड़ सकता था। इस प्रकार की सूचनाएं देने में उन लोगों के शोर के अतिरिक्त जिन की नीयत विरोध करने पर सुदृढ़ हो चुकी होती है और क्या चीज़ रोक है। अल्लाह तआला फ़रमाता है -

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ

(बनी इस्राईल - 60)

अर्थात् क्या हम इस कारण से कि पहले युगों में दुष्ट लोगों ने हमारी आयतों को झुठला दिया था आयतों का भेजना बंद कर देंगे?

तो यह अल्लाह तआला की शान के विरुद्ध है कि वह बात जो उसके रहम (दया) और उसकी क़ुदरत की अभिव्यक्ति समझदार लोगों

पर करती है उसे इसलिए छोड़ दे कि दुष्ट को उस पर ठोकर लगती है दुष्ट को ठोकर क्या लगनी है वह तो पहले ही से ठोकर खा रहा होता है तो उसके ख़याल से मोमिनों को लाभ से क्यों वंचित रखा जाए?

मैं यहां उन लोगों की हिदायत के लिए जो मुसलमान कहलाते हुए ऐसी भविष्यवाणियों पर ऐतराज़ करते हैं, स्वयं इस्लाम में से ऐसे कुछ उदाहरण वर्णन कर देता हूँ जिन में अल्लाह तआला ने अन्तिम बात को वर्णन नहीं किया बल्कि क्रमानुसार अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया है या यह कि प्रत्येक हालत के अनुसार उसका अंजाम बताया है। इसका एक उदाहरण तो वह महान घटना है जो मुसलमानों में मे'राज के नाम से प्रसिद्ध है और जिसका संबंध इस्लाम की बुनियाद से ऐसा है कि कोई बुद्धिमान मुसलमान उसे अनदेखा नहीं कर सकता। मे'राज के वर्णन में रसूले करीम सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि पहले आप को पचास नमाज़ों का आदेश हुआ और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बार-बार विनती करके पांच नमाज़ों का आदेश लिया।

(मुस्लिम किताबुलईमान बाब-अलइस्रा बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलस्समावात व फ़ुरिज़स्सलबात)

अब स्पष्ट है कि अल्लाह तआला को समय से पूर्ण मालूम था कि इस प्रकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे और इस प्रकार उनके मशवरे से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुझ से कम करने की दरख़्वास्त करेंगे। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि ख़ुदा तआला ने पहले क्यों पचास नमाज़ों का आदेश दिया और बाद में उनको पांच से बदल दिया। क्यों न आरंभ में ही पांच का आदेश दिया। जो इस का उत्तर है वही ऐसी भविष्यवाणियों के बदलने के संबंध में हमारा उत्तर है।

इसका दूसरा उदाहरण वह प्रसिद्ध हदीस है जिसमें उस व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो सब के अन्त में नर्क में रह जाएगा और फिर उसे अल्लाह तआला उसकी इच्छानुसार नर्क से निकाल कर बाहर खड़ा कर देगा और फिर वह एक वृक्ष देखेगा और उसके नीचे खड़ा होने की इच्छा करेगा और ख़ुदा तआला उस से यह अहद (प्रतिज्ञा) लेकर कि फिर वह कुछ और नहीं मांगेगा उसे उस जगह खड़ा कर देगा। फिर एक और वृक्ष को देख कर जो पहले से भी अधिक हरा भरा होगा वह फिर दरख़्वास्त करेगा और अल्लाह तआला उसके वादा को याद दिला कर तथा नया वादा लेकर उसके नीचे भी खड़ा कर देगा। अन्त में वह स्वर्ग (जन्नत) में जाने की इच्छा करेगा और अल्लाह तआला हंस पड़ेगा उसे स्वर्ग में दाख़िल कर देगा।

(मुस्लिम किताबुल ईमान बाब आखिरो अहलिन्नार ख़ुरूजन)

इस घटना से भी मालूम होता है कि अल्लाह तआला किस प्रकार हर एक अवसर के अनुसार ख़बर देता है क्योंकि जब अल्लाह तआला ने उस से यह वादा लिया था कि वह भविष्य में और इच्छा नहीं करेगा इस से यही अभिप्राय समझा जाता था कि वह उस स्वर्ग में दाखिल करना नहीं चाहता था। हांलाकि यह ग़लत है। अल्लाह तआला उसे स्वर्ग में दाखिल करना चाहता था और फिर उसे आहिस्ता-आहिस्ता स्वर्ग (जन्नत) की ओर ले जाना इस आरोप के अन्तर्गत आ जाता है कि उसने क्यों उसे एक बार में ही स्वर्ग में दाख़िल न कर दिया और जो उसका उत्तर होगा वही इस प्रकार की भविष्यवाणियों के बदलने का भी उत्तर है।

अन्त में मैं फिर यही बात कहूंगा कि भविष्यवाणी केवल तक़्दीर की अभिव्यक्ति का नाम है और यह सब मुसलमानों का मान्य विषय है कि तक़्दीर टल जाती है। अत: कोई कारण नहीं कि तक़्दीर को चूंकि

प्रकट कर दिया गया है। इसलिए तक़्दीर के टलने से जो लाभ मनुष्य दूसरे रूप में उठा सकता है उस से उसे वंचित कर दिया जाए।

कलाम का सारांश यह है कि तक़्दीर और उपार्जन✶ एक ही समय जारी होते हैं परन्तु तक़्दीर अलग-अलग रंग में ख़ुदा तआला की तरफ़ से जारी होती है उसके साथ बन्दे की तदबीर मिल कर मानवीय कर्म पूर्ण होते हैं। और एक तक़्दीर वह होती है जिसमें बन्दे के कर्मों का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता, परन्तु यह तक़्दीर कर्मों के प्रतिफल के संबंध में जारी हो, तो ऐसे कर्मों के संबंध में मनुष्य से किसी प्रकार की पूछताछ नहीं होती बशर्ते कि वे कर्म कुछ अन्य कर्मों का परिणाम और प्रतिफल न हों। हज, नमाज़, रोज़ा, ज़कात इत्यादि और झूठा ज़िना (व्यभिचार) तथा डाका इत्यादि सब मनुष्य के काम हैं जिन में उपार्जन के तौर पर अपनी इच्छा के अन्तर्गत मनुष्य कर्म करता है। इस लिए उनके बारे में प्रतिफल और दण्ड का पात्र है।

इसके बावजूद एक मूर्ख उठता है और कहता है कि मुझ से ख़ुदा चोरी या व्यभिचार कराता है और नहीं जानता कि ख़ुदा तआला की तक़्दीर बुराइयों के लिए जारी नहीं होती। वह पवित्र है इसलिए वह पवित्र कार्य ही कराएगा। यदि ख़ुदा की तक़्दीर जारी हुई होती तो हर मनुष्य से नेक कार्य ही कराती। जैसा कि पवित्र क़ुर्आन में अल्लाह तआला फ़रमाता है:-

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَیْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا (अस्सज्दह-14)

कि यदि हम ज़बरदस्ती करते तो सब को मुसलमान बनाते काफ़िर क्यों बनाते।

तो यदि ख़ुदा का मनुष्य पर जब्र था तो चाहिए था कि प्रत्येक

✶ **उपार्जन** (इक्तिसाब) स्वयं अपने प्रयत्न से प्राप्त करना (अनुवादक)

से नेक कर्म ही कराता परन्तु आश्चर्य है कि मनुष्य अपवित्र कार्य ख़ुदा तआला की तरफ़ सम्बद्ध करता है और कहता है कि ख़ुदा ने मुझ से चोरी कराई मेरा इस में क्या अधिकार था? हालाकि वह अपवित्र तक़्दीर अपने ऊपर स्वयं जारी करता है। तो यह ग़लत है कि ख़ुदा भी गन्दी तक़्दीर जारी करता है ताकि मनुष्य बुरे कार्य करे। हां एक गन्दी तक़्दीर है अवश्य जो शैतान जारी करता है और उसके अन्तर्गत अपने चेलों से काम लेता है। अतः अल्लाह तआला पवित्र क़ुर्आन में फ़रमाता है कि शैतान का अधिकार उन लोगों पर होता है जो उससे मित्रता रखते हैं। ऐसे लोग चूंकि ख़ुदा तआला को छोड़कर शैतान के अनुयायी बन जाते हैं इसलिए ख़ुदा भी उनको छोड़ देता है और शैतान उन पर अपनी तक़्दीर जारी करना आरंभ कर देता है। तो जो व्यक्ति बुरे कार्य करके कहता है कि यह काम मुझ से ख़ुदा कराता है वह ख़ुदा तआला का बड़ा दुस्साहस करता है। हमारे देश में तो मुहावरा है कि जब किसी से बुरा कार्य हो जाता है तो कहता है कि भाग्य की बात थी मेरा क्या बस था। यह ख़ुदा तआला से अशिष्टता और धृष्टता है, क्यों कि यह ग़लत है कि बुरे कार्यों के संबंध में ख़ुदा तआला की तक़्दीर जारी होती है। हां बुरी तक़्दीर शैतान की तरफ़ से उन लोगों पर जारी होती है जो उसके बन्दे बन जाते हैं और उन पर एक समय ऐसा आता है कि यदि उस समय चाहें भी कि शैतान के पंजे से निकल जाएं तो आसानी से नहीं निकल सकते। अर्थात् वह छोड़ना उनके लिए कठिन हो जाता है। फिर उनकी हालत यहां तक पहुंच जाती है कि शैतान के पंजे से छूटना नहीं चाहते और उसके साथ मिल जाते हैं।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि हम तक़्दीर के विषय पर ईमान न लाएं या यह ख़ुदा की तरफ़ से जारी न हो तो क्या हानियां होती

हैं और उस पर ईमान लाने तथा इसके जारी होने के क्या लाभ हैं?

यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है परन्तु अफ़सोस कि ज़ाहिरी सूफ़ी और मुल्ला इस तरफ़ गए ही नहीं।*

(चूंकि समय बहुत हो गया था और सर्दी बहुत थी और अभी भाषण का बहुत सा भाग शेष था इसलिए शेष भाग दूसरे दिन पर रखा गया और भाषण यहीं समाप्त हुआ। इस से अगला भाग यह है जो दूसरे दिन वर्णन किया गया)

तक़्दीर के विषय के संबंध में कुछ सन्देहों का निवारण -

मैं चाहता था कि तक़्दीर के विषय की व्याख्या वर्णन करने के बाद उस पर ईमान लाने के लाभ भी आप लोगों के सामने वर्णन करूँ और आज इसी विषय को आरंभ करने का इरादा था, परन्तु आज एक साहिब ने कुछ प्रश्न लिख कर दिए हैं। इसलिए पहले संक्षिप्त तौर पर उन का उत्तर वर्णन कर देता हूं। यह साहिब पूछते हैं कि शैतान को गुमराह करने की ताक़त कहां से मिली? मैंने कल वर्णन किया था कि मनुष्य जब अपने विचारों को शैतानी बना लेता है तब शैतान से लगाव पैदा हो जाने के कारण शैतान का भी उस से संबंध हो जाता है और वह भी उसे गुमराह करना आरंभ कर देता है। तो यह गुमराही वास्तव में स्वयं मनुष्य के नफ़्स से ही पैदा होती है मैं इसका उदाहरण देता हूं।

* इस अवसर पर किसी ने प्रश्न किया कि قَـدْرِهٖ خَـيْرِهٖ وَشَـرِّهٖ पर ईमान लाने का क्या मतलब है? हुज़ूर ने फ़रमाया - इसका यह मतलब है कि ख़ैर भलाई का प्रतिफल भी अल्लाह की तरफ़ से मिलता है और बुराई का दण्ड भी ख़ुदा की तरफ़ से। उस पर ईमान लाने उद्देश्य यह है कि इन्सान "گندم از گندم بروید جو زِجو" के विषय पर ईमान रखे और ख़ुदा पर अन्यथा का आरोप न लगाए। (इसी से)

जैसे एक शराबी दूसरे शराबी को अपने साथ ले जाए और वह व्यक्ति जिधर-जिधर यह व्यक्ति शराब पीने के लिए जाता है उसके साथ-साथ जाए यद्यपि वह व्यक्ति यह कहे मैं इसका अनुयायी हूं। जिधर उसकी इच्छा है ले जाए, परन्तु वास्तव में वह स्यवं चूंकि उसके समान विचार रखता है और स्वयं शराब का रसिया है उसके साथ साथ जाता है और अपने मज़े का ख़याल कर रहा है। मस्नवी के लेखक ने इस संबंध को एक उत्तम उदाहरण के तौर पर वर्णन किया है। वह फ़रमाते हैं - एक चूहा था उसने एक ऊंट की रस्सी पकड़ ली और अपने पीछ-पीछे चलाने लग गया और इस पर उसने समझा कि मुझे बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई है कि ऊँट जैसे बड़े डील डौल वाले जानवर को अपने पीछे चला रहा हूं और इस पर वह फूला न समाता था कि चलते-चलते मार्ग में दरिया आ गया। उंट चूंकि पानी में चलने से प्रसन्न नहीं होता इसलिए जब चूहा पानी की तरफ़ चला तो वह रुक गया। चूहे ने उसके खींचने में बड़ा ज़ोर लगाया परन्तु ऊंट ने उसकी एक न मानी। चूहे ने उस से पूछा - हे ऊंट! इसका क्या कारण है कि इस समय तक तो मैं जिस प्रकार तुझ से कहता था तू मेरी बात मानता था परन्तु अब अवज्ञाकारी (नाफ़रमान) हो गया है। उसने कहा कि जब तक मेरी इच्छा थी मैं तुम्हारे पीछे-पीछे चला आया अब नहीं है इसलिए नहीं चलूंगा। तो जिस समय चूहा ऊंट को ले जा रहा था उस समय यद्यपि देखने में यह आ रहा हो कि चूहे के पीछे ऊंट चल रहा है परन्तु मूल बात यह है कि चूहा जिधर जा रहा था उधर ऊंट भी अपनी इच्छा से जा रहा था। इसी प्रकार यद्यपि प्रत्यक्ष में मालूम यह होता है कि मनुष्य पर शैतान का क़ब्ज़ा नहीं होता बल्कि मनुष्य अपनी लगाम उसके हाथ में देकर स्वयं अपनी इच्छा से उसके पीछे चल पड़ता है। अतः कुछ मनुष्य जब उस से अपनी जान छुड़ाना

चाहते हैं तो बड़ी कठोरता पूर्वक उसकी आज्ञा का पालन करने से इन्कार कर देते हैं और वह डर कर उन के पास से भाग जाता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क़ुर्आन में आता है-

وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ اللّٰہُ (अतक्वीर-30)

अर्थात् तुम नहीं चाहते परन्तु वही जो ख़ुदा चाहता है।

इस से मालूम हुआ कि मनुष्य के कर्म अल्लाह तआला की इच्छा के अधीन हैं।

इस आयत के ये अर्थ नहीं हैं जो प्रश्नकर्ता के मस्तिष्क में आये हैं। इस आयत का पहला भाग यह है -

فَاَیۡنَ تَذۡہَبُوۡنَ اِنۡ ہُوَ اِلَّا ذِکۡرٌ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ لِمَنۡ شَآءَ مِنۡکُمۡ اَنۡ یَّسۡتَقِیۡمَ وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ اللّٰہُ رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ

(अत्तक्वीर- 27 से 30)

ख़ुदा तआला फ़रमाता है। तुम कहां जाते हो, यह पवित्र क़ुर्आन नहीं परन्तु ख़ुदा तआला की तरफ़ से उपदेश और नसीहत है परन्तु उस मनुष्य के लिए जो चाहता है कि अपने मामलों को ठीक करे और सच पर क़ायम हो। आगे फ़रमाता है-

وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ اللّٰہُ رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ

अर्थात् यह तुम्हारी ठीक करने की कोशिश भी तभी इनाम की वारिस ठहर सकती है जब कि तुम्हारी इच्छा ख़ुदा तआला की इच्छा के अनुसार हो जाए। अर्थात् तुम्हारे कर्म शरीअत के अनुसार हों और तुम्हारी आस्थाएं भी शरीअत के अनुसार हों। जिन बातों पर ख़ुदा तआला ने फ़रमाया है ईमान लाओ और अच्छे कर्म अर्थात् नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज इत्यादि का आदेश दिया है उन को करो। जब इस प्रकार करोगे उस समय तुम इस नेक कलाम के नेक प्रभावों को महसूस करोगे अन्यथा

नहीं। और यह ऐसी ही बात है जैसे किसी को कहा जाए कि हम तुम से तब प्रसन्न होंगे जब तुम हमारी इच्छा के अधीन काम करो। तो इस आयत से यह बात सिद्ध नहीं होती कि समस्त मानवीय कार्य अल्लाह तआला कराता है और मनुष्य का उसका कुछ संबंध नहीं होता। शेष रही यह आयत कि -

(अर्रअद - 28) اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ

इसके संबंध में इस समय पूछने की कोई आवश्यकता न थी। हमारी जमाअत में इसके संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है। इसके संबंध में अल्लाह तआला ने स्वयं खोल कर वर्णन कर दिया है कि अल्लाह उसको गुमराह करता है जो स्वयं ऐसा होता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है -

(अलमोमिन - 35) كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ

अर्थात् इसी प्रकार अल्लाह तआला गुमराह करता है उसे जो अपव्ययी और सन्देह करने वाला होता है। इसी प्रकार फ़रमाता है -

(अलबक़रह - 27) وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ

और अल्लाह तआला इसके द्वारा नहीं गुमराह करता परन्तु पापियों को। इसी प्रकार फ़रमाता है -

(अत्तौबा - 115) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ

अर्थात् यह क्यों कर हो सकता है कि अल्लाह तआला स्वयं ही हिदायत भेजे और फिर स्वयं ही कुछ आदमियों को गुमराह कर दे।

अत: अल्लाह तआला उसी को गुमराह करता है जो स्वयं गुमराह होता है, और यह सही बात है कि जो आंखें बन्द रखे वह एक न एक दिन अंधा हो जाएगा। इसी प्रकार जो रूहानी आंखों से काम न ले वह भी रूहानियत से वंचित हो जाता है, और चूंकि यह क़ानून ख़ुदा तआला ने निर्धारित किया हुआ है। इसलिए इसका परिणाम ख़ुदा

की तरफ़ सम्बद्ध होता है।

शेष जफ़्फलक़लम (جَفَّ الْقَلَمُ) तथा इसी प्रकार की अन्य हदीसें। इनके बारे में पहले तो यह याद रखना चाहिए कि इनको पवित्र क़ुर्आन के अधीन लाना पड़ेगा और ऐसे ही अर्थ किए जाएंगे जो पवित्र क़ुर्आन की आयतों के अनुसार हों और वे अर्थ यही हो सकते हैं कि या तो इस से अभिप्राय सामान्य तक़्दीर है अर्थात् प्रकृति का नियम। इसमें क्या सन्देह है कि प्रकृति का नियम उत्पत्ति के प्रारंभ से निर्धारित चला आया है या इस से अभिप्राय प्रत्येक कर्म नहीं बल्कि विशेष तक़्दीर अभिप्राय है। इसमें क्या सन्देह है कि विशेष तक़्दीरें अल्लाह तआला ही जारी करता है या फिर उस से अभिप्राय ख़ुदा का ज्ञान है। यही वे बातें हैं जो लोह-ए-महफ़ूज़✶ पर लिखी हुई हैं।

अब मैं एक विशेष सन्देह का वर्णन करता हूं जो तक़्दीर के संबंध में शिक्षित वर्ग में फैला हुआ है। आज कल जहां लोगों में अनुसंधान का तत्व बढ़ गया है वहां वे हर काम के संबंध में मालूम करना चाहते हैं कि वह क्यों हुआ। उदाहरणतया दाना उगता है। उसके संबंध में अनुसंधान किया गया है कि क्यों उगता है। पहले तो यह समझा जाता था कि जब दाना भूमि में डाला जाता है तो फ़रिश्ता उस से खींच कर बाल निकाल देता है। परन्तु अब इस प्रकार की बातें कोई मानने के लिए तैयार नहीं है और वह मालूम करना चाहता है कि क्यों उगता है, इसका क्या कारण है? इसी प्रकार ये अनुसंधान किए जाते हैं कि अमुक वस्तु कहां से आई। उदाहरणतया कहते हैं कि पहले धूप होती है, फिर अचानक बादल आ जाता है, यह कहां से आ जाता है? नवीन विद्याओं को मानने वाले कहते हैं- बादल कई दिन से बन रहा

✶**लोह-ए-महफ़ूज़ -** ख़ुदा का अनादि ज्ञान। (अनुवादक)

और कहीं बहुत दूर से चला हुआ था जो इस समय हमारे सरों पर आ गया या हमारे ऊपर की ठण्डक और शीतलता से उन भापों को जो दूर से चली आ रही थीं, यहां आकर बादल बन गया। इन लोगों के सामने यदि वर्णन किया जाए कि वर्षा के लिए दुआ की गई थी और बादल आ गया तो वे इस पर हंसते हैं और कहते हैं कि दुआ तो इस समय की गई थी और बादल इस से कई दिन पहले बन कर चला हुआ था। फिर उस का आना दुआ के प्रभाव से कैसे हुआ? आजकल इस प्रकार के ऐतराज़ किए जाते हैं परन्तु ये सब ग़लत हैं। हम यह मानते हैं कि बादल के आने का कारण मौजूद है, परन्तु प्रश्न यह है कि ख़ुदा तआला को इस लाख या दस करोड़ वर्ष या जो समय भी निर्धारित किया जाए उस से पहले मालूम था या नहीं कि अमुक समय और अमुक अवसर पर मेरा अमुक बन्दा दुआ करेगा। फिर उसे यह भी ख़बर थी या नहीं कि उस समय मुझे उसकी सहायता करनी है। यदि ख़बर थी तो चाहे जितने समय पहले बादल तैयार हुआ इसी लिए तैयार हुआ कि इस समय उसके एक बन्दे ने दुआ करनी थी और ख़ुदा तआला के रहम (दया) ने उस समय उस बादल को कहां पहुंचाना था। तो इस प्रकार समस्त आरोप ग़लत हैं क्योंकि किसी बात का कारण पहले होने से यही परिणाम निकलता है कि उसका बिना प्रेरक के माध्यम वह बात न थी जो पीछे हुई यह परिणाम नहीं निकलता कि वह उसके लिए नहीं हुई। क्या एक मेहमान के आने से पहले वे वस्तुएं उपलब्ध नहीं की जातीं जो दूर से मंगवानी पड़ती हैं फिर क्या उन वस्तुओं का उस मेहमान के आने से पहले मंगवाना इस बात का सबूत होता है कि वे उसके लिए नहीं मंगवाई गईं। ख़ुदा तआला अन्तर्यामी है। उसे मालूम था कि अमुक समय मेरा बन्दा बादल के लिए दुआ करेगा। इसलिए उसने उत्पत्ति के

प्रांरभ से ऐसे आदेश छोड़े थे कि उस समय ऐसे सामान पैदा हो जाएँ कि उस बन्दे की इच्छा पूर्ण हो जाए। तो इस वर्षा का होना एक विशेष तक़्दीर का परिणाम था जो सामन्य तक़्दीर के पर्दे में प्रकट हुई।

अब प्रश्न पैदा होता है कि यह किस प्रकार मालूम हुआ कि उसकी प्रेरक तक़्दीर थी और इसका कारण प्रकृति के सामान्य सामान न थे। इस बात को मालूम करने के लिए यह देखना चाहिए कि क्या ऐसी घटनाएं निरन्तर होती हैं जिनका उदाहरण संसार के सामान्य नियम में दिखाई नहीं देता और इसी कारण से उन्हें संयोग नहीं कहा जा सकता। यदि यह सिद्ध हो जाए तो मालूम होगा कि उनके संबंध में विशेष तक़्दीर जारी हुई थी। जैसे यदि देखें कि निरन्तर ऐसा हुआ कि दुआएं की गईं और बादल आ गए तो इसे संयोग नहीं कहा जा सकता बल्कि इस का कोई कारण ठहराना पड़ेगा। फिर संयोग इसको इसलिए भी नहीं कह सकते कि इस प्रकार के उदाहरणों में एक सिलसिला दिखाई देता है सदियों के बाद सदियों में विभिन्न बुज़ुर्गों की दुआओं के उत्तर में ऐसा मामला होता आया है तो इसे संयोग नहीं कह सकते। फिर वे जो ऐसी बातों को संयोग कहते हैं वे स्वयं लिखते हैं कि संयोग कोई चीज़ नहीं है। प्रत्येक चीज़ का कोई न कोई कारण होता है। इस विषय को वर्णन करने का यह समय नहीं अन्यथा मैं बताता कि वे संयोग के बारे में क्या समझते हैं। बहर हाल जब वह संसार के किसी मामले के बारे में संयोग को नहीं मानते। तो फिर अपनी आस्था के विरुद्ध जो बात हो उसे संयोग क्यों कहते हैं।

अत: यह बात खूब याद रखो कि ख़ुदा तआला की तरफ़ से तक़्दीर जारी है यद्यपि कारण मौजूद होते हैं परन्तु उनके कारण से यह नहीं कहा जा सकता कि वह तक़्दीर नहीं है।

तक़्दीर के विषय को ग़लत समझने की हानियां-

अब मैं बहुत अफ़सोस से उन हानियों को व्यक्त करता हूं जो लोग इस विषय को न समझने के कारण उठा रहे हैं। तक़्दीर वास्तव में एक ऐसी उच्च श्रेणी की चीज़ थी कि मनुष्यों को जीवित करने वाली थी परन्तु अफ़सोस उसका महत्त्व नहीं जाना गया और उस से वही व्यवहार किया गया जो पवित्र क़ुर्आन से किया गया है। ख़ुदा तआला फ़रमाता है क़यामत के दिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुदा तआला के सामने कहेंगे-

يٰرَبِّ اِنَّ قَوۡمِی اتَّخَذُوۡا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ مَهۡجُوۡرًا (अलफ़ुर्क़ान-31)

कि हे मेरे ख़ुदा इस क़ुर्आन को मेरी क़ौम ने पीठ के पीछे डाल दिया।

इसके चरितार्थ (मिस्दाक़) रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग के लोग भी थे जिन्होंने आप को न माना। परन्तु मुसलमान भी हैं और रसूललुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की असल क़ौम यही हैं। वह क़ुर्आन जो उनकी हिदायत के लिए आया और जिस के बारे में ख़ुदा तआला फ़रमाता है कि मनुष्य को उच्च से उच्च श्रेणी पर पहुंचाने के लिए आया है। इसको आजकल किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इस प्रकार कि जीवन भर तो क़ुर्आन का एक शब्द उसके कानों में नहीं पड़ता परन्तु जब कोई मर जाए तो उसे क़ुर्आन सुनाया जाता है। हालांकि मरने पर प्रश्न तो यह होता है कि बताओ तुम ने इस पर अमल क्योंकर किया? न यह कि मरने के बाद तुम्हारी क़ब्र पर कितनी बार क़ुर्आन समाप्त किया गया है। फिर एक इस्तेमाल इसका यह है कि आवश्यकता पड़े तो आठ आने लेकर उसकी झूठी क़सम खा ली जाती है और इस प्रकार उसे दूसरों के अधिकार

दबाने का साधन बनाया जाता है। तीसरे इस प्रकार कि मुल्ला लोग इस से लाभ उठाते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके वारिस क़ुर्आन लाते हैं कि इसके माध्यम से इसके गुनाह माफ़ कराएँ और मुल्ला लोग एक घेरा सा बना कर बैठ जाते हैं और क़ुर्आन एक-दूसरे को पकड़ाते हुए कहते हैं कि मैंने तेरी यह मिल्क की। वे इस प्रकार समझते हैं कि मुर्दे के गुनाहों का इस्क़ात हो गया (अर्थात् गुनाह गिर गए) परन्तु मुर्दे के गुनाहों का क्या गिरना था इन मुल्लाओं और उस मुर्दे के वारिसों के ईमान गिर जाते हैं। एक इस प्रकार लाभ उठाते हैं कि मुल्ला लोग आठ-आठ आने के क़ुर्आन ले आते हैं। जब किसी के यहां कोई मर जाता है और वह क़ुर्आन लेने आता है तो उसे बहुत अधिक मूल्य बता दिया जाता है। वह कहता है कि यह तो एक रुपए से भी कम मूल्य का है मुल्ला साहिब कहते हैं कि क्या क़ुर्आन सस्ते मूल्य पर बिक सकता है? थोड़े मूल्य पर तो इसक बेचना मना है। स्वयं क़ुर्आन में आता है -

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِیْ ثَمَنًا قَلِيْلًا (अल बक़रह-42)

कि कम मूल्य पर क़ुर्आन न खरीदो, इसलिए कि इसका कम मूल्य नहीं लिया जा सकता। परन्तु वे मूर्ख नहीं जानते कि क़ुर्आन में तो यह भी फ़रमाया है कि مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ(अन्निसा-78)

कि संसार का सब माल-व-सामान कम है। और ثَمَنًا قَلِيْلًا के ये अर्थ हैं कि संसार के बदले में इसे न बेचो।

फिर एक इस्तेमाल इसका यह है कि उत्तम ग़िलाफ़ में लपेट कर दीवार से लटका देते हैं। फिर एक यह कि जुज़दान (बस्ते) में डालकर गले में लटका लेते हैं ताकि लोग समझें कि बड़े बुज़ुर्ग और पवित्र हैं हर समय क़ुर्आन पास रखते हैं। तो जिस प्रकार मुसलमान पवित्र क़ुर्आन को बुरे तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उस से फ़ायदा नहीं उठाते, इसी

प्रकार तक़्दीर के विषय के संबंध में करते हैं। तो एक इस्तेमाल तो इसका यह होता है कि अपनी शर्मिन्दगी को मिटाने के लिए तक़्दीर को आड़ बना लेते हैं। उदाहरणतया किसी काम के लिए गए और वह न हुआ तो अपनी शर्मिन्दगी मिटाने के लिए कि लोग कहेंगे कि तुम तो बड़ा दावा करते थे परन्तु अमुक काम न कर सके। कहते हैं कि क़िस्मत (भाग्य) ही इसी प्रकार थी हम क्या करते? जहां-जहां उन्हें कोई अपमान और बदनामी पंहुचती है उसे भाग्य और तक़्दीर के सर मंढ देते हैं। हांलाकि तक़्दीर शर्मिन्दगी में डुबोने के लिए नहीं बल्कि तरक़्क़ियों को प्रदान करने के लिए जारी की गई है। आगे जो व्यक्ति हानि उठाता है वह तक़्दीर से लाभ न उठाने के कारण होता है।

फिर निराशा व्यक्त करने के समय भी भाग्य को याद कर लेते हैं। जैसे काम करते-करते जब हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं और यह मनुष्य के लिए बहुत बुरी हालत है क्योंकि निराशा व्यक्त करना बहुत बड़ी कायरता और नीचता को सिद्ध करता है और सुशील मनुष्य इस से बचता है। तो उस समय अपनी निराशा और उत्साहहीनता को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं कि मालूम होता है कि यह बात क़िस्मत में ही नहीं है। अर्थात् हम तो आकाश में छेद कर आएं परन्तु अल्लाह तआला ने मार्ग रोक दिया है और चूंकि उसकी इच्छा नहीं इसलिए हम कोशिश छोड़ देते हैं। इस प्रकार अपने साहस की कमी और नीचता को ख़ुदा तआला की तक़्दीर की आड़ में छुपाते हैं और शर्म नहीं करते कि तक़्दीर को किस रंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तथा इतना नहीं सोचते कि उन्हें कैसे मालूम हुआ कि ख़ुदा तआला की तक़्दीर इसी प्रकार थी। ये उस के ऐसे सानिध्य प्राप्त (मुक़र्रब) कब हुए कि वह इन पर अपनी तक़्दीरों को अभिव्यक्त करने लग गया।

फिर अपनी सुस्ती को छुपाने के लिए इस विषय का इस्तेमाल करते हैं। उस लोमड़ी ने तो फिर भी अच्छा किया था जिसने गुज़रते देखा कि अंगूर की बेल को अंगूर लगे हुए हैं। वह उन्हें खाने के लिए उछली, कूदी परन्तु वे इतने ऊंचे थे कि पहुंच न सकी और यह कह कर चल दी कि थू-खट्टे हैं। जैसे वह उनको इसलिए नहीं छोड़ रही कि उनको पा नहीं सकती बल्कि उनके खट्टे होने के कारण छोड़ रही है। किन्तु ये उस से भी बुरा नमूना दिखाते हैं। ये किसी काम के लिए कोशिश करने के बिना यह कह कर अपनी सुस्ती पर पर्दा डाल देते हैं कि यदि क़िस्मत (भाग्य) हुई तो मिल कर रहेगा और मुर्ख नहीं सोचते कि तुम कब इस योग्य हुए कि अल्लाह तआला अपने कानून को बदलकर एक विशेष तक़्दीर जारी करेगा और तुम्हारे लिए आजीविका उपलब्ध करेगा। फिर बात तो तब थी कि सब काम छोड़ देते। परन्तु ऐसा नहीं करते। जिस काम के बिना चारा न हो उसे करने के लिए दौड़ पड़ते हैं या जो काम अधिक क़ुर्बानी और मेहनत न चाहता हो उसके करने में बहाना नहीं करते। यदि क़िस्मत पर ऐसा ईमान था तो फिर छोटे-छोटे काम क्यों करते हो? वास्तव में इन लोगों का काम उस लोमड़ी के काम से अधिक बुरा है न केवल इसलिए कि उसने कोशिश के बाद छोड़ा और ये बिना कोशिश के छोड़ देते हैं बल्कि इसलिए भी कि उसने तो अपने काम के छोड़ने को अंगूरों के खट्टे होने की ओर सम्बद्ध किया और ये उसे अल्लाह तआला की ओर सम्बद्ध करते हैं। ये लोग स्वयं सुस्त होते हैं। काम करने को मन नहीं चाहता, मेहनत से दिल घबराता है और उसे मौत से अधिक बुरा समझते हैं, परन्तु जब उन्हें उन्नति के मार्गों पर चलने के लिए कहा जाता है तो कह देते हैं कि यदि अमुक वस्तु ने मिलना होगा तो स्वयं ही मिल कर रहेगी। हमारी मेहनत से क्या मिलता

है। और इस प्रकार अपनी कमज़ोरी तक़्दीर की चादर में छुपाते हैं।

फिर गाली के तौर पर तक़्दीर को इस्तेमाल करते हैं। अर्थात् जिसे गाली देनी हो उसे कहते हैं चल अभागे। मानो जिस प्रकार और बुरे शब्द हैं इसी प्रकार क़िस्मत का शब्द है। और इनके नज़दीक ख़ुदा की इस नेमत का इस्तेमाल यह है कि अपनी ज़ुबानों को गन्दा करें। हालांकि ख़ुदा तआला ने तक़्दीर इसलिए जारी की थी कि मनुष्य उसके द्वारा अपने आपको पवित्र करें।

फिर इसका एक इस्तेमाल ख़ुदा को गालियां देने के लिए होता है। ख़ुदा ने तो तक़्दीर इसलिए बनाई है कि ख़ुदा से मनुष्य का संबंध सुदृढ़ हो। परन्तु वे इसका उल्टा इस्तेमाल करते हैं। यदि कुछ लोगों के घरों में कोई मृत्यु हो जाए। उदाहरणतया कोई बच्चा मर जाए तो वह कहता है कि "रब्बा तेरा पुत्तर मरदा ते तेनूं पता लगदा" अर्थात् हे ख़ुदा! तेरा लड़का मरता तो तुझे मालूम होता कि उसका कितना आघात पहुंचता है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जैसे ख़ुदा ने इन पर बड़ा ज़ुल्म किया है और वे चाहते हैं कि ख़ुदा पर भी ऐसा ही ज़ुल्म हो। यहां एक व्यक्ति थे बाद में वह बहुत निष्कपट अहमदी हो गए और हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम उन से बीस वर्ष तक नाराज़ रहे। कारण यह कि हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम को उनकी एक बात से बहुत उदासीनता हो गई। और वह इस प्रकार कि उनका एक लड़का मर गया। हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ उनके यहां मृत्यु शोक के लिए गए। उनमें नियम था कि जब कोई व्यक्ति आता और उससे इनके बहुत मित्रवत संबंध होते तो उस से मिल कर रोते और चीखें मारते। इसी के अनुसार उन्होंने हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम के बड़े भाई से गले मिलकर रोते हुए कहा कि ख़ुदा ने मुझ पर बड़ा ज़ुल्म किया है। यह सुन कर

हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम को ऐसी नफ़रत हो गयी कि उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। बाद में ख़ुदा ने उन्हें तौफ़ीक दी और वह इन मूर्खताओं से निकल आए। तो तक़्दीर के विषय को ग़लत समझने का यह परिणाम है कि ये लोग कहते हैं कि ख़ुदा ने हम पर यह ज़ुल्म किया वह अत्याचार किया और इस प्रकार ख़ुदा को गन्दी से गन्दी गालियां देने से भी संकोच नहीं करते। असल बात यह है कि इन लोगों के इन कार्यों का आरोप उन पर है जिन्होंने उन के दिलों में यह विचार डाल दिया है कि सब कुछ ख़ुदा करता है इस विचार को रखकर जब उन पर कोई संकट आता है तो कहते हैं ख़ुदा ने हम पर यह ज़ुल्म किया है।

तक़्दीर पर ईमान लाने की आवश्यकता -

अब मैं यह बताता हूं कि तक़्दीर पर ईमान लाने की आवश्यकता क्या है? मैंने बताया है कि तक़्दीर नाम है ख़ुदा की विशेषताओं के प्रकटन का। और जब तक कोई मनुष्य इस पर ईमान नहीं लाता उसका ईमान पूर्ण नहीं हो सकता। तो तक़्दीर ईमान की दृढ़ता और पूर्णता का माध्यम है। यदि यह विषय न होता तो पहला दोष यह होता कि ईमान अपूर्ण रह जाता।

यदि ख़ुदा की तक़्दीर जारी न होती तो क्या हानि होती?

यदि तक़्दीर न होती तो पहली हानि यह होती कि मनुष्य न (धर्म) में सुख पा सकता न दुनिया में। मैंने बताया है कि एक तक़्दीर यह है कि आग जलाए, पानी प्यास बुझाए। अर्थात् वे आदेश जिनके द्वारा वस्तुओं की विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। इसी नियम से फ़ायदा उठा कर संसार

अपना कारोबार कर रहा है। एक ज़मींदार घर से दाना ले जा कर भूमि में डालता है। मानो देखने में उसको नष्ट करता है, परन्तु क्यों? इसलिए कि उसे आशा है कि उग कर एक दाने के कई-कई दाने बन जाएंगे। परन्तु उसे यह आशा और यह विश्वास क्यों है? इसलिए कि उस का पिता, उसका दादा उसका परदादा जब-जब इस प्रकार करता रहा है ऐसा ही होता रहा है, और ख़ुदा ने यह नियम निर्धारित कर दिया है कि जब दाना भूमि में डाला जाए तो उसके उगने से कई दाने पैदा हो जाएं। परन्तु यदि यह नियम निर्धारित न होता बल्कि इस प्रकार होता कि ज़मींदार को गेहूं की आवश्यकता होती और वह गेहूं बोता तो कभी गेहूं उग आता, कभी बबूल उग आता, कभी अंगूर की बेल निकल आती इत्यादि। तो कुछ समय के बाद ज़मींदार इस बोने के कार्य को व्यर्थ समझ कर बिल्कुल छोड़ देता और अपनी मेहनत को नष्ट समझता। इसी प्रकार अब तो सुनार को विश्वास है कि सोना जब आग में डालूंगा तो पिघल जाएगा और फिर जिस प्रकार चाहूंगा आभूषण बना लूंगा। परन्तु यदि ऐसा न होता बल्कि यह होता कि सुनार को कोई कड़े बनाने के लिए सोना देता और वह जब उसे पिघलाता तो वह चांदी निकल आती या कोई चांदी देता तो वह पीतल निकल आती। क्योंकि कोई नियम निर्धारित न होता तो क्या हालत होती यही कि बेचारे सुनार को मार-मार कर उसकी ऐसी हालत बनाई जाती कि वह इस कार्य को करने से तौबः कर लेता। इसी प्रकार लुहार जब लोहे को गर्म करके उस पर हथौड़ा मारता कि उसे लम्बा करे। परन्तु वह कभी लोहे की टोपी बनती जाती। कभी हार्न का रूप ग्रहण कर लेता या वह फावड़ा बनाता तो आगे तलवार बन जाती और उसे पुलिस पकड़ लेती कि तुम को हथियार बनाने की अनुमति किस ने दी है। या इसी प्रकार डाक्टर बुख़ार उतरने की दवा देता परन्तु उस से खांसी भी

हो जाती तो डाक्टरों की कौन सुनता। अब तो यदि किसी को खांसी हो तो एक ज़मींदार भी कहता है कि इसे बनफ़्शा पिलाओ। क्योंकि अनुभव ने बता दिया है कि इस से खांसी में लाभ होता है। परन्तु यदि यह नियम निर्धारित न होता बल्कि यह होता कि कभी बनफ़्शा पिलाने से खांसी हो जाती और कभी बुख़ार बढ़ जाता, कभी क़ब्ज़ हो जाती और कभी दस्त आ जाते, कभी भूख बन्द हो जाती और कभी अधिक हो जाती तो कौन बनफ़्शा पिलाता। बनफ़्शा तब ही पिलाया जाता है कि ख़ुदा ने निर्धारित किया हुआ है कि इस से विशेष प्रकार की खांसी में फ़ायदा हो। इसी प्रकार ज़मींदार घर से अनाज निकाल कर तब ही भूमि में डालता है कि उसे विश्वास है कि गेहूं से गेहूं पैदा होता है। यदि उसे विश्वास न होता तो कभी न निकालता, वह कहता कि मालूम नहीं क्या पैदा हो जाएगा। मैं क्यों इस अनाज को भी नष्ट करूं। परन्तु अब वह इसलिए मिट्टी के नीचे गेंहू के दानों को दबाता है कि ख़ुदा ने तक़्दीर निश्चित की हुई है कि गेहूं से गेहूं पैदा हो। इसी प्रकार रोटी खाने से पेट भरता है। परन्तु यदि ऐसा होता कि कभी एक कौर से पेट भर जाता और कभी कोई दिन भर रोटी खाता रहता और पेट न भरता तो फिर किसको आवश्यकता थी कि खाना खाता और क्यों पैसे नष्ट करता या घर में आग जलाने से खाना पकाया जाता है। परन्तु यदि यह होता कि कभी सारे दिन फुलका तवे पर पड़ा रहता और आग जलती रहती किन्तु वह गीला का गीला ही रहता और कभी आटा डालते ही जल जाता और कभी सेंक लगने से फुल्का पकने लगता और कभी मोटा होकर डबल रोटी बन जाता, तो कौन फुलके पकाने का साहस करता। इसी प्रकार कभी साग कच्चा रहता और कभी पक जाता तो कौन पकाता। या अब मालूम है कि मिसरी डालने से वस्तु मीठी हो जाती है, परन्तु यदि ऐसा होता कि कभी मिसरी

डालने से मीठी हो जाती, कभी कड़वी, कभी नमकीन, कभी खट्टी, कभी कसैली और कभी किसी और स्वाद की। तो क्या कोई मिस्री या खांड को इस्तेमाल कर सकता? यह जितना संसार का कारखाना चल रहा है उसका एक ही कारण है और वह तक़्दीर का विषय है। ख़ुदा तआला ने निर्धारित कर दिया है कि मीठा मीठे का स्वाद दे, खट्टा खट्टे का स्वाद दे, आग से खाना पके रोटी से पेट भरे इत्यादि-इत्यादि। तथा लोगों ने इसका अनुभव कर लिया है। अतः वे इन बातों के लिए रुपया ख़र्च करते हैं मेहनत सहन करते हैं। तो मालूम हुआ कि संसार का जितना कारोबार और जितनी उन्नति है वह सब तक़्दीर के निर्धारित करने के कारण से है। यदि यह न होती तो संसार ही न होता और उसका कारखाना (व्यवस्था) न चल सकता। तो मनुष्य का जीवन तक़्दीर के साथ स्थापित है, क्योंकि मनुष्य खाने-पीने तथा अन्य आवश्यकताओं के पूरा होने से जीवित रह सकता है और उन आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए वह तभी मेहनत करता है जब वह जानता है कि मेरी कोशिश का कोई लाभप्रद परिणाम निकलेगा। यदि कोई नियम निर्धारित न होता तो वह मेहनत भी न करता और जीवित भी न रहता।

यह तो सामान्य तक़्दीर के न होने की हानि थी। अब विशेष तक़्दीर के न होने के बारे में बताता हूं।

विशेष तक़्दीर के न होने की हानियाँ-

जिस प्रकार सामान्य तक़्दीर से संसार की स्थापना और उसकी उन्नति सम्बद्ध है। इसी प्रकार रूहानियत की स्थापना और उसकी उन्नति विशेष तक़्दीर से सम्बद्ध है। और जिस प्रकार यदि सामान्य तक़्दीर न होती तो संसार व्यर्थ होता इसी प्रकार यदि विशेष तक़्दीर न होती तो रूहानियत

व्यर्थ हो जाती।

इस की पहली हानि तो यह है कि इसके बिना मनुष्य ख़ुदा पर ईमान नहीं ला सकता। इसलिए कि ख़ुदा पर ईमान लाने का बड़े से बड़ा तर्क यह संसार का कारखाना है कि इतने बड़े कारखाने का बनाने वाला कोई होना चाहिए। अतः किसी दार्शनिक ने एक देहाती से पूछा था कि तुम्हारे पास ख़ुदा के होने का क्या तर्क है। उसने कहा कि जब मैं मेंगनी देखता हूं तो समझ लेता हूं कि इधर से कोई बकरी गुज़री है या ऊंट का मल देखता हूं तो मालूम कर लेता हूं कि यहां से कोई ऊंट गुज़रा है या पांव के निशान देख कर मालूम कर लेता हूं कि इधर से कोई मनुष्य गुज़रा है। तो क्या इतने बड़े कारखाने को देख कर मैं नहीं समझ सकता कि ख़ुदा है? परन्तु यह तर्क पूर्ण नहीं है, क्योंकि इस से यही सिद्ध होता है कि ख़ुदा होना चाहिए न यह कि है। हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बराहीन अहमदिया में खूब खोल कर लिखा है।

अब प्रश्न हो सकता है कि फिर किस प्रकार मालूम हो कि ख़ुदा है? यह बात इसी प्रकार मालूम हो सकती है कि ख़ुदा तआला अपनी क़ुदरत का कोई नमूना दिखाए, जिस को देख कर विश्वास किया जा सके कि ख़ुदा तआला वास्तव में मौजूद है। जब लोग देख लें कि एक कार्य मनुष्य की शक्ति से ऊपर था और वह एक व्यक्ति के समय से पूर्व सूचना देने के बाद विलक्षण तौर पर हो गया तो वे समझ सकते हैं कि ख़ुदा ही है जिसने यह कार्य कर दिया है।

इस अवसर पर मैं एक बात बताना चाहता हूं और वह यह कि कहा जा सकता है कि हज़रत साहिब ने तो यह लिखा है कि इल्हाम से सिद्ध होता है कि ख़ुदा है। परन्तु तुम कहते हो कि तक़्दीर से। इसके बारे में याद रखना चाहिए कि असल में दोनों बातें सही हैं और वह इस प्रकार

कि यह बात कि ख़ुदा है उसी इल्हाम से सिद्ध होती है जिसमें तक़्दीर को प्रकट किया जाता है। अन्यथा यदि ख़ुदा की ओर से केवल यह इल्हाम हो कि "मैं हूं" तो लोग कह सकते हैं कि यह इल्हाम मुल्हम का भ्रम है। इस से ख़ुदा की हस्ती (अस्तित्व) सिद्ध नहीं होती। बहुत बार इल्हाम बतौर भ्रम के भी हो जाता है।

यहां एक बार एक व्यक्ति आया वह कहता था कि मुझे आवाज़ें आती हैं-

"तुम महदी हो"। मेहमान खाना में ठहरा हुआ था और वहीं मौलवी ग़ुलाम रसूल साहिब राजेकी ठहरे हुए थे। उन्होंने उसे बुला कर समझाया कि क्या यदि कोई मौलवी साहिब करके आवाज़े दे तो समझ लोगे कि तुम्हें बुलाया है। उसने कहा नहीं। उन्होंने पूछा क्या यदि कोई हकीम साहिब या डाक्टर साहिब कह कर आवाज़ दे तो तुम क्या समझोगे? उसने कहा कि यही समझूंगा कि किसी हकीम साहिब या डाक्टर साहिब को बुलाया जा रहा है और मैंने भी यह आवाज़ सुन ली है। मौलवी साहिब ने कहा जब डाक्टर साहिब या हकीम साहिब की आवाज़ सुन कर तुम यह नहीं समझते कि कोई तुम्हें सम्बोधित कर रहा है। तो फिर जब महदी और मसीह की आवाज़ तुमको आती है तो अपने आप को महदी और मसीह क्योंकर समझ लेते हो?

इसी प्रकार हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम के समय में एक व्यक्ति आया और आकर कहने लगा "मुझे कभी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहा जाता है, कभी ईसा अलैहिस्सलाम, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मैं कभी अर्श पर चला जाता हूं तो हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा चमत्कार भी दिया जाता है? उसने कहा

नहीं। आप ने फ़रमाया जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहा जाता है तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शक्तियां भी दी जाती हैं? कहा नहीं। आप ने फ़रमाया-जब तुम अर्श पर जाते हो तो क्या तेजस्वी निशान भी दिए जाते हैं? कहा नहीं। आप ने फ़रमाया जो व्यक्ति किसी को कहता है कि ले और जब वह लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो कुछ नहीं देता। क्या उसके इस कार्य से मालूम नहीं होता कि उस से हंसी की जा रही है या उसकी परीक्षा हो रही है। इसी प्रकार तुम से यह हंसी-ठट्ठा किया जा रहा है जो तुम्हारे गुनाहों के कारण से है। तुम बहुत तौब: करो।

तो इल्हाम चूंकि भ्रम, बुरे विचार, रोग और शैतानी इल्क़ा का भी परिणाम होता है। इसलिए केवल इल्हाम पर सन्देह किया जा सकता है कि शैतानी न हो, रोग न हो, परन्तु जब उसके साथ क़ुदरत होती है तो मालूम हो जाता है कि किसी ज़बरदस्त हस्ती की ओर से है। अत: ये दोनों बातें सही हैं कि इल्हाम ही ख़ुदा तआला के संबंध में विश्वास की श्रेणी पर पहुंचाता है और तक़्दीर की अभिव्यक्ति ही "ख़ुदा है" की श्रेणी तक पहुंचाता है। और यदि तक़्दीर न होती तो ख़ुदा तआला पर ईमान भी न होता। संसार को देख कर कहा जा सकता था कि यों ही बन गया है। परन्तु जब ख़ुदा की शक्ति और क़ुदरत को मनुष्य देखता है तो उसे मालूम हो जाता है कि ख़ुदा है। अत: हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम फ़रमाते है :-

क़ुदरत से अपनी ज़ात का देता है हक़ सबूत
उस बे निशां की चेहरा नुमाई यही तो है।

इसमें हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने बताया है कि ख़ुदा तआला क़ुदरत से अपने चेहरे को दिखाता है और उस समय तक ख़ुदाई सिद्ध

नहीं होती जब तक वह क़ुदरत न दिखाए। वे लोग जो क़ुदरत देखने वाले नहीं होते वे यों कह देते हैं कि ख़ुदा को किसने पैदा किया जो उसको मानें? परन्तु जब जब उसकी क़ुदरत देख लेते हैं तो उन पर सिद्ध हो जाता है कि ख़ुदा है।

अतः यदि तक़्दीर न हो तो ख़ुदा तआला पर भी ईमान नहीं रहता और यदि ख़ुदा पर किसी प्रकार ईमान प्राप्त भी हो जाए तो तक़्दीर के बिना प्रेम और निष्कपटता पैदा नहीं हो सकती। उदाहरणतया बादशाह का अस्तित्व है। किसी का दिल नहीं चाहता कि उसकी तरफ़ चिट्ठी लिखे। क्योंकि उससे व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। परन्तु जब लोगों से व्यक्तिगत संबंध होता है उनकी तरफ़ पत्र लिखने का विचार बार-बार पैदा होता है। इसी प्रकार सामान्य बात का आनन्द और होता है तथा यदि वह बात स्वयं से संबंध रखती हो तो और ही आनन्द होता है। यदि बादशाह की सार्वजनिक घोषणा हो तो उस से कोई विशेष आनंद नहीं उठाया जाता, परन्तु यदि विशेष तौर पर किसी के नाम बादशाह की चिट्ठी हो तो उसे अपने लिए बड़ा गर्व समझता है। तो ख़ुदा तआला से प्रेम और निष्कपटता का संबंध होने के लिए आवश्यक है कि उस से मनुष्य का व्यक्तिगत तौर पर संबंध हो और वह संबंध तक़्दीर के द्वारा स्थापित हो सकता है।

तीसरी हानि - यदि तक़्दीर न होती तो यह होती तो संभवतः समस्त लोगों की मुक्ति न हो सकती। इसलिए कि अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो आरंभ में गुनाह करते हैं और जब उन्हें समझ आती है तो उनको छोड़ देते हैं। अब यदि तक़्दीर न होती और तदबीर होती तो यही होता कि जो कुछ मनुष्य कर चुका होता उसी के अनुसार उसे प्रतिफल मिलता। क्योंकि उसको अपने किए हुए के अनुसार ही मिलना था ख़ुदा ने कुछ नहीं देना था। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अस्सी वर्ष गुनाह किए

और इक्यासीवें (८१) वर्ष नमाज़ें पढ़ीं और अच्छे कर्म किए, उसे तदबीर का इतना बोझ नर्क में ही ले जाता। परन्तु इस अवसर पर तक़्दीर काम करती है और यह कि यदि बन्दा अपने गुनाहों से तौब: करे तो उनको मिटा दिया जाएगा। अत: ख़ुदा तआला फ़रमाता है -

اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ (हूद-115)

कि नेकियां बुराइयों को मिटा दिया करती हैं।

परन्तु यदि यह तक़्दीर न होती तो लोगों की मुक्ति कठिन हो जाती। यदि तक़्दीर न होती तो तौब: का विषय भी न होता और जब तौब: का विषय न होता तो मनुष्य के गुनाह माफ़ न हो सकते और वह मुक्ति न पा सकता। किन्तु ख़ुदा ने यह तक़्दीर रख दी है कि यदि मनुष्य तौब: करे तो उसके गुनाह मिटा दिए जाएं। यही कारण है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि यदि मनुष्य मरने की अवस्था से पहले किसी समय भी तौब: करेगा तो उसकी तौब: स्वीकार की जाएगी और यह अन्तिम समय की नेकी उसकी सम्पूर्ण आयु की बुराइयों को मिटा देगी।

(ترمذی ابواب الدعوات باب ماجاء فی فضل التوبۃ والاستغفار وماذکر من رحمۃ اللہ لعبادہٖ)

तो तक़्दीर के विषय के कारण मनुष्य तबाही से बचता है। मैंने देखा है कि एक मनुष्य अपने गुनाहों पर हठ धर्म था। मैंने उसे कहा कि गुनाहों को छोड़ दो वह कहने लगा कि मैंने इतने गुनाह किए हैं कि सीधा नर्क में ही जाऊंगा, फिर गुनाहों को छोड़ने का क्या फ़ायदा? मैंने कहा यह ग़लत है, ख़ुदा गुनाहों को माफ़ कर देता है यदि इन्सान तौब: करे। आदमी समझदार था। यह बात उसकी समझ में आ गई और उसने गुनाह छोड़ दिए। तो यदि तक़्दीर न होती तो तौब: न होती और तौब: न

होती अर्थात् ख़ुदा अपने बन्दों की तरफ़ न लौटता और उनकी बुराइयों को न मिटाता तो मनुष्य मर जाता।

विशेष तक़्दीर का महत्तव और आवश्यकता-

अब एक और बात बताता हूं और वह यह है कि विशेष तक़्दीर का महत्त्व और आवश्यकता क्या है? इसमें सन्देह नहीं कि ख़ुदा तआला ने हर चीज़ के लिए तक़्दीर रखी है और बन्दे का काम है कि उसके अधीन काम करे। परन्तु यह हो सकता है कि कभी सामान्य तक़्दीर काम न आ सके। उदाहरणतया एक मनुष्य जंगल में है और उसे पानी की आवश्यकता है परन्तु वहां न कोई कुआं है और न झरना। इस अवसर पर पानी प्राप्त करने के लिए क्या तक़्दीर है? यही कि कुआं खोदकर पानी निकाले। परन्तु यदि वह जंगल में कुआं खोदने लगे तो इससे पहले कि पानी निकले वह मर जाएगा। ऐसे समय के लिए ख़ुदा तआला ने विशेष तक़्दीर रखी है जिसके जारी होने से मनुष्य मरने से बच सकता है। यदि वह जारी न हो तो उसके मरने में कोई सन्देह नहीं रहता। और विशेष तक़्दीर यह है कि वह ख़ुदा तआला से दुआ करे और ख़ुदा उसके लिए पानी प्राप्त करने का कोई विशेष सामान कर दे। उदारहण के लिए मैं एक सहाबी[रज़ि॰] की एक घटना प्रस्तुत करता हूं। उनको रूमियों की सेना ने पकड़ कर क़ैद कर लिया और वे सहाबी[रज़ि॰] को पकड़ कर क़ैद करने पर बहुत प्रसन्न हुए। बादशाह ने उसे कोई बहुत कठोर दण्ड देना चाहा। किसी ने मशवरा दिया कि इनके धर्म में सुअर खाना मना है वह पका कर इसे खिलाया जाए। अतः सुअर का मांस पका कर उनके सामने रखा गया तो उन्होंने खाने से इन्कार कर दिया। उन्हें बार-बार कहा गया, परन्तु उन्होंने न खाया। अन्त में भूख के कारण उनकी हालत बहुत ख़राब हो

गयी। उस समय वह अपनी जान बचाने के लिए कोई सामान नहीं कर सकते थे और सामान्य तक़्दीर उन की कोई सहायता नहीं कर सकती थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में क़ैद थे इस समय ख़ुदा ही कुछ करता तो हो सकता था। परन्तु यदि ख़ुदा ने यह फ़ैसला किया होता कि हर अवसर पर सामान के द्वारा ही काम हो तो उनके छुटकारे का उपाय नहीं हो सकता था। परन्तु चूंकि ख़ुदा तआला ने विशेष तक़्दीर का सिलसिला भी जारी रखा है उन के बचाव का उपाय हो गया। और वह इस प्रकार कि जब उनको चार-पाँच दिन भूखे रहते हुए हो गए तो ख़ुदा ने रूम के बादशाह के सर में तीव्र दर्द पैदा कर दिया। जितनी दवाएं संभव थीं उसने कीं परन्तु कोई लाभ न हुआ। किसी ने कहा इसका कारण यह तो नहीं कि जिस व्यक्ति को आप ने क़ैद किया हुआ है उसकी आह लगी है और इस कारण यह दण्ड मिल रहा है। बादशाह ने कहा मालूम होता है यही कारण है। उसने सहाबी[रज़ि॰] को बुला कर उन से नम्रता का व्यवहार किया और हज़रत उमर[रज़ि॰] को अपने सर दर्द के बारे में लिखा, जिन्होंने उसको पुरानी टोपी भेजी कि यह पहन लो सर का दर्द जाता रहेगा। और यह भी लिखा कि हमारा एक भाई तुम्हारे पास क़ैद है उसे सम्मानपूर्वक छोड़ दो। उसने ऐसा ही किया और टोपी पहनने से उसका दर्द जाता रहा।

तो यह तक़्दीर थी जिसके द्वारा अल्लाह ने उस सहाबी[रज़ि॰] को रिहाई दी। सामान्य तक़्दीर के द्वारा उस सहाबी[रज़ि॰] के संकट का कोई हल संभव न था। तो ख़ुदा तआला ने बादशाह की गर्दन पकड़ कर उस से सहाबी[रज़ि॰] को आज़ाद करा दिया।

फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की घटना है। ख़ुदा तआला का आदेश हुआ कि अमुक देश में चले जाओ। जब वह अपने साथियों के साथ चले तो मार्ग में ऐसा जंगल आ गया जहां पानी नहीं मिल सकता

था और कुआं भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि पथरीली ज़मीन थी। इस अवसर पर वह क्या करते। न इधर के रहे थे न उधर के। न वापस जा सकते थे, न आगे बढ़ सकते थे। यदि उस समय ख़ुदा ही अपना रहम न करता तो वह क्या कर सकते थे? उस समय एक ही इलाज था कि अल्लाह तआला विशेष तक़्दीर जारी करे। अतः हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुदा तआला से विनती की कि हे मेरे ख़ुदा! हम प्यासे मरने लगे हैं आप ही कोई प्रबंध कीजिए कि हमें पानी मिल जाए। इस पर ख़ुदा तआला ने फ़रमाया कि अमुक स्थान पर जा और जाकर अपना डंडा मार। तो उस स्थान पर जाकर जब उन्होंने डंडा मारा तो झरना फूट पड़ा और उनको पानी मिल गया। अब इस स्थान पर झरना तो अनादि समय से मौजूद था परन्तु क्यों? इसलिए कि यहां एक मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचेगा तथा उसे और कहीं से पानी नहीं मिलेगा, उस समय यहां से पानी दिया जाएगा।

तो जहां सामान काम नहीं देते और ऐसे अवसर आ जाते हैं उस समय यदि मरने से बचने का कोई माध्यम है तो विशेष तक़्दीर ही है। यदि विशेष तक़्दीर न होती तो ये हानियां होतीं कि -

(1) ख़ुदा पर ईमान प्राप्त न हो सकता।

(2) ख़ुदा तआला के साथ बन्दे के संबंध सुदृढ़ न हो सकते।

(3) तौबः करके गुनाहों से बचने का अवसर न मिलता।

(4) ऐसे अवसरों पर जिनमें सामान उपलब्ध नहीं हो सकते उन में इन्सान मरने से नहीं बच सकता।

तक़्दीर न होने की एक अन्य हानि -

फिर यह कि तक़्दीर न होती तो समस्त संसार शिर्क में ग्रस्त हो

जाता। कारण यह कि ऐसे नबी जो शरीअत लाते हैं और अपनी जमाअतें स्थापित करते हैं वे सब ऐसी हालत में आते कि उनके पास सामान कुछ न होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब मक्का में मूर्तियों को ग़लत ठहराया तो उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ कोई सामान न थे और मक्का वाले जिन का गुज़ारा ही मूर्तियों पर था चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मार दें। उन के मुकाबले के लिए आप के पास न सेना थी न शक्ति। अब यदि सामानों पर ही सफलता निर्भर होती तो काफ़िरों को होती और वे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अधिकार पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मार देते और आप के मर जाने का परिणाम यह होता कि संसार अंधकार और गुमराही (पथभ्रष्टता) में ही पड़ा रहता। इसी प्रकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई सामान न थे। यदि केवल तदबीर या सामान्य तक़्दीर ही होती तो जो नबी आता वह मारा जाता और संसार में नबियों का सिलसिला ही न चलता। क्यों कि नबियों के दुश्मन शक्तिशाली होते हैं। उन के पास सामान होते हैं, परन्तु ख़ुदा तआला विशेष तक़्दीर को उतार कर उनकी सहायता करता है और उन्हें सफलता प्राप्त होती है अन्यथा वे जीवित न रह सकते और संसार से शिर्क को न मिटा सकते। कोई कह सकता है कि नबी ख़ुदा बनाता है या इन्सान? यदि ख़ुदा बनाता है तो वह मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जैसे कंगाल को न बनाता। क़ैसर जैसे शक्तिशाली बादशाह को बना देता? तो ख़ुदा कमज़ोरों को नबी बनाने की बजाए बड़े-बड़े बादशाहों को बना देता और तक़्दीर जारी न करता। परन्तु यदि ऐसा होता तो ख़ुदा तआला बन्दों का मुहताज होता, बन्दे ख़ुदा के मुहताज न होते, क्योंकि

वे कहते कि ख़ुदा को हम ने ही अपनी शक्ति से मनवाया है अन्यथा उसे कौन मान सकता था। जैसे ख़ुदा पर उसका उपकार होता। अतः ख़ुदा तआला नुबुव्वत के लिए ऐसे ही लोगों को चुनता है जो हर समय अपने ऊपर ख़ुदा तआला का उपकार और फ़ज़्ल (कृपा) होते देखते और उसके कृतज्ञ बनते हैं।

कोई यह विचार न करे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी थे वे बादशाह थे। क्योंकि ये दोनों नबी नई जमाअतें तैयार कराने वाले न थे। ऐसे नबी अमीरों और बादशाहों में से हो सकते हैं परन्तु वे नबी जो नए सिरे से संसार को स्थापित करने के लिए आते हैं और जिनके द्वारा मुर्दा क़ौम जीवित की जाती है वे केवल ग़रीब लोगों में से ही होते हैं।

तक़्दीर (तक़्दीर) पर ईमान लाने से आध्यात्मिकता (रूहानियत) की सात श्रेणियाँ तय होती हैं।

अब मैं यह बताता हूं कि तक़्दीर पर ईमान लाने के क्या लाभ हैं -

प्रथम श्रेणी -

पहला लाभ तो सामान्य तक़्दीर के अन्तर्गत यह है कि सांसारिक उन्नतियां प्राप्त होती हैं। यदि तक़्दीर पर ईमान न लाया जाए तो कोई काम चल ही नहीं सकता। क्योंकि संसार का सम्पूर्ण कारखाना इसी आधार पर चल रहा है कि इन्सान क़ुदरत के कुछ नियमों पर ईमान ले आता है। उदाहरणतया यह कि आग जलाती है पानी बुझाता है। यदि वस्तुओं की विशेषताओं (गुणों) पर विश्वास न हो तो इन्सान सब कोशिशें छोड़ दे और सब कारखाना बेकार हो जाए। और रूहानियत में यह लाभ है कि

सच इस से क़ायम रहता तथा ईमान प्राप्त होता है और वह इस प्रकार कि जिस प्रकार एक ज़मींदार यह देख कर कि गेहूं बोने से गेहूं ही पैदा होता है बीज डालता है। इसी प्रकार जब लोग शरीअत के आदेशों पर चलने के नेक परिणाम देखते हैं तो उन को भी उन पर अमल करने का साहस और जोश पैदा होता है और उन्हें ईमान प्राप्त करने की प्रेरणा होती है। अन्यथा जब नबी आते तो लोग उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देते और कहते कि जब उनके मानने का कोई लाभ नहीं तो उन्हें क्यों मानें? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लोगों ने क्यों माना? इसीलिए कि उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षा पर अमल करके (पालन करके) इन्सान की रूहानी (आध्यात्मिक) और नैतिक हालत कुछ की कुछ हो जाती है और ख़ुदा तआला का समर्थन एवं सहायता आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मानने वालों के साथ हो जाती है तो उनके दिल में भी तहरीक हुई कि हम भी इस तक़्दीर से लाभ प्राप्त करें और ख़ुदा तआला के फ़ज़्ल (कृपा) को अपने लिए और अपने परिवार के लिए आकृष्ट करें।

द्वितीय श्रेणी -

तो शरीअत की सामान्य तक़्दीर के अन्तर्गत दूसरों के लिए एक उदाहरण क़ायम होता है और वे इस से लाभ प्राप्त करने की ओर ध्यान देते हैं। तब उनके लिए विशेष तक़्दीर जारी होती है और उसके अन्तर्गत वे औऱ भी अधिक उन्नति करते हैं और द्वितीय श्रेणी में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात् तक़्दीर पर ईमान उनको धैर्य और (ख़ुदा की) प्रसन्नता के स्थान तक पहुंचा देता है। मूल बात यह है कि अल्लाह तआला का नियम (सुन्नत) रखा हुआ है। जब वे ईमान लाते हैं तो उन्हें परीक्षाओं में डाला

जाता है। अतः अल्लाह तआला फ़रमाता है -

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ (अलअन्कबूत - 3,4)

क्या लोग सोचते हैं कि वे ईमान लाएं और फ़ित्नः में न डाले जाएं। सच्चे और झूठे में अन्तर करने के लिए आवश्यक है कि वे फ़ित्ने में डाले जाएं। तो जब कोई ईमान लाता है तो उसके लिए ख़ुदा तआला की ओर से परीक्षाएं मुक़द्दर की जाती हैं। जिन में से कुछ तो अपनी कमज़ोरियों के कारण से होती हैं और कुछ ख़ुदा तआला की ओर से आती हैं। उदाहरणतया किसी के यहां बेटा पैदा किया जाता है और वह मर जाता है। यह बेटा इसीलिए पैदा किया गया था कि उसके द्वारा परीक्षा में डाला जाए। या इसी प्रकार किसी का मकान गिर जाए या दुश्मन कोई हानि पहुंचाए। अब यदि उपाय ही उपाय है तो फिर कोई कारण नहीं कि इन्सान सब्र के स्थान पर स्थापित रहे और अपने दुश्मन के मुकाबले पर उपाय से काम न ले। सब्र के स्थान पर वह तभी स्थापित रह सकता है जब कि उसे मालूम हो कि मेरी परीक्षा ली जा रही है। अन्यथा यदि उपाय ही होता तो ऐसे अवसर पर वह अधिक जोश दिखाता। कई बार जमाअत के लोग पूछते थे कि हमें अनुमति हो तो विरोधियों पर उन शरारतों के कारण मुक़द्दमा दायर करें परन्तु हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम यही कहते कि हमें सब्र करना चाहिए। हालांकि दुश्मनों की शरारतों को रोकने के लिए मुक़द्दमा करना अवैध नहीं है। इसका कारण यही है कि कभी मोमिनों पर परीक्षाएँ ख़ुदा तआला की ओर से आती हैं जिन में सब्र दिखाने की आवश्यकता होती है। तो खुशी और सब्र जो रूहानियत की एक श्रेणी है वह तक़्दीर पर ईमान लाने से ही पैदा होती है। क्योंकि इसके अन्तर्गत

इन्सान समझता है कि मुझ पर यह परीक्षा (इब्तिला) ख़ुदा तआला की ओर से है और उस पर सब्र करता है तथा उसकी यह हालत हो जाती है कि जो बात आती है उसके बारे में कहता है ख़ुदा तआला की ओर से है और अच्छी है और यद्यपि परीक्षाओं के एक भाग में अल्लाह तआला के आदेश के अन्तर्गत उपाय से भी काम लेता है। परन्तु एक दूसरे भाग के बारे में केवल सब्र और रज़ा से काम लेता है और यही वह पद है जिस पर पहुंचे हुए लोग संकट तथा कष्ट के समय वास्तविक तौर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन (अलबक़र:157) कहते हैं।

अत: तक़्दीर ही के कारण इन्सान इन पदों को प्राप्त करता है। यदि तक़्दीर होती और इन्सान सब्र करता तो वह उत्साह का अभाव होता और यदि रज़ा होती तो वह निर्लज्जता होती। परन्तु तक़्दीर पर ईमान लाते हुए जब वह कुछ परीक्षाओं पर जिनको वह शुद्ध आज़मायश कहता है और सब्र करता है तब उसका सब्र प्रशंसनीय होता है और कुछ परीक्षाओं को वह शुद्ध ईमान समझता है ख़ुदा तआला के काम पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करता है। तब उसकी प्रसन्नता प्रशंसनीय ठहरती है। और उत्तम सब्र यही है कि इन्सान में शक्ति हो और फिर सहन करे। यदि शक्ति ही न हो तो फिर सहन करना सब्र की ऐसी उच्च श्रेणी नहीं है। और इसी प्रकार रज़ा यही है कि इन्सान इस बात का विश्वास रखते हुए कि यह ख़ुदा तआला की ओर से परीक्षा है अपने दिल में कुछ परीक्षाओं पर दिल का इत्मीनान पावे और यदि यह ईमान न हो तो उसे निर्लज्जता कहेंगे। और दोनों में अन्तर इस प्रकार होता है कि रज़ा के पद पर पहुंचा हुआ इन्सान अपने दूसरे कर्मों में बहुत चुस्त, उत्साहित और मेहनती होता है और उसका साहस दूसरे लोगों की अपेक्षा असाधारण तौर पर बढ़ा हुआ होता है।

रज़ा के शब्द पर मुझे एक बात याद आ गई। हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम के निधन से पूर्व दिनों की बात है कि मलिक मुबारक अली साहिब व्यापारी लाहौर प्रतिदिन शाम को उस स्थान पर आ जाते जहां हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ठहरे हुए थे और जब हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम सैर करने के लिए बाहर जाते तो वह अपनी बग्घी में बैठकर साथ हो जाते थे। हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए एक घोड़ी मंगवा दी थी, मैं भी उस पर सवार होकर जाया करता था और सवारी की सड़क पर गाड़ी के साथ-साथ घोड़ी दौड़ाता चला जाता था और बातें भी करता जाता था। परन्तु जिस रात हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम की बीमारी में वृद्धि होकर दूसरे दिन आप अलैहिस्सलाम का निधन होना था मेरी तबियत पर कुछ बोझ सा महसूस होता था। इसलिए मैं घोड़ी पर सवार न हुआ। मलिक साहिब ने कहा मेरी गाड़ी में ही आ जाएं। अत: मैं उनके साथ बैठ गया। किन्तु बैठते ही मेरा दिल उदासीनता के एक गहरे गड्ढे में गिर गया और मेरी ज़ुबान पर यह मिस्त्रा (आधा शे'र) जारी हो गया कि-

राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो।

मलिक साहिब ने मुझे अपनी बातें सुनाईं। मैं किसी एक-आधी बात का उत्तर दे देता तो फिर उसी विचार में व्यस्त हो जाता। रात को ही हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम की बीमारी अचानक बढ़ गई और प्रात: काल आप अलैहिस्सलाम का स्वर्गवास हो गया यह भी एक तक़्दीर विशेष थी जिसने मुझे समय से पूर्व इस असहनीय आघात को सहन करने के लिए तैयार कर दिया।

इसी प्रकार सूफ़ियों के बारे में लिखा है कि उनको जब कुछ इब्तिला आए और उन्हें पता लग गया कि ये इब्तिला (परीक्षाएं) शुद्ध

रूप से आज़मायश के लिए हैं तो यद्यपि लोगों ने निवारण करने के लिए प्रयास करना चाहा, उन्होंने इन्कार कर दिया और उसी कष्ट की अवस्था में ही आनन्द महसूस किया।

अब मैं यह बताता हूं कि इब्तिला आते क्यों हैं? इसके संबंध में याद रखना चाहिए कि प्रथम तो सामान्यतया इसलिए आते हैं कि इन्सान का ईमान सुदृढ़ हो, परन्तु इसलिए नहीं कि ख़ुदा तआला को इसका ज्ञान नहीं होता बल्कि इसलिए कि स्वयं इन्सान को मालूम नहीं होता कि मेरे ईमान की क्या हालत है। अत: एक कहानी वर्णन की जाती है कि एक स्त्री की लड़की बहुत बीमार थी। वह प्रतिदिन दुआ करती थी कि इसकी बीमारी मुझे लग जाए और मैं मर जाऊं। एक रात एक गाय का मुंह एक बर्तन में फंस गया और वह उसे बर्तन से निकाल न सकी और घबराकर उसने इधर-उधर दौड़ना आरंभ किया। उसी स्त्री की आंख खुल गई और अपने सामने एक विचित्र प्रकार की शक़्ल देख कर उसने समझा कि मौत का फ़रिश्ता जान निकालने के लिए आया है। उस स्त्री का नाम महती था। सहसा पुकारने लगी कि हे मौत के फ़रिश्ते मैं महती नहीं हूं। मैं तो एक गरीब मज़दूर बुढ़िया हूं और अपनी लड़की की ओर संकेत करके कहा- यह महती लेटी हुई है इसकी जान निकाल ले। यह स्त्री समझती थी कि उसे अपनी लड़की से प्रेम है परन्तु जब उसने समझा कि जान निकालने वाला आया तो खुल गया कि उसे प्रेम न था कि वह उसके बदले जान दे दे। यह तो एक कहानी है परन्तु यह बात प्रचुरता से पाई जाती है कि इन्सान कभी अपने विचारों का भी अच्छी तरह अनुमान नहीं लगा सकता। और जब उस पर इब्तिला आते हैं तब उसे मालूम होता है कि उसका किसी चीज़ से मुहब्बत या नफ़रत का दावा कहां तक सच्चा था।

इसी प्रकार परीक्षा में इसलिए डाला जाता है ताकि लोगों को

मालूम हो जाए कि अमुक का ईमान कैसा है अन्यथा यों दूसरों को क्या मालूम हो सकता है कि अमुक का ईमान पुख़्ता है या नहीं। इसीलिए रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि कोई इन्सान जितना बड़ा हो उस पर उतने ही बड़े इब्तिला आते हैं और सबसे अधिक इब्तिला नबियों को आते हैं।

(तिरमिज़ी अब्वाबुज़्ज़ुह्द बाब फिस्सब्रे अललबलाए)

जैसा कि हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में फ़रमाया है।

करबला ईस्त सैर हर आनम
सद हुसैन अस्त दर गिरेबानम

लोग ऐतराज़ करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन[रज़ि॰] का अपमान किया है परन्तु मूर्ख नहीं समझते कि हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने अपने इब्तिलाओं का वर्णन करते हुए फ़रमाया है कि इमाम हुसैन[रज़ि॰] तो एक बार मारे गए परन्तु दुश्मन मुझे हर समय मारने के लिए तत्पर रहते और कष्ट देते हैं और मैं हर समय करबला का दृश्य देखता रहता हूं। सूली पर एक बार चढ़ कर मरना इतनी बड़ी बात नहीं जितना कि हर समय इब्तिलाओं में पड़े रहना। ईसाई कहते हैं कि यसू मसीह चूंकि सूली पर चढ़ कर मर गए, इसलिए उनको ख़ुदा का बेटा मान लो। हम कहते हैं जो हर समय सूली चढ़ाए जाते हैं उनको क्या मानना चाहिए? सब नबियों की यही हालत होती है और जब ऐसा होता है तो लोग देख लेते हैं और उन पर सिद्ध हो जाता है कि उन का बहुत ही पुख़्ता ईमान है। कहते हैं - اَلْاِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكَرَامَةِ और सब से बड़ी करामत यह है कि दुश्मन भी ख़ूबी को मान ले और उसका इन्कार न कर सके। अब देखो दुश्मनों ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर बड़े-बड़े ऐतराज़ किए हैं परन्तु वे यह लिखने पर भी विवश

हो गए हैं कि और तो जो कुछ था परन्तु मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने काम का ऐसे ढंग और दृढ़ता से संचालन किया कि जब तक पूरा-पूरा विश्वास न हो कोई इस प्रकार संचालन नहीं कर सकता और वह बिल्कुल झूठा न था। तो जिन यूरोपियन लेखकों ने बुद्धि से काम लिया और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की घटनाओं को देखा मान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसी दृढ़ता पूर्वक काम किया कि कोई झूठा इन्सान इस प्रकार काम नहीं कर सकता। तो इसलिए भी इब्तिला आते हैं कि खूबी का दुश्मनों तक को भी इक़रार करना पड़े।

तो ईमान की उन्नति और दृढ़ता के लिए आज़मायशें आती हैं और बार-बार आती हैं ताकि भली भांति अभ्यास हो जाए। देखो जब एक लुहार लोहे पर हथौड़ा मारता है तो जो वस्तु वह बनाना चाहता वह बनती जाती है, परन्तु कोई और व्यक्ति जिसे हथौड़ा चलाना नहीं आता वह हथौड़ा मारेगा कहीं और पड़ेगा कहीं और। एक बार जब कि मैं अभी बच्चा ही था और मकान बन रहा था। मैंने समझा बसूले से लकड़ी गढ़ना आसान बात है और यह समझ कर लकड़ी पर बसूला मारा और अपना हाथ काट लिया। तो मनुष्य को जिस काम का अभ्यास न हो उसे नहीं कर सकता। फ़ौजी सिपाहियों को कई-कई मील दौड़ाया जाता है परन्तु इसलिए नहीं कि उन्हें दौड़ने का अभ्यास हो और वे मज़बूत हों, ताकि यदि कहीं दौड़ने का अवसर आए तो वे दौड़ सकें। तो ख़ुदा तआला इन्सान के शिष्टाचार को उच्चतम और सुदृढ़ बनाने के लिए अभ्यास कराने के उद्देश्य से आज़मायशों में डालता है। उदाहरण के तौर पर जब कोई गालियां दे तो उस पर सब्र और आगे से गालियां न देना एक विशेषता है। परन्तु यह विशेषता

किस प्रकार पैदा हो सकती है? इस प्रकार कि कोई किसी को गाली दे और वह उस पर सब्र करना सीखे अन्यथा, यदि ऐसा न हो तो उस विशेषता को व्यक्त करने का अवसर ही न आए और यदि कभी अवसर आए तो उस पर मनुष्य पूर्ण रूप से पाबंद न हो सके। तो शिष्टाचार की दृढ़ता के लिए आज़मायशों का आना और उनके आने के समय सब्र और ख़ुशी की आदत डालना ईमान को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है।

कोई कह सकता है कि जिस से गालियां दिलाई जाएंगी उस पर जब्र होगा और जब्र के अधीन गालियां देगा। परन्तु यह ठीक नहीं है क्यों कि गालियां किसी नेक और बुज़ुर्ग इन्सान से नहीं दिलाई जातीं, न किसी बुरे आदमी को गालियां देने पर मज्बूर किया जाता है। केवल यह किया जाता है कि नेक आदमी के संबंध में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं कि उस का तथा एक और कठोर आदमी का मिलाप हो जाता है तो पहले वह आदमी जिस प्रकार दूसरों से स्वयं मामला करता है उस्ससे भी करता है। इसमें किसी प्रकार का जब्र नहीं होता।

तृतीय श्रेणी -

तक़्दीर पर ईमान लाने की तृतीय श्रेणी बहुत उच्चतम है और वह तवक्कुल (भरोसा) है। तवक्कुल के अर्थ स्वयं को सुपुर्द कर देने के हैं।

तवक्कुल (भरोसा) की दो क़िस्में हैः-

एक तवक्कुल ऐसा है कि उसके लिए तक़्दीर विशेष को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य सामानों से काम भी लेता है और ख़ुदा तआला पर भरोसा रखता है कि वह उसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं करेगा और असाधारण दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वयं अपने कार्य से

बन्दे का काम कर देगा कि उसके कर्मों के अच्छे परिणाम पैदा करेगा परन्तु सामानों को नहीं छोड़ता।

दूसरी क़िस्म तवक्कुल की यह है कि मनुष्य सामानों को भी छोड़ देता है परन्तु यह तवक्कुल (भरोसा) शरीअत के कामों के बारे में नहीं होता। उदाहरणतया यह नहीं हो सकता कि मनुष्य नमाज़ या रोज़ा या हज या ज़कात ख़ुदा तआला के सुपुर्द कर दे कि वह कहेगा तो नमाज़ पढ़ लूंगा या रोज़ा रखूंगा बल्कि इस प्रकार का तवक्कुल केवल शारीरिक कर्मों में होता है। जो लोग शरीअत के आदेशों के बारे में ऐसा कहते हैं वे झूठ कहते हैं। ये लोग (इबाहियः) शरीअत के अवैध आदेशों को वैध समझने वाले होते हैं* ।

और उन्होंने शरीअत के आदेशों से बचने के लिए कई प्रकार के ढकोसले बनाए होते हैं। उदारणतया यह कहते हैं कि शरीअत के आदेशों का पालन करना तो ऐसा है जैसे पार उतरने के लिए नाव पर सवार होना। तो यह कौन सी बुद्धि की बात है कि मनुष्य हमेशा नाव में ही बैठा रहे और जब बांछित मंज़िल आ गई ख़ुदा मिल गया तो फिर नाव में ही क्यों बैठा रहे। परन्तु यह उदाहरण ठीक नहीं है। क्योंकि अल्लाह तआला से मिलने का एक स्थान नहीं कि वहां पहुंच कर उतर जाना है। अल्लाह तआला के अस्तित्व का अन्त नहीं और उससे मिलने की असीम श्रेणियां हैं। तो उसका उदाहरण यह है कि जैसे कि दरिया के साथ-साथ हज़ारों, लाखों शहर बसते हैं और कोई व्यक्ति उन सब की सैर करने के लिए चले। यह व्यक्ति मूर्ख होगा यदि पहले शहर में पहुंच कर नाव से उतर जाए। क्योंकि फिर उसके लिए आगे जाना असंभव हो जाएगा।

अतः तवक्कुल (भरोसे) का स्थान यह है कि स्वयं को ख़ुदा तआला के सुपुर्द कर देना कि वह जिस प्रकार चाहे अपनी विशेष तक़्दीर

बन्दे के संबंध में जारी करे। परन्तु यह तवक्कुल शरीअत के कार्यों के बारे में नहीं होता है। जो व्यक्ति यह कहे कि मैंने अपनी नमाज़ ख़ुदा के सुपुर्द कर दी है अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं वह मुसलमान नहीं रह सकता बल्कि काफ़िर हो जाता है क्योंकि नमाज़ के बारे में तो ख़ुदा तआला एक बार आदेश दे चुका है। जो कोई व्यक्ति नमाज़ ख़ुदा के सुपुर्द करता है वह वास्तव में नमाज़ का चोर है। क्या जो आदेश मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के माध्यम से उसे मिला था वह उसके लिए पर्याप्त न था कि अब वह और आदेशों का प्रतीक्षक रहे। तवक्कुल केवल ऐसे ही कार्यों के संबंध में होता है जो वैध हों और जिन के बारे में कोई विशेष आदेश न उतर चुका हो और वे मामले सांसारिक और शारीरिक ही होते हैं। उन कार्यों को जब कोई बन्दा ख़ुदा तआला के सुपुर्द करता है तो जैसे वह निवेदन करता है कि हे मेरे माबूद! तू मेरे ये काम कर दे ताकि मैं धर्म के काम कर सकूं, तेरी इबादत कर सकूं, तेरे मार्ग में कोशिश कर सकूं। इसलिए यह तवक्कुल वास्तव में ख़ुदा तआला की इबादत के लिए होता है। परन्तु यह स्थान (पद) कभी प्राप्त न हो सकता यदि तक़्दीर न होती। क्योंकि यदि अल्लाह तआला ने कुछ करना ही न होता तो उसके सुपुर्द अपने काम कर देने का ही क्या मतलब? तथा किसी व्यक्ति को यदि तक़्दीर पर ईमान न हो तो उसे भी यह स्थान (पद) प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि यदि वह इस बात को मानता ही नहीं कि ख़ुदा तआला भी बन्दे के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है तो वह अपने कार्य उसके सुपुर्द करेगा ही क्यों? तो तक़्दीर पर ईमान

✷ नोट :- इबाहिय: एक फ़िर्क़ा है जिसका अक़ीदा (आस्था) है कि मनुष्य में गुनाहों से बचने और कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति नहीं इसलिए हर चीज़ वैध और हलाल है। (अनुवादक)

लाना तवक्कुल की श्रेणी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब मनुष्य ख़ुदा तआला की इबादत तथा धर्म की सेवा में ऐसा आनन्द पाता है कि अपने सांसारिक परिश्रमों को कम कर देता है और अपने सांसारिक कार्य अल्लाह तआला के सुपुर्द कर देता है तथा आशा रखता है कि वह उन को पूरा कर देगा और उसको धर्म की सेवा के लिए अवकाश दे देगा।

तवक्कुल की इस श्रेणी से ऊपर एक और श्रेणी है जिसमें मनुष्य जीविका के सामानों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना बिल्कुल ही छोड़ देता है और अपना सब समय ही अल्लाह तआला के लिए समर्पित कर देता है और दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता है और इस से भी ऊपर एक और श्रेणी है कि मनुष्य उस श्रेणी में कभी आवश्यक ज़रूरतों का पूरा करना छोड़ देता है। इसका यह मतलब नहीं कि उदाहरणतया भूखा मर जाता है, बल्कि यह मतलब है कि अल्लाह तआला की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता। हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी[रहि०] लिखते हैं कि मुझ पर कभी ऐसी अवस्था आती है कि उस अवस्था में मैं नहीं खाता जब तक ख़ुदा तआला न कहे तुझे मेरी ही हस्ती की क़सम तू पी तब मैं पीता हूं। मैं कपड़े नहीं पहनता जब तक ख़ुदा न कहे कि तुझे मेरी ही हस्ती की क़सम तू कपड़े पहन ले तब मैं कपड़े पहनता हूं। उनकी आदत थी कि एक हज़ार दीनार का कपड़ा पहनते, जिस पर लोग ऐतराज़ करते तो कहते मूर्ख नहीं जानते ख़ुदा तआला मुझे ऐसा ही कपड़ा पहनने के लिए कहता है तो मैं क्या करूं?

ऐसे लोगों का अभिभावक (मुतकफ़्फ़िल) ख़ुदा तआला हो जाता है और इस पद का नाम फ़ना का स्थान है। आजकल के मूर्ख, बुज़ुर्गों से सुन कर यह तो जानते हैं कि यह भी कोई पद है परन्तु वे नहीं जानते कि वह क्या होता है। इस पद के लोगों का उदाहरण ऐसा ही होता है

जैसे कोई शराब पीकर बिल्कुल ही बेसुध हो जाए। इसी प्रकार इस पद पर पहुंचे हुए लोग ख़ुदा तआला के प्रेम के नशे में चूर हो कर दुनिया से बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं और जब उनकी यह हालत होती है तो ख़ुदा तआला उनका हर एक काम करता है। मूर्ख लोग कहते हैं कि उस नशे की हालत में ख़ुदा के सानिध्य प्राप्त (वली) लोग जो चाहें कह देते हैं और शरीअत के विरुद्ध बातें भी उनके मुंह से निकल जाती हैं तथा कुछ लोग इसी स्वयं निर्मित समस्या की आड़ में कह देते हैं कि मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम भी इस पद पर पहुंच कर धोखे में पड़ गए और कुछ शरीअत के विरुद्ध दावा करने लगे। इसीलिए उनके वे दावे स्वीकार करने योग्य नहीं। किन्तु ये लोग नहीं जानते कि ख़ुदा तआला की पिलाई हुई शराब यद्यपि दुनिया और जो कुछ उसमें है से लापरवाह और न धर्म से लापरवाह करती है। इस शराब के पीने से तो धर्म की आंख और भी तेज़ हो जाती है और ख़ुदा तआला के प्रेम की शराब की कल्पना उस शराब पर करते हैं जो गेहूं या गुड़ को सड़ा कर बनाई जाती है। हालांकि ख़ुदा तआला की पिलाई हुई शराब से अभिप्राय प्रेम का वह जाम है जो वह अपने चुने हुए लोगों को पिलाता है और जो एक ओर यदि बन्दे के दिल से दुनिया का ख़याल मिटा देता है तो दूसरी ओर अल्लाह तआला और उसके प्रताप का निशान उसके दिल पर और भी गहरा कर देता है।

चतुर्थ श्रेणी -

इसके बाद तक़्दीर पर ईमान मनुष्य को और ऊपर ले जाता है और वह श्रेणी अब्द पर पहुंच जाती है। इस श्रेणी का उदाहरण ऐसा है जैसे कोई पुराना शराबी शराब का इतना (अधिक) अभ्यस्त हो जाता है कि बोतलें की बोतलें पी जाता है परन्तु उसे नशा नहीं आता। इस श्रेणी पर

पहुंचने वाला मनुष्य भी अल्लाह तआला के प्रेम की शराब इतनी पीता है कि अब वह उसका अभ्यस्त (आदी) हो जाता है और उस हालत से ऊपर आ जाता है जो उसे पिछली श्रेणी में प्राप्त हुई थी और अब यह उस फ़ना की श्रेणी से जिस पर पहले था ऊपर चढ़ जाता है और बेसुध होने का रंग जाता रहता है बल्कि ज्ञानेन्द्रियां तेज़ हो जाती हैं और यह अपने आप को बन्दगी के स्थान पर खड़ा पाता है। अर्थात् अल्लाह तआला की शान को एक अन्य दृष्टिकोण से देखने लगता है औऱ अपने अब्द (बन्दा) होने की तरफ़ उसका ध्यान लौटता है और यह अपने नफ़्स को कहता है कि मैं तो अब्द (बन्दा) हूं, दास हूं, मेरा क्या अधिकार है कि अपने आप को अपने आक़ा (मालिक) पर डाल दूं। और यह सोच कर वह फिर युक्ति की तरफ़ अर्थात् सामान्य तक़्दीर की तरफ़ लौटता है और यद्यपि यह आध्यात्मिक (रूहानी) सिलसिले का नया दौर भी उसी प्रकार सामान्य तक़्दीर से आरंभ होता है, जिस प्रकार उस से पहला दौर आरंभ हुआ था। इस पद पर बन्दा अत्यन्त सम्मानपूर्वक ख़ुदा तआला के बनाए हुए सामानों को काम में लाना आरंभ करता है क्यों कि उनको अल्लाह तआला की तरफ़ से समझता है तथा समस्त आवश्यकताओं के अवसरों पर सामानों से खूब काम लेता है। आजकल मूर्ख इन्सान ऐतराज़ करते हैं कि मिर्ज़ा साहिब यत्न किया करते थे। हालांकि जो इन्सान बन्दगी के स्थान (पद) पर हो या उस स्थान से ऊपर गुज़र चुका हो उसके लिए कभी यह आवश्यक होता है कि वह यत्न से काम ले। यदि वह ऐसा न करे तो उसको गुनाह हो। बन्दगी के स्थान पर पहुंचा हुआ इन्सान सब काम करता है और हर बात के लिए दुआ भी नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि दुआ करना जैसे विशेष तक़्दीर को बुलाना है और एक दास का क्या अधिकार है कि वह अपने मालिक को इस प्रकार बुलाए।

यही वह हालत थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस समय प्राप्त थी जब कि उनको आग में डालने लगे थे। उस समय जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और आकर कहा कि यदि ख़ुदा से कुछ सहायता मांगना है तो मुझे कहो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वह स्वयं देख रहा है मैं उसे क्या कहूं?

तो इस श्रेणी पर पहुंच कर इन्सान की यह हालत हो जाती है कि बन्दगी में लीन होकर अल्लाह तआला के रोब और शान को देख कर उसकी तरफ़ आंख भी नहीं उठा सकता। क्योंकि उस समय उस की आंखें सब तरफ़ फिरी हुई होती हैं और उसकी नज़र केवल बन्दगी पर ही होती है।

पंचम श्रेणी -

फिर इसके आगे बन्दा और उन्नति करता है और अपनी बन्दगी का जब अध्ययन कर चुकता है और अपने ऊपर सामान्य तक़्दीर जारी करते-करते वह अपने नफ़्स की कमज़ोरियों को अच्छी तरह महसूस कर लेता है तो वह कह उठता है कि ख़ुदा ने अन्ततः विशेष तक़्दीर क्यों जारी की? इसलिए कि मैं उस का अब्द (बन्दा) हूं और मुझ में कमज़ोरियां हैं। तो इस से काम न लेना भी कृतघ्नता (नाशुकरी) है। और इस पर वह विशेष तक़्दीर से काम लेना आरंभ करता है। अर्थात् दुआ से काम लेता है और यह पद दुआ का पद कहलाता है। इस पद पर पहुंच कर वह ख़ुदा से दुआ मांगता है। जब उसके सामने कोई रोक आती है तो कहता है-ख़ुदा तआला ने विशेष तक़्दीर इसलिए रखी है कि मैं ऐसे अवसर पर उस से काम लूं। इसका उदाहरण ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति फलदार वृक्ष के नीचे बैठा हो और एक लम्बा बांस उसके पास हो। जब उसे भूख लगे वृक्ष से फल झाड़े। यद्यपि वह उसके लिए कोशिश तो स्वयं करता है

परन्तु बांस उसे मिल जाता है। इस पद पर पहुंचा हुआ इन्सान दुनिया का सुधार और उसको बन्दगी की ओर लाने में प्रयासरत होता है, परन्तु साथ ही वह जानता है कि मैं अब्द हो कर यह काम नहीं कर सकता, इसलिए अपने मालिक को ही लिखना चाहिए तो जब वह आवश्यकता समझता है अपने मालिक को लिखता है। अर्थात् ख़ुदा तआला के आगे दुआ करता है कि अमुक काम में सहायता दीजिए और वहां से सहायता आ जाती है। उस समय युक्ति (तदबीर) उसकी दृष्टि में तुच्छ होती है और अपने आप को अब्द (बन्दा) समझता है, परन्तु उसे यह भी मालूम होता है कि अब्द अपने मालिक की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। फिर उस से आगे इन्सान चलता है परन्तु ज्यों-ज्यों इन्सान आगे चलता है उस अब्द के विभिन्न पदों पर पहुंचता है, इस से ऊपर अन्य कोई श्रेणी नहीं, बल्कि बड़ी से बड़ी श्रेणी भी अब्द की श्रेणी की कोई शाखा ही है उससे अलग नहीं, यहां तक कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी अल्लाह तआला अब्द ही कहता है और सब शरीअत के रहस्यों के जानने वालों की सहमति है कि सब से बड़ी श्रेणी आध्यात्मिक (रूहानी) उन्नति में अब्द होने की ही है। और वे लोग झूठे हैं जो कहते हैं कि इस से आगे इब्नुल्लाह (अल्लाह के बेटे) का है। सब से बड़ी बन्दगी की ही श्रेणी है और दुआ का पद भी इसी श्रेणी की एक उच्च शाखा है।

अतः दुआ के पद पर जब इन्सान पहुंचता है तो जब कोई रोक उसके मार्ग में आती है वह तुरन्त अल्लाह तआला के आगे गिर जाता है और उसकी सहायता से उस रोक को दूर करता है।

अहज़ाब की जंग (युद्ध) की घटना है कि खाई (खंदक) खोदते हुए सहाबा[रज़ि०] एक पत्थर को काटना चाहते थे परन्तु वह नहीं कटता था। इस पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास गए, जिन

के वे अब्द तो न थे किन्त उस श्रेणी के कारण जो अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दी था आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दासों में शामिल होना गर्व समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि अब हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लाओ मुझे कुदाल दो। और कुदाल ले कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस स्थान पर गए और उसे उठाकर ज़ोर से पत्थर पर मारा तो उस से आग निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा अल्लाहु अकबर। सब सहाबा ने भी कहा अल्लाहु अकबर। दूसरी बार मारा तो फिर आग निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा अल्लाहु अकबर। तीसरी बार मारने से पत्थर टूट गया। इस अवसर पर सहाबा[रज़ि॰] रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुकरण करते हुए अल्लाहु अकबर कहते रहे अन्यथा उन्हें मालूम न था कि आप क्यों अल्लाहु अकबर कहते हैं? इसलिए उन्होंने बाद में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि अल्लाहु अकबर कहने का कारण क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब पहली बार आग निकली तो उसमें मुझे किस्रा और हैरा के क़स्र दिखाए गए और बताया गया कि इन पर मुसलमानों को विजय दी जाएगी। फिर मैंने कुदाल मारी तो उसके प्रकाश में मुझे हैरा के क़स्र दिखाए गए और बताया गया कि क़ैसर के इस शासन पर मुसलमानों को क़ब्ज़ा मिलेगा फिर जब मैंने तीसरी बार कुदाल मारी और प्रकाश निकला तो मुझे सनआ (यमन) के क़स्र (महल) दिखाए गए और बताया गया कि इन पर मुसलमानों का क़ब्ज़ा होगा।

(अल कामिल फ़ित्तारीख लिब्ने असीर जिल्द-2पृष्ट-179,

बैरूत से सन् 1965 ई. में प्रकाशित)

अत: जब दास को इस कार्य में कोई रोक दिखाई देती है जो उसके सुपुर्द किया गया हो तो वह मालिक ही के पास जाता है और उससे सहायता मांगता है। इसी प्रकार बन्दगी के पद पर पहुंचा हुआ इन्सान दुआओं में विशेष तौर पर व्यस्त रहता है और हर एक कठिनाई के समय ख़ुदा तआला से सहायता मांगता है। इस व्यक्ति का उदाहरण ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति बाग़ में हो और उसके पास एक लम्बा बांस हो जिस समय चाहे वृक्षों को हिला कर फल गिरा ले।

षष्ठम श्रेणी -

तक़्दीर (तक़्दीर) पर ईमान और अधिक उन्नति करता है तो इन्सान इस श्रेणी से भी ऊपर उन्नति करता है और दुआओं के स्वीकार होने का दृश्य देख कर ख़ुदा के और निकट होना चाहता है और इसके लिए कोशिश करता है। अन्तत: यह होता है कि उसकी कोशिश हो या न हो उसके लिए अल्लाह तआला की तक़्दीर जारी रहती है और उसे अल्लाह तआला से एकता का एक रंग पैदा हो जाता है। उसी पद के बारे में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि बन्दा नफ़्लों के द्वारा ख़ुदा तआला के ऐसा करीब हो जाता है कि ख़ुदा तआला फ़रमाता है कि मैं उसके हाथ, कान, आंख, पांव बन जाता हूं✷। अर्थात् उस पर यह बन्दा जो भी कार्य करता है वह ख़ुदा तआला का ही कार्य करता है। और यह पूर्णरूप से पवित्र हो जाता है। इस पद की घोषणा अल्लाह तआला के आदेश के अतिरिक्त कोई इन्सान नहीं कर सकता। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि पद और होते हैं और हाल और होता है। हर मोमिन ख़ुदा तआला का अब्द होता है। वह तवक्कुल (भरोसा) भी करता है दुआ भी

✷ बुखारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब - अत्तवाज़ो।

करता है, परन्तु हर मोमिन पर इन बातों का एक-एक क्षण होता है और वह हाल कहलाता है और पद यह होता है कि सामान्यतया इन्सान उस पर क़ायम रहता है और क्षणिक तौर पर थोड़ी देर के लिए वह हालत नहीं आती। इसका उदाहरण ऐसा है जैसे एक व्यक्ति तो किसी घर में ठहरा हुआ हो और दूसरा व्यक्ति बतौर मुलाक़ात थोड़ी देर के लिए वहां आ जाए और दोनों की श्रेणी एक नहीं हो सकती। अल्लाह तआला अपने बन्दों का शौक बढ़ाने के लिए कभी-कभी अपने बन्दों को उच्च से उच्च पद की सैर करा देता है। यद्यपि कुछ मूर्ख इस हालत से धोखा खा कर अंहकार और घमंड के रोग में ग्रस्त हो जाते हैं। यही वह पद है जिस पर सहाबा[रज़ि॰] पहुंचे थे, जिन के बारे में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ (बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह अलमुम्तहिनः बाब ला तत्तख़िज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया) कि तुम अब जो चाहे करो। मूर्ख ऐतराज़ करते हैं कि क्या यदि वे चोरी भी करते तो उनके लिए जायज़ (वैध) था? परन्तु वे नहीं जानते कि ख़ुदा जिसके हाथ हो जाए वह चोरी कर ही किस प्रकार सकता है। देखो टाइप का अभ्यास करने वाले इतना अभ्यास करते हैं कि आंखें बन्द करके चलाते जाते हैं और ग़लती नहीं करते। इसी प्रकार ज़मींदार विशेष ढ़ंग से भूमि में दाना डालता है और जिस का अभ्याम न हो वह इस प्रकार दाना नहीं डाल सकता। इसी प्रकार एक जिल्दसाज़ को अभ्यास होता है और वह सूआ एक विशेष ढंग से मारता है। तो जिस प्रकार इन कार्यों में अभ्यास करने वाले ग़लती नहीं कर सकते इस प्रकार संयम के मार्गों पर चलने का अभ्यास करते करते जब इन्सान इस सीमा तक उन्नति कर जाता है कि ख़ुदा उन की आंख, कान, हाथ और पांव हो जाता है वे ग़लती नहीं कर सकते। अंधे भी अपने घरों में दौड़ते फिरते हैं। हमारे यहां एक अंधी

औरत रहती थी उसकी चीज़ें जहां होतीं सीधी वहीं जाती और जाकर उनको उठा लेती। अपरिचित लोग कभी ऐसे अंधों को देख कर समझ लेते हैं कि ये छल करते हैं। हालांकि उनके अभ्यास से यह श्रेणी प्राप्त हुई होती है अन्यथा वे वास्तव में अंधे होते हैं। तो जब अंधा भी अभ्यास से इस श्रेणी को प्राप्त कर सकता है तो क्या बुद्धि का सुजाखा उन्नति करते-करते उस पद पर नहीं पहुंच सकता कि उसका हाथ हमेशा सही स्थान पर ही पड़े और वह ग़लती से सुरक्षित हो जाए और विशेष तौर पर जबकि अल्लाह तआला किसी के हाथ-पांव हो जाए तो फिर तो इस बात में आश्चर्य की कोई बात ही नहीं रहती। यह श्रेणी भी तक़्दीर पर ईमान का परिणाम है अन्यथा यदि तक़्दीर ही न होती तो वे विशेष तक़्दीर से किस प्रकार सहायता लेते? तो विशेष तक़्दीर जारी करने का एक यह कारण है कि इन्सान बन्दगी के इस पद पर पहुंच जाए कि ख़ुदा तआला में और उस में एकता पैदा हो जाए और वह यद्यपि अब्द ही रहे परन्तु अल्लाह तआला की विशेषताओं का द्योतक हो जाए। परन्तु यही पद नहीं बल्कि इस से आगे एक ऐसा पद है कि जिसको देख कर इन्सान की आंखें चुंधिया जाती हैं और वह नुबुव्वत का पद है। कहते हैं जब ख़ुदा तआला इन्सान के हाथ-पांव और कान हो गया तो फिर और क्या श्रेणी हो सकती है। परन्तु यह ग़लत है, इससे ऊपर और श्रेणी है और वह यह कि पहले तो ख़ुदा बन्दे का हाथ-पांव और कान हुआ था, इस श्रेणी पर पहुंचने पर उसके हाथ-पांव, आंख और कान ख़ुदा तआला के हो जाते हैं और यही पद है जहां वास्तव में इन्सान तक़्दीर की पूर्ण वास्तविकता से अवगत हो सकता है क्योंकि इस पद पर यह साक्षात तक़्दीर हो जाता है, और तक़्दीर को यदि पानी मान लिया जाए तो यह उसको चलाने के लिए नहर की तरह होता है और इस पद

पर पहुंच कर ख़ुदा तआला के राज़ में शामिल हो जाता है और बन्दा होते हुए उस से ख़ुदा के निशान प्रकट होते हैं। इसी कारण मूर्ख उसे ख़ुदा समझने लग जाते हैं। पहले तो यह था कि कभी ख़ुदा से मांगने जाता था परन्तु अब उस पर तक़्दीर ही तक़्दीर जारी हो जाती है और यह वह पद है कि इस पर पहुंचने वाले इन्सान जो कुछ करते हैं वह उन से ख़ुदा ही कराता है। इसीलिए ख़ुदा ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में फ़रमाया है -

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

(अन्नज्म - 4,5)

यह जो कुछ कहता है इल्हाम है।

इसी प्रकार हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने स्वप्न में देखा कि आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि "आओ हम नई ज़मीन और नया आसमान बनाएं।" मूर्ख कहते हैं कि यह शिर्क की बात है, परन्तु नहीं यह नुबुव्वत के पद की तरफ़ संकेत है। हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने पहले पद का नाम क़मर (चन्द्रमा) और दूसरे पद का नाम शम्स (सूर्य) रखा है। अर्थात् पहला पद तो यह है कि ख़ुदा के द्वारा इन्सान का प्रकाश प्रकट होता है और दूसरा पद यह है कि इन्सान के द्वारा ख़ुदा का प्रकाश प्रकट होता है। यही अर्थ आप ने इल्हाम يَاشَمْسُ يَاقَمَرُ के किए हैं। तो यह नुबुव्वत है और इस पद से किसी को अवगत नहीं किया जाता परन्तु बतौर हाल के, सिवाए उन लोगों के कि जिन को अल्लाह तआला नुबुव्वत के पद पर खड़ा करे। ख़ुदा तआला का प्रताप इन्हीं लोगों के द्वारा प्रकट होता है और ये ख़ुदा तआला को देखने की खिड़की होते हैं जो इन में से होकर ख़ुदा तआला को देखना न चाहे वह ख़ुदा को नहीं देख सकता।

सप्तम श्रेणी -

षष्ठम श्रेणी तो यह थी कि जो ख़ुदा को न देखे वह उस व्यक्ति को नहीं देख सकता और सप्तम यह है कि जो इस पद पर खड़े होने वाले इन्सान को न देखे वह ख़ुदा को नहीं देख सकता। अर्थात् षष्ठम (छटे) पद के बारे में तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस पद पर खड़ा होने वाले व्यक्ति को न पहचाने परन्तु ख़ुदा को पहचाने। परन्तु सातवां पद ऐसा है कि जो व्यक्ति उस पर खड़े होने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान सकता वह ख़ुदा को भी नहीं पहचान सकता और इसी का नाम कुफ्र है। क्योंकि जब ये ख़ुदा के हाथ और पांव बन जाते हैं तो जहां ये जाएंगे वहीं ख़ुदा जाएगा और जो उनको नहीं देखता निश्चित है कि वह ख़ुदा को भी न देख सके और जो ख़ुदा तआला को नहीं देखता वह काफ़िर है।

यह पद हाल के तौर पर तो अन्य लोगों पर भी आता है परन्तु पद के तौर पर किसी नबी के बिना अन्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। यह सर्वोच्च श्रेणी है और इसमें तक़्दीर ऐसे रंग में प्रकट होती है कि उसे समझना हर इन्सान का काम नहीं है। हां विद्वान लोग पहचान लेते हैं। इस पद पर पहुंचे हुए इन्सान की यह हालत होती है कि उसमें ख़ुदा का ही रंग आ जाता है और यह वह समय होता है कि जब तक़्दीर वास्तविक तौर पर प्रकट होती है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अस्तित्व ख़ुदा तआला के अस्तित्व (हस्ती) में छुप गया था। अतएव आप का हर एक कार्य वास्तव में ख़ुदा तआला की तरफ़ से था। परन्तु तुम जो कुछ करते हो यह ख़ुदा तुम से नहीं कराता क्योंकि तुम ख़ुदा के हाथ नहीं हो। यदि कोई बुरी नज़र से देखता है तो स्वयं देखता है और चोरी करता है तो स्वयं करता है,

ख़ुदा तआला उस से ऐसा नहीं कराता। ख़ुदा तआला तो उन से काम करवाया करता है जो उसकी विशेषताओं के द्योतक हो जाते हैं। और वह जिन का हाथ हो जाता या पांव हो जाता है या आंख हो जाता है या कान हो जाता है या जो उसके हाथ हो जाते हैं या पांव हो जाते हैं या आंख हो जाते हैं या कान हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मानवता की ग़लती पर भी यदि कोई ऐतराज़ करे तो दण्ड पाता है और यह ख़ुदा की तक़्दीर की वह सीमा है जिस से इन्सान का संबंध है।

अब मैं तक़्दीर पर ईमान लाने के लाभ भी वर्णन कर चुका हूं और उन से मालूम हो सकता है कि यह मामला रूहानियत को पूर्ण करने के लिए कितना आवश्यक है और यह कारण है कि ख़ुदा तआला ने उसके मानने को ईमान की शर्त ठहराया है।

यह है वह तक़्दीर का विषय जिस से जनसाधारण ठोकर खाते हैं। अल्लाह तआला सामर्थ्य प्रदान करे कि हम उसे सही तौर पर समझें और उस से फ़ायदा उठाएं। आमीन

---

1. एक साहिब प्रश्न करते हैं कि ख़ुदा तआला की हैसियत परीक्षक की ही नहीं बल्कि कृपालु-दयालु की है। उनको याद रखना चाहिए कि यह ठीक है, परन्तु इस हैसियत का प्रकटन परीक्षा लेने के बाद नम्बर देते समय होता है। यह नहीं कि पर्चा लिखते समय बताता जाए कि इस प्रश्न का उत्तर यह लिखो और उसका यह।